सी० बी० 2 सं० 327

लोक सभा

चिट फंड विधेयक, 1980

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

[25 नवम्बर, 1981 को प्रस्तुत किया गया)]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

नवम्बर, 1981/ अग्रहायण 1903
मूल्य: 4 रु० 55 पै०

चिटफण्ड विधेयक, 1980 सम्बन्धी
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का

शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(i)	8	प्रवर समिति के	प्रवर समिति को
(iii)	11	प्रो0 पी0के0जे0 कुरियन	प्रो0 पी0जे0 कुरियन
(iv)	16	श्री कें0 एस0 जसपाल	श्री कें0 एस0 जसपाल
(v)	21	प्रेह विज्ञप्ति	प्रेस विज्ञप्ति
(vi)	6	गए गए थे।	दिए गए थे।
(vi)	30	मंजूरी व्यगत	मंजूरी व्यपगत
(vii)	5	चिर करार	चिट करार
(vii)	नीचे से तीसरी	इस उपेक्षा को	इस अपेक्षा को
(xi)	नीचे से चौथी	ईरा अनवरायसु	ईरा अनवरासू
3	34	शून्य गा।	शून्य होगा।
6	27	व्यगत हो जाएगा	व्यपगत हो जाएगा
8	22	संचालित शुद्ध	शुद्ध
11	18	संदेह	संदेय
12	4	अ भि T	अभिदाता
17	3	के सा	के साथ
20	35	कम्पनीया	कम्पनी या
29	20	संज्ञय होंगे	संज्ञेय होंगे
35	8	श्री ममगभाई	श्री मगनभाई
35	13	प्रो0 पी0जे0कुरियन	प्रो0 पी0जे0 कुरियन
37	13	भारी कार्यक्रम	भावी कार्यक्रम
41	8	डा0 ए0य0 आजमी	डा0 ए0 यू0 आजमी
43	5	श्री ईरा अनारासु	श्री ईरा अनवरासु
43	10	श्री आर0वी0 घोरपाड़े	श्री आर0वाई0 घोरपाड़े
50	12	श्री रामजी भाई मवाणी	श्री रामजी भाई मावणि
52	15	श्री शान्ताराम पौड़दुख	श्री शान्ताराम पांटदुखे
70	9	श्री आर0वाई0गोरपड़े	श्री आर0वाई0घोरपाड़े
94	10	व्यष्टि-संगम	व्यष्टि-संगम
95	6	प्रतिवेदन में संशोधिन	प्रतिवेदन में संशोधन

विषय सूची

पृष्ठ

प्रवर समिति की रचना . . . . . . (iii)

प्रवर समिति का प्रतिवेदन . . . . . . (v)

विमत टिप्पण . . . . (xiii)

प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक . . . . (i)

परिशिष्ट—एक

विधेयक को प्रवर समिति के सौंपने के लिए लोक सभा में प्रस्ताव . 35

परिशिष्ट—दो

प्रवर समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश . . . 36

चिट फंड विधेयक, 1980 संबंधी प्रवर समिति

समिति की रचना

श्री ईरा अनबारासु—सभापति

सदस्य

2. डा० ए० यू० आजमी
3. श्री मगन भाई बरोट
4. श्री सुब्बाराव चौधरी चित्तूरी
5. श्री आर० वाई० घोरपड़े
6. श्री कृष्ण कुमार गोयल
7. श्री पी० के० कोडियन
8. प्रो० पी० के० जे० कुरियन
9. श्री सुनील मैत्रा
10. श्री रामजी भाई मावणि
11. श्री नित्यानन्द मिश्र
12. श्री कुमबुम एन० नटराजन
13. श्री भोला राउत
14. श्री टी० आर० शमन्ना
15. श्री शान्ताराम पोटदुखे
16. श्री प्रताप भानु शर्मा
17. श्री शिव शंकर
18. श्री रणबीर सिंह
19. श्री भाऊसाहिब थोरट
20. श्री गिरधारी लाल व्यास
21. श्री आर० वेंकटरामन

सचिवालय

1. श्री सत्यदेव कौड़ा —मुख्य विधायी समिति अधिकारी
2. श्री राम किशोर —वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी
3. श्री एस० एस० चावला —वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० रमैया संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय।

2. श्री सी० रामन मैनन —अपर वित्तीय परामर्शदाता, वित्त, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय ।

3. श्री डी० नारायण राव —अटैची, वित्तीय विभाग, वित्त, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय ।

4. श्री जी० पी० जैन —अपर आशुलिपिकार, वित्त, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (राजभाषा स्कन्ध)

वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि

(आर्थिक कार्य विभाग—बैंकिंग प्रभाग)

1. श्री आर० एम० मल्होत्रा — सचिव
2. श्री एम० रामकृष्णय्या —डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक
3. श्री आर० के० कौल — अपर सचिव (बैंकिंग)
4. श्री बलदेव सिंह —संयुक्त सचिव (बैंकिंग)
5. श्री बी० पी० साहनी —संयुक्त सचिव (बैंकिंग)
6. श्री सी० डब्ल्यू० मीरचन्दानी—उप सचिव (बैंकिंग)
7. श्री आर० अन्नाजीराव —मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता ।
8. श्री केड एस० असपाल —मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता ।
9. श्री बी० एन० चिकरमणे —उप मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, बंबई

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

मैं, चिटफंड विधेयक, 1980 सम्बन्धी प्रवर समिति, जिसे चिट फंड के विनियमन और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाला विधेयक* सौंपा गया था, का सभापति उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं जिस के साथ समिति द्वारा संशोधित रूप में विधेयक संलग्न है।

2. विधेयक 20 नवम्बर, 1980 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक को प्रवर समिति द्वारा लोक सभा में 23 दिसम्बर, 1980 को पेश किया गया था और स्वीकार किया गया था (परिशिष्ट–एक)

3. समिति की कुल 25 बैठकें हुईं।

4. समिति की पहली बैठक उसका कार्यक्रम तैयार करने के लिए 27 जनवरी, 1981 को हुई थी। समिति ने विधेयक की विषयवस्तु में रुचि रखने वाली राज्य सरकारों, चिट फंड कम्पनियों, सरकारी निकायों, संगठनों, व्यक्तियों आदि से 21 फरवरी, 1981 तक ज्ञापन आमन्त्रित करने का निश्चय किया जिनमें विधेयक के उपबन्धों के बारे में टिप्पणियां/सुझाव दिए गए हों।

समिति ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों को भी इस आशय का परिपत्र भेजने का निश्चय किया कि वे उक्त तारीख तक विधेयक के बारे में अपनी सरकारों की टिप्पणियां/सुझाव भेज दें।

समिति ने विधेयक के उपबन्धों के बारे में इच्छुक पक्षों का मौखिक साक्ष्य लेने का भी निश्चय किया।

समिति ने इस सम्बन्ध में ज्ञापनों को प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 21 फरवरी, 1981 निर्धारित करने तथा मौखिक साक्ष्य के लिए अनुरोध करने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का भी निश्चय किया।

27 जनवरी, 1981 को महानिदेशक, आकाशवाणी तथा महानिदेशक दूरदर्शन, नई दिल्ली से भी अनुरोध किया गया था कि वे आकाशवाणी के सभी केन्द्रों तथा सभी दूरदर्शन केन्द्रों से इसे लगातार तीन दिन तक प्रसारित करें।

5. समिति ने 9 अप्रैल, 1981 को अपनी दूसरी बैठक में यह महसूस किया कि चूंकि उसे विभिन्न पक्षों से उनके सम्बन्धित स्थानों पर उनके विचार सुनने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुये हैं, इसलिए समिति ने देश के कुछ चुने हुये स्थानों पर अपनी औपचारिक बैठकें करने का निश्चय किया।

6. समिति की बैठकें मद्रास (28, 29 तथा 30 मई, 1981), बंगलौर (1 तथा 2 जून, 1981) और त्रिवेन्द्रम (4 तथा 5 जून, 1981) में हुई और समिति ने विभिन्न चिट फंड कम्पनियों, एसोसिएशनों, फडरेशनों के प्रतिनिधियों, व्यक्तियों आदि का विधेयक के उपबन्धों के बारे में मौखिक साक्ष्य लिया। समिति ने इन बैठकों में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन पाण्डिचेरी के प्रतिनिधियों का भी साक्ष्य लिया।

समिति ने 5 जून, 1981 को हुई बैठक में महसूस किया कि चूंकि मौखिक साक्ष्य देने के लिए अभिदाता पर्याप्त संख्या में नहीं आ रहे हैं इसलिए समिति ने ज्ञापन तथा मौखिक

---

*भारत के दिनांक 20 नवम्बर, 1980 के असाधारण राजपत्र, भाग-दो, खण्ड 2 में प्रकाशित।

साक्ष्य के लिए अनुरोध प्राप्त करने का समय 30 जून, 1981 तक बढ़ाने का निश्चय किया। समिति ने और आगे मौखिक साक्ष्य लेने के उद्देश्यों से जुलाई, 1981 के पहले सप्ताह में देश के कुछ और स्थानों में अपनी अगली बैठकें करने का निश्चय भी किया।

7. समिति को विभिन्न चिट फंड कम्पनियों, एसोसिएशनों, फेडरेशनों, राज्य सरकारों, सहकारी बैंकों, व्यक्तियों आदि से 529 ज्ञापन/अभ्यावेदन/टेलीग्राम आदि प्राप्त हुये जिनमें विधेयक के उपबन्धों के बारे में टिप्पणियां/सुझाव गए गए थे।

8. समिति की बैठकें अहमदाबाद (2 तथा 3 जुलाई, 1981) बम्बई (4 तथा 5 जुलाई, 1981), हैदराबाद (7 तथा 8 जुलाई, 1981), कलकत्ता (9 तथा 10 जुलाई, 1981), और नई दिल्ली (31 जुलाई तथा 1 अगस्त, 1981) में हुई तथा समिति ने विधेयक के बारे में विभिन्न चिट फंड कम्पनियों के प्रतिनिधियों, एसोसिएशनों, फेडरेशनों/व्यक्तियों आदि का और आगे मौखिक साक्ष्य लिया। समिति ने इन बैठकों में गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों का साक्ष्य भी लिया।

मौखिक साक्ष्य देने के लिए समिति के समक्ष कुल मिलाकर 101 साक्षी उपस्थित हुये।

9. समिति ने 11 तथा 13 अगस्त, 1981 को हुई बैठकों में समिति को प्राप्त हुये विभिन्न ज्ञापनों तथा उसके समक्ष किए गए मौखिक साक्ष्य में उठाये गये प्रश्नों के सन्दर्भ में विधेयक के उपबन्धों पर सामान्य चर्चा की।

10. समिति का प्रतिवेदन 21 अगस्त, 1981 तक लोक सभा में प्रस्तुत किया जाना था। 18 अगस्त, 1981 को समिति के लिए स्वीकृत समय को शीतकालीन सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन अर्थात् 27 नवम्बर, 1981 तक बढ़ाया गया।

11. समिति ने 4, 5 नवम्बर, 1981 को हुई अपनी बैठकों में विधेयक पर खण्ड वार विचार किया।

12. समिति 18 नवम्बर, 1981 को हुई अपनी बैठकों में प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

13. विधेयक में प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तनों के सम्बन्ध में समिति की टिप्पणियां परवर्ती पैराओं में उल्लिखित हैं।

14. खंड 4—समिति ने नोट किया है कि इस खण्ड के उप-खण्ड (1) के प्रस्तावित उपबंध के अधीन प्रधान को चिट संचालन के लिए राज्य सरकार की मंजूरी प्राप्त कर लेने के पश्चात् ऐसी मंजूरी की तारीख से छह मास के भीतर रजिस्टर कर लेना अपेक्षित है जिसके बिना वह प्राप्त मंजूरी व्यगत हो जाएगी। समिति ने यह भी नोट किया है कि मंजूरी प्राप्त कर लेने के पश्चात् प्रशासन को खंड 5 के अधीन अपेक्षित संख्या में अभिदाताओं को भर्ती करना तथा इस अवधि में चिट को रजिस्टर कराना अपेक्षित है। समिति का विचार है कि यद्यपि राज्य सरकारों को भी छः महीने की इस अवधि को इस सम्बन्ध में प्रधान द्वारा आवेदन दिए जाने पर और छः महीने बढ़ा देने का अधिकार प्रदान किया गया है, इस बात की संभावना कि कुछ मामलों में चिट रजिस्टर कराने के लिए प्रारम्भिक छः महीने की अवधि अपर्याप्त है। इस लिए समिति का विचार है कि यह सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रधान को कोई कठिनाई न हो, चिट संचालन के लिए मंजूरी की तारीख से चिट रजिस्टर कराने के लिए निर्धारित छः महीने की प्रारम्भिक अवधि को बढ़ा कर बारह महीने कर दिया जाय। इस खण्ड के उप-खण्ड (1) के उपबंध में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

15. खंड 6. (एक) समिति ने नोट किया है कि विधेयक के खण्ड 6(1) (ब) के अंतर्गत चिट करार में किस्तों की संख्या और प्रत्येक किस्त पर प्रत्येक टिकट के लिए संदेय रकम का उल्लेख करने की व्यवस्था की जायेगी। समिति अनुभव करती है कि किस्त का क्रम-

तान न किये जाने की स्थिति में चिट करार के अंतर्गत ब्याज अथवा शास्ति यदि कोई हो, के भुगतान का उपबन्ध भी किया जाना चाहिये।

इस खण्ड के उप-खण्ड (1) (ग) में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

(दो) समिति ने नोट किया है कि इस खण्ड के उपखण्ड (1) (घ) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार चिट करार में चिट को आरम्भ किये जाने की तारीख दी जानी चाहिये। समिति यह अनुभव करती है कि खण्ड 9 में अंतर्विष्ट उन उपबंधों को देखते हुए जिनमें प्रधान द्वारा चिट करार दर्ज कराये जाने के पश्चात् रजिस्ट्रार द्वारा आरम्भ किये जाने का प्रमाण-पत्र दिये जाने की व्यवस्था है, प्रधान के लिए यह सम्भव नहीं होगा कि वह चिट करार में चिट प्रारम्भ किये जाने की निश्चित तारीख का उल्लेख कर सके।

अतः इस खण्ड के उप-खण्ड (1) (घ) में संशोधन कर दिया गया है ताकि चिट करार में चिट आरम्भ किये जाने का संभावित तारीख का उल्लेख किया जा सके।

(तीन) इस खण्ड में किया गया दूसरा संशोधन स्पष्टीकरण संबंधी है।

16. खण्ड 7. समिति का विचार है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रधान चिट आरम्भ करने के लिए अनुचित रूप से अधिक समय न लगाये तथा अभिदाताओं के धन का दुर्विनियोग न करे, उसके लिए यह अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये कि वह चिट फंड आरम्भ करने का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए चिट करार के रजिस्ट्रेशन की तारीख से तीन महीने की निर्धारित अवधि के भीतर अथवा राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई जाने वाली और तीन महीने की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार के पास चिट आरम्भ किये जाने की घोषणा दर्ज करा दें।

इस खण्ड के उप-खण्ड (3) में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

17. खण्ड 8—समिति ने नोट किया है कि इस खण्ड के उप खण्ड (3) के प्रस्तावित उपबन्धों के अंतर्गत चिट कारोबार का संचालन करने वाली प्रत्येक कम्पनी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह अपने शुद्ध लाभ की बीस प्रतिशत राशि के अन्तरण द्वारा एक आरक्षी निधि स्थापित करेगी। समिति का विचार है कि यद्यपि इस प्रकार की आरक्षी निधि की स्थापना से कम्पनी की वित्तीय स्थिति को स्थायित्व मिलेगी परन्तु चूंकि चिट फण्ड कम्पनियों के काम की मात्रा बहुत अधिक नहीं होगी। अतः शुद्ध लाभ की 20 प्रतिशत राशि को आरक्षी निधि में अन्तरित कर देना वांछनीय नहीं होगा। समिति का विचार है कि आरक्षित निधि में अन्तरित की जाने वाली शुद्ध राशि का प्रतिशत 20 से कम करके 10 कर दिया जाना चाहिये।

इस उप खण्ड में किया गया अन्य संशोधन स्पष्टीकरण संबंधी है।

इस खण्ड के उपखण्ड (3) में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

18. खण्ड 11. समिति ने नोट किया है कि इस खण्ड के प्रस्तावित उपबंधों के अनुसार चिट कारोबार का संचालन करने वाले व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपने नाम के भाग के रूप में "चिट", "चिट फण्डस्", चिट्टी अथवा "कुरी" इन शब्दों से किसी शब्द का प्रयोग करें। जबकि अन्य व्यक्तियों को इससे वर्जित किया जाये। इसलिए जो व्यक्ति इनमें से किसी शब्द के प्रयोग बिना चिट कारबार का संचालन कर रहे हैं उन्हें उपर्युक्त शब्दों में से किसी एक को अपनाना पड़ेगा और जो व्यक्ति चिट कारबार का संचालन नहीं कर रहे हैं और इनमें से किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें उस शब्द का परित्याग करना होगा। समिति का विचार है कि प्रस्तावित कानून लागू होने की तारीख को इस प्रकार का कारबार करने वाले व्यक्तियों को इस प्रकार के कानून लागू होने के तत्काल पश्चात् इस अपेक्षा को पूरा करने में किस प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए उन्हें इस प्रकार की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कम से कम एक वर्ष का समय अवश्य दिया जाना चाहिये।

तदनुसार इस खण्ड में एक नया उप खण्ड (2) जोड़ दिया गया।

19. खण्ड 13—समिति ने नोट किया है कि इस खण्ड के प्रस्तावित उपबंधों के अंतर्गत संचालित की जानी वाली चिटों की समग्र राशि के संबंध में अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है जो इस प्रकार है :—

(एक) व्यक्तिगत प्रधान के मामले में — दस हजार रु०

(दो) चार व्यक्तियों वाली भागीदारी फर्म — चालीस हजार रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त भागीदार के लिए 10 हजार रु०; तथा

(तीन) प्रधान कम्पनी — कम्पनी की निवल आस्तियों के दस गुने से अनधिक राशि ।

समिति का विचार है कि यद्यपि यह आवश्यक है कि प्रधान द्वारा संचालित चिटों की समग्र राशि के संबंध में अधिकतम सीमा निर्धारित की जाये ताकि प्रधान ऐसे किसी अनुचित कार्य में न लग जाये जो चिट के अभिदाताओं के हितों के प्रतिकूल हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना वांछनीय है कि प्रधान द्वारा संचालित चिट कारबार में उसका पर्याप्त जोखिम अंतग्रस्त हो ।

अतः समिति की राय है कि अभिदाताओं के हितों की रक्षा करने और प्रधन को भी पर्याप्त लाभ सुनिश्चित करने के लिये प्रस्तावित विधेयक के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत किये गये रक्षापायों को देखते हुए चिटों की समग्र राशि के संबंध में अधिकतम सीमा को बढ़ाकर इस प्रकार कर दिया जाये—

(एक) व्यक्तिगत-प्रधान के मामले में 25 हजार रु० और

(दो) चार व्यक्तियों वाली भागीदारी फर्मों के मामले में एक लाख रु० तथा प्रत्येक अतिरिक्त भागीदार के लिए 25 हजार रु० ।

समिति यह भी महसूस करती है कि जहां प्रधान कोई कम्पनी है वहां उसके द्वारा संचालित चिटों की कुल रकम की गणना इस खंड के उपखंड तीन में दिए गये स्पष्टीकरण के अनुसार "शुद्ध आस्तियों" के आधार पर करना कठिन होगा। समिति को बताया गया था कि यदि "शुद्ध आस्तियों" की अवधारणा में परिवर्तन करते समय उसे "शुद्ध स्वामिक निधियां कर दिया जाये तो यह फाइनेन्शियल कम्पनियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये उन निर्देशों के अनुरूप होगा जिसका अर्थ होता है वह रकम जोकि कम्पनी की प्रदत्त पूंजी और युक्त आरक्षित निधि की कुल राशि में से हानि के संचयी शोध, स्थगित राजस्व व्यय और कम्पनी के अंतिम लेखा परीक्षित 'तुलनपत्र' के अनुसार अन्य अमूर्त आस्तियों को घटा कर शेष रहती है।

समिति यह भी महसूस करती है कि कम्पनियों पर लागू अधिकतम सीमा सहकारी समितियों पर भी लागू की जानी चाहिये ।

तदनुसार इस खंड के उप-खंड (1), (2) तथा (3) में संशोधन कर दिया गया है तथा उप-खंड (3) के वर्तमान स्पष्टीकरण के स्थान पर नया स्पष्टीकरण रख दिया गया है।

20. खंड 14 (एक) इस खंड के उप-खंड (1) में दिया गया संशोधन स्पष्टीकरण संबंधी है।]

(दो) समिति का विचार है कि चिट कारबार के संबंध में संग्रहीत धन की वसूली और इस खंड के उप-खंड (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयोग किये जाने के लिए तीन वर्ष की अवधि का जो उपबंध किया गया है वह पर्याप्त है और इस अवधि

को दो वर्ष और बढ़ाने से अभिदाताओं को पर्याप्त कठिनाई होगी। राज्य सरकार को उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि को केवल एक वर्ष और बढ़ाने का अधिकार होना चाहिये।

इस खंड के उप-खंड (2) के परन्तुक में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

21. खंड 15–समिति की राय है कि अभिदाताओं को प्रधान की सहमति के बिना एक तरफा रूप से एक विशेष संकल्प के द्वारा चिट करार में परिवर्तन करने की अनुमति देना प्रधान के प्रति अनुचित हो सकता है और कुछ थोड़े से सदस्यों के हितों के विरुद्ध उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। समिति का विचार है कि चूंकि प्रधान तथा सभी सदस्य करार के पक्षकार होते है, इसलिए उपरोक्त सभी व्यक्तियों की अनुमति के बिना चिट करार में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए यह खंड एक नये खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है जिसमें यह व्यवस्था है कि प्रधान तथा चिट से संबंधित सभी अभिदाताओं की लिखित सहमति के बिना किसी चिट करार में परिवर्तन, परिवर्धन नहीं किया जायेगा अथवा उसे रद्द नहीं किया जायेगा।

इस खंड के नीचे दिया गया स्पष्टीकरण जिसमें इस खंड के प्रयोजनों के लिए "विशेष संकल्प" की परिभाषा दी गई है और खंड 38 तदनुसार खंड 38 में अन्तरित कर दिया गया है।

22. खंड 16–समिति का विचार है कि यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि चिटों के संचालन में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, प्रधान पर यह दायित्व भी सौंपा जाना चाहिए कि वह इस संबंध में सभी अभिदाताओं को नोटिस जारी करे और ड्रा कम से कम दो अभिदाताओं की उपस्थिति में निकाला जाना चाहिये।

तदनुसार खंड में संशोधन किया गया है।

23. खंड 18–समिति ने नोट किया है कि इस खंड के प्रस्तावित उपबंधों के अधीन प्रधान के लिए यह अपेक्षित है कि वह प्रत्येक इनाम निकालने की कार्यवाहियों के कार्यवृत्तों की सही प्रतिलिपि को रजिस्ट्रार के पास संबंधित इनाम निकालने की तारीख से 14 दिन के भीतर भेजा करे।

समिति का विचार है कि चूंकि प्रधान एक महीने में कई चिटों का संचालन करेगा, इसलिए उसके लिए उक्त उपेक्षा का अनुपालन करना कठिन होगा। समिति की राय है कि प्रधान को किसी प्रकार की कठिनाई न होने देने के उद्देश्य से उसे इस प्रयोजन के लिए कम से कम 21 दिन का समय दिया जाना चाहिए।

खंड में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

24. खंड 19–(एक) समिति का विचार है कि उन मामलों में, जहां प्रधान द्वारा उस राज्य से भिन्न राज्य में, जिसमें उसका पंजीकृत कार्यालय, कारबार का स्थान अथवा मुख्य स्थान स्थित है, कारबार का कोई नया स्थान खोलता है, उस राज्य के रजिस्ट्रार को भी कारबार के नये स्थान में उसके द्वारा किये जाने वाले कारबार के संबंध में पंजीकरण करने की राज्य के रजिस्ट्रार की शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए। इससे अभिदाता उस राज्य में, जिसमें कारबार का नया स्थान खोला गया हो, कारबार के नये स्थान द्वारा चिट कारबार के संचालन के संबंध में कोई शिकायत करने के लिए पंजीकरण राज्य के रजिस्ट्रार के स्थान के बजाय और उस राज्य के रजिस्ट्रार से संपर्क कर सकेंगे।

तदनुसार इस खंड में एक नया उप-खंड (3) सम्मिलित कर दिया गया है।

(दो) इस खंड में किया गया अन्य संशोधन प्रारूपण संबंधी है।

25. खंड 20–समिति नोट करती है कि इस खंड के उपखंड (1) में प्रस्तावित उप-बंधों के अंतर्गत प्रधान के लिये यह अपेक्षित है कि वह चिट प्रारम्भ करने का प्रमाणपत्र

प्राप्त करने की घोषणा फाइल करने से पूर्व ही चिट के उचित संचालन के लिये प्रतिभूति दे। समिति ने यह भी नोट किया है कि घोषणा फाइल करने से पूर्व प्रधान को अन्य औपचारिकताएं अर्थात् राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना चिटों में अभिदान करने के लिए जनता को आमंत्रित करना और चिट करार को पंजीकृत कराना, पूरी करना पड़ता है। समिति का विचार है कि यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि प्रधान इस प्रकार एकत्र की गई राशि का उपयोग प्रतिभूति देने के प्रयोजन के लिए न कर सके और साथ ही यह भी सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि चिट के संचालन के लिए प्रधान की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ रहे, उसके लिए यह अपेक्षित है कि वह विधेयक के खंड 4 के अंतर्गत राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के लिए आवेदन करने से पूर्व प्रतिभूति दे।

इस खंड के उपखंड (1) में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

26. खंड 21–(एक) समिति का विचार है कि जहां प्रधान ने एक से अधिक टिकटों के लिए अभिदाय किया है, वहां बिना बट्टे की चिट में एक चिट रकम से अधिक रकम प्राप्त करने का पात्र नहीं होना चाहिए।

इस खंड के उप-खंड (1) (क) के परन्तुक में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

(दो) समिति का विचार है कि प्रधान, चिट करार के उपबंधों के अधीन निर्धारित तारीख के पश्चात दी गई टिकटों किस्तों पर देय ब्याज तथा शास्ति सहित, यदि कोई हो; उसे देय सभी प्रकार की रकमों को प्राप्त करने का हकदार होना चाहिए।

इस खंड के उप खंड (1) में तदनुसार एक नया भाग (ग) जोड़ दिया गया है।

27. खंड 22–(एक) समिति ने नोट किया है कि प्रस्तावित विधान के उपबंधों के अधीन, चूंकि प्रधान बट्टे की कटौती किए बिना पहली किस्त के समय ही चिट की रकम प्राप्त करने का हकदार है, इसलिए चिट की पहली नीलामी, दूसरी किस्त से संबंधित होगी। इनाम की रकम सामान्यतः उससे आगामी इनाम निकालने की तारीख से पहले ही भुगतान के लिए देय होगी यदि प्रधान को अतिरिक्त इनाम की राशि अगला इनाम निकालने से पहले जमा करनी होती है तो इनाम की राशि के भुगतान के लिए देय होने से पहले ही उसे धनराशि जमा करनी होगी। समिति का विचार है कि प्रधान को किसी प्रकार की कठिनाई न होने देने की दृष्टि से उसे यह धनराशि किसी स्वीकृत बैंकरों अथवा खातों में तभी जमा करनी चाहिए जब ठीक अगली तारीख से पहले किसी इनाम निकालने के संबंध में रह जाती है।

इस खंड के उप खंड (2) में तदनुसार संशोधन किया गया है।

(दो) समिति को सूचित किया गया था कि एक ऐसी आकस्मिक स्थिति हो सकती है, जबकि इनामी अभिदाता या तो इनाम लेने से इंकार कर दे या पर्याप्त प्रतिभूति देने में असमर्थ रहे। ऐसे मामलों में प्रस्तावित विधान के उपबंधों के अधीन प्रधान इनाम की रकम एक स्वीकृत बैंक में जमा करेगा। ऐसे मामले हो सकते हैं कि इनाम की रकम जमा कराने के बाद भी इनामी अभिदाता उसे न निकाले। समिति का विचार है कि ऐसी आकस्मिकताओं से प्रधान को किसी प्रकार की कठिनाई न होने देने की दृष्टि से एक ऐसा उपबंध होना चाहिए जो इनाम निकालने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर इनामी अभिदाता द्वारा इनाम की राशि न दिए जाने पर किस्त के संबंध में प्रधान को दूसरा इनाम निकालने की अनुमति दे।

इस खंड के उप खंड (2) में तदनुसार एक नया परन्तुक जोड़ दिया गया है।

(तीन) इस खंड के उप खंड (ख) में किया गया संशोधन परिणामिक तथा स्पष्ट करने वाला है।

28. खंड 23—समिति को सूचित किया गया था कि जब कभी रजिस्ट्रार द्वारा प्रधान के रिकार्ड का निरीक्षण किया जाता है तो यह तर्क दिया जाता है कि रिकार्ड तथा लेखा पुस्तकें आदि पंजीकृत कार्यालय में, प्रधान के कारबार के स्थान या मुख्य स्थान में रखी हुई हैं और यदि ऐसा कार्यालय किसी अन्य राज्य में स्थित है तो रजिस्ट्रार उस रिकार्ड को नहीं देख पायेगा। ऐसे मामलों में रजिस्ट्रार प्रधान द्वारा किये जा रहे कारबार पर समुचित नियंत्रण और निरीक्षण नहीं रख सकेगा। इसलिए समिति का यह विचार है कि प्रधान के अभिलेख आदि न केवल प्रधान के पंजीकृत कार्यालय, स्थान या मुख्य स्थान में ही रखे होने चाहियें बल्कि यदि ऐसे स्थान उस राज्य से बाहर स्थित हैं जहां पंजीकृत कार्यालय स्थान या मुख्य स्थान स्थित है, तो एसे स्थानों में किये जा रहे कारबार के संबंध में अभिलेख आदि प्रधान के कारबार के स्थानों में भी रखे जाने चाहिये।

इसके अनुसार उक्त खंड को संशोधित कर दिया गया है।

29. खंड 26—इस खंड में किया गया संशोधन पारिणामिक है।

30. खंड 27—इस खंड में किया गया संशोधन व्याख्यात्मक है।

31. खंड 38—विधेयक के खंड 15 के स्थान पर एक नया खंड प्रतिस्थापित कर दिये जाने के कारण इस खंड में किये गये संशोधन पारिणामिक हैं।

32. खंड 39—विधेयक के खंड 15 में किये गये संशोधनों के कारण इस खंड में किया गया संशोधन पारिणामिक है।

33. खंड 40—समिति का यह विचार है कि इस खंड के भाग (ख) के अनुसार किसी चिट विशेष को सभी गैर इनामी, असंदत्त इनामी अभिदाताओं और प्रधान की सहमति से, जो स्वयं चिट में एक पार्टी भी है, समाप्त किया जाना चाहिए।

इस खंड के भाग (ख) में तदनुसार संशोधन किया गया है।

34. खंड 42—इस खंड में किये गये संशोधन व्याख्यात्मक हैं।

35. खंड 54—इस खंड में किया गया संशोधन व्याख्यात्मक है।

36. खंड 60—इस खंड में किया गया संशोधन व्याख्यात्मक है।

37. खंड 66—समिति का यह विचार है कि विवादों को सिविल न्यायालयों में ले जाने की अनुमति देने से न्यायालयों की लम्बी प्रक्रिया की वजह से विवादों के निपटान में काफी विलम्ब होगा और ऐसा करना विशेष रूप से अभिदाताओं के हितों के प्रतिकूल होगा।

इसलिए इस खंड की उपधारा (3) का लोप कर दिया गया है।

38. खंड 74—इस खंड में किया गया संशोधन परिणामी स्वरूप का है।

39. नया खंड 77—समिति ने विधेयक के विभिन्न उपबंधों के अधीन किये गये अपराधों के लिये खंड 76 में दी गई हुई शास्तियों पर विचार किया है। समिति यह महसूस करती है कि विधेयक में दूसरे और उसके बाद के अपराधों के लिये एक उपबंध शामिल किया जाना चाहिये और कारावास तथा जुर्माने की शास्ति का उपबंध किया जाना चाहिये।

इसलिये नया खंड 77 तदनुसार जोड़ दिया गया है।

40. खंड 1—इस खंड में किया गया संशोधन औपचारिक स्वरूप का है।

41. अधिनियमन सूत्र—अधिनियमन सूत्र में किया गया संशोधन औपचारिक स्वरूप का है।

42. प्रवर समिति सिफारिश करती है कि विधेयक को यथा संशोधित रूप में पारित किया जाये।

ईरा अनबरासु
सभापति,
प्रवर समिति।

नई दिल्ली;
24 नवम्बर, 1981

---

3 अग्रहायण, 1903 (शक)

विमत टिप्पण

मेरा विचार है कि प्रस्तावित विधान चिट कारबार के दुरुपयोग को न तो रोक सकेगा, न विनियमित कर सकेगा और न विनियमित ही कर सकेगा। प्रस्तावित कानून के लागू होने के बाद बेईमानी, धोखा और दुर्विनियोग के मामले और अधिक होने लगेंगे। कानूनी चिटें काले धन को सफेद धन में बदलने का एक सुरक्षित साधन बन जायेंगी।

मैं चिट कारबार के पूर्णतः विरुद्ध हूं और इसी कारण से इस प्रस्तावित विधान के भी विरुद्ध हूं।

कृष्ण कुमार गोयल

नयी दिल्ली;
[25 नवम्बर, 1981/4 अग्रहायण, 1903 (शक)
को प्राप्त]

चिट फंड विधेयक, 1980

खंडों का क्रम

अध्याय 1

प्रारम्भिक

खण्ड

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएं ।
3. अधिनियम का अन्य विधियों, तापन, अनुज्ञप्तियों आदि पर अध्यारोही होना ।

अध्याय 2

चिट का रजिस्ट्रीकरण, प्रारम्भ और चिट कारबार का संचालन

4. अधिनियम के अधीन मंजूर न किए गए या रजिस्ट्रीकृत न किए गए चिटों का प्रतिषेध ।
5. कुछ दशाओं को छोड़ कर अभिदाय के लिए मांग किए जाने का प्रतिषेध ।
6. चिट करार का प्ररूप ।
7. चिट करार का फाइल किया जाना ।
8. कम्पनी द्वारा चिट प्रारम्भ आदि करने और प्रारक्षित निधि का सृजन करने के लिए न्यूनतम पूंजी की अपेक्षाएं ।
9. चिट का प्रारम्भ ।
10. अभिदाताओं को चिट करार की प्रतियां का दिया जाना ।
11. "चिट", "चिट फण्ड", "चिट्टी" या "कुरी" शब्दों के प्रयोग का प्रतिषेध ।
12. कम्पनी द्वारा चिट कारबार से भिन्न कारबार का संव्यवहार करने का प्रतिषेध ।
13. चिट की कुल रकम ।
14. निधियों का उपयोग ।
15. चिट करार का परिवर्तन ।
16. चिट का संचालन करने की तारीख, समय और स्थान ।
17. कार्यवाहियों के कार्यवृत्त ।
18. कार्यवृत्तों की प्रतियों का रजिस्ट्रार के यहां फाइल किया जाना ।
19. कारबार का नया स्थान खोलने पर निर्बन्धन ।

अध्याय 3

प्रधान के अधिकार और कर्तव्य

20. प्रधान द्वारा दी जाने वाली प्रतिभूति ।
21. प्रधान के अधिकार ।
22. प्रधान के कर्तव्य ।
23. प्रधान द्वारा रखी जाने वाली बहियां, अभिलेख, आदि ।

खण्ड

24. तुलनपत्र ।

25. अभिदाताओं के प्रति प्रधान का दायित्व।

26. प्रधान का अलग हो जाना ।

अध्याय 4

गैर-इनामी अभिदाताओं के अधिकार और कर्तव्य

27. गैर-इनामी अभिदाता द्वारा अभिदायों का संदाय किया जाना और रसीद प्राप्त करना ।

28. व्यतिक्रमी अभिदाताओं का हटाया जाना।

29. अभिदाताओं का प्रतिस्थापन ।

30. व्यतिक्रमी अभिदाताओं से शोध्य रकमें ।

अध्याय 5

इनामी अभिदाताओं के अधिकार और कर्तव्य

31. इनामी अभिदाता द्वारा प्रतिभूति का दिया जाना।

32. इनामी अभिदाता द्वारा नियमित रूप से अभिदायों का संदाय किया जाना।

33. प्रधान द्वारा भावी अभिदायों की लिखित सूचना द्वारा मांग करना ।

अध्याय 6

अन्तरण

34. प्रधान के अधिकारों के अन्तरण पर निर्बन्धन।

35. गैर-इनामी अभिदाता के अधिकारों का अन्तरण लिखित रूप में होना ।

36. प्रधान द्वारा अन्तरण को मान्यता।

37. बहियों में अन्तरिती के नाम की प्रविष्टि ।

अध्याय 7

अभिदाताओं के साधारण निकाय के अधिवेशन

38. अभिदाता के साधारण निकाय के अधिवेशन ।

अध्याय 8

चिटों की समाप्ति

39. कतिपय मामलों में चिटों को बनाए रखने के लिए उपबन्ध।

40. चिटों की समाप्ति।

41. अनुमति या सहमति की प्रतिलिपि का रजिस्ट्रार के यहां फाइल किया जाना ।

42. गैर-इनामी अभिदाताओं के अभिदाय का वापस किया जाना।

43. अभिदाताओं को शोध्यों का चिट आस्तियों पर प्रथम भार होना।

अध्याय 9

दस्तावेजों का निरीक्षण

44. प्रधान द्वारा अभिदाता को चिट अभिलेखों का निरीक्षण करने देना।

45. प्रधान द्वारा चिट अभिलेखों का परिरक्षण।

46. रजिस्ट्रार द्वारा चिट बहियों और अभिलेखों का निरीक्षण ।

47. चिट बहियों और अभिलेखों का निरीक्षण करने की रिजर्व बैंक की शक्ति ।

अध्याय 10

चिटों का परिसमापन

48. वे परिस्थितियां जिनके अधीन चिट का परिसमापन किया जा सकेगा।

49. परिसमापन के लिए आवेदन ।

50. परिसमापन कार्यवाहियों का वर्जन ।

51. परिसमापन आदेश का प्रारंभ और प्रभाव ।

52. व्यादेश ।

53. रजिस्ट्रार की शक्तियां ।

54. रजिस्ट्रार या अन्य व्यक्तियों में चिट आस्तियों का निहित होना।

55. परिसमापन आदेश पर वादों आदि का रोका जाना।

56. परिसमापन आदेश का अधिसूचित किया जाना ।

57. प्रधान आदि के दिवालिया होने पर परिसमापन कार्यवाहियों का रोका जाना या कम्पनी का परिसमापन और ऐसी कार्यवाहियों का अन्तरण ।

58. प्रधान के लिए प्रतिकर का अधिनिर्णय ।

59. अपील करने का अधिकार ।

60. परिसीमा ।

अध्याय 11

अधिकारियों की नियुक्ति और फीस का उद्ग्रहण

61. रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति ।

62. रजिस्ट्रार के कार्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण ।

63. फीसों का उद्ग्रहण ।

अध्याय 12

विवाद और माध्यस्थम्

64. चिट कारबार से संबंधित विवाद ।

65. परिसीमा की अवधि ।

66. विवादों का निपटारा ।

67. विवादों के निपटारे के लिए प्रक्रिया और रजिस्ट्रार या नामनिर्देशिती की शक्ति ।

68. निर्णय और अन्य अन्तर्वर्ती आदेशों के पूर्व कुर्की ।

69. रजिस्ट्रार या नामनिर्देशिती का विनिश्चय ।

70. रजिस्ट्रार या नामनिर्देशिती के विनिश्चय के विरुद्ध अपील ।

71. धन कैसे वसूल किया जाएगा ।

72. प्रमाणपत्र के जारी किए जाने के पश्चात् किए गए सम्पत्ति के प्राइवेट अन्तरण का प्रधान के विरुद्ध शून्य होना।

खण्ड

अध्याय 13

प्रकीर्ण

73. रिजर्व बैंक का सलाह संबंधी कार्य ।

74. अपीलें ।

75. दस्तावेजें फाइल करने के लिए समय बढ़ाने की रजिस्ट्रार की शक्ति ।

76. शास्तियां ।

77. द्वितीय और पश्चात्वर्ती दोषसिद्धियों के लिए शास्ति ।

78. जुर्माने का उपयोजन ।

79. कम्पनियों द्वारा अपराध ।

80. अपराध का संज्ञान ।

81. अपराध का शमन करने की शक्ति ।

82. किसी स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने और दस्तावेज आदि का अभिग्रहण करने की शक्ति ।

83. अधिकारियों का लोक सेवक होना ।

84. प्रत्यायोजन की शक्ति ।

85. अधिनियम का कतिपय चिटों को लागू न होना ।

86. बैंकों द्वारा चिट कारबार का संचालन न किया जाना ।

87. छूट देने की शक्ति ।

88. इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही का संरक्षण ।

89. नियम बनाने की शक्ति ।

90. निरसन और व्यावृत्ति ।

अनुसूची

[चिट फंड बिल, 1980 का हिन्दी अनुवाद]

चिट फंड विधेयक, 1980

(जैसा प्रवर समिति ने रिपोर्ट किया है)

[जिन शब्दों के बाएं में या नीचे रेखाएं खिंची हैं, वे समिति द्वारा सुझाए गए संशोधन हैं। जहां तक तारक बिन्दु लगे हैं वहां लोप किया गया है]

चिट फंड के विनियमन और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम चिट फंड अधिनियम, 1981 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

1955 का 23 10 1959 का 38 1970 का 5

(क) "अनुमोदित बैंक" से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक, या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 के अधीन गठित समनुषंगी बैंक, या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के

अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक, या प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अधीन स्थापित प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खण्ड (ग) के अधीन परिभाषित बैंककारी कम्पनी, या उस अधिनियम की धारा 51 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित बैंककारी संस्था या कोई अन्य ऐसी बैंककारी संस्था अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के परामर्श से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित की जाए; 1976 का 21 1980 का 40 1949 का 10

(ख) "चिट" से कोई ऐसा संव्यवहार अभिप्रेत है, चाहे वह चिट, चिट फंड, चिट्टी, कुरी या किसी अन्य नाम से पुकारा जाता हो, जिसके द्वारा या जिसके अधीन कोई व्यक्ति, विनिर्दिष्ट संख्या में अन्य व्यक्तियों के साथ कोई करार करता है, कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित अवधि के लिए कालिक किस्तों के रूप में कुछ धनराशि का (या उसके बदले में अनाज की कुछ मात्रा का) अभिदाय करेगा और यह कि ऐसा प्रत्येक अभिदाता अपनी बारी पर, जो लाट द्वारा या नीलाम द्वारा या निविदा द्वारा या चिट करार में विनिर्दिष्ट अन्य रीति से अवधारित हो, इनामी रकम पाने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के अर्थ में कोई संव्यवहार उस दशा में चिट नहीं है जिसमें ऐसे संव्यवहार में,—

(i) अभिदाताओं में से कुछ किन्तु सभी नहीं, आगामी अभिदाय का संदाय किए बिना इनामी रकम प्राप्त करते हैं; या

(ii) सभी अभिदाता बारी-बारी से चिट की रकम आगामी अभिदाय का संदाय करने के दायित्व के साथ प्राप्त करते हैं;

(ग) "चिट करार" से ऐसी दस्तावेज अभिप्रेत है जिसमें प्रधान और अभिदाताओं के बीच चिट से सम्बन्धित करार-अनुच्छेद हों;

(घ) "चिट रकम" से सभी अभिदाताओं द्वारा चिट की किसी किस्त के लिए बट्टे की कोई कटौती किए बिना या अन्यथा संदेय अभिदायों की कुल रकम अभिप्रेत है;

(ङ) "चिट कारबार" से चिट के संचालन का कारबार अभिप्रेत है;

(च) "व्यतिक्रमी अभिदाता" से ऐसा अभिदाता अभिप्रेत है जिसने चिट कारबार के निबन्धनों के अनुसार शोध्य अभिदायों का संदाय करने में व्यतिक्रम किया है;

(छ) "बट्टा" से ऐसी धनराशि या अनाज की मात्रा अभिप्रेत है जो इनामी अभिदाता को चिट करार के निबन्धनों के अधीन छोड़नी पड़ती है और जो उक्त करार के अधीन चिट कारबार करने के व्यय के लिए या अभिदाताओं के बीच वितरण के लिए या दोनों के लिए अलग रखी जाती है;

(ज) "लाभांश" से चिट करार के अधीन बट्टे की उस रकम में से, जो चिट की प्रत्येक किस्त में अभिदाताओं के बीच आनुपातिक वितरण द्वारा उपलब्ध हो, अभिदाता का शेयर अभिप्रेत है;

(झ) "इनाम निकालना" से वह रीति अभिप्रेत है जो चिट की किसी किस्त में इनामी अभिदाता अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए चिट करार में विनिर्दिष्ट है;

(झ) "प्रधान" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो चिट करार के अधीन चिट के संचालन के लिए उत्तरदायी है और इसके अन्तर्गत धारा 39 के अधीन प्रधान के कृत्यों का निर्वहन करने वाला कोई व्यक्ति भी है;

(ट) "गैर-इनामी अभिदाता" के अन्तर्गत व्यतिक्रमी अभिदाता नहीं है;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) "इनामी रकम" से चिट रकम और बट्टे के बीच का अन्तर अभिप्रेत है और टिकट के किसी भाग की दशा में चिट रकम और टिकट के भाग के आनुपातिक बट्टे के बीच का अन्तर अभिप्रेत है तथा जब इनामी रकम नकद से भिन्न रूप में संदेय है तब इनामी रकम का मूल्य वह मूल्य होगा जब वह संदेय हो जाता है;

(ढ) "इनामी अभिदाता" से वह अभिदाता अभिप्रेत है जिसने इनामी रकम या तो प्राप्त कर ली है या पाने का हकदार है;

(ण) "रजिस्ट्रार" से धारा 59 के अधीन नियुक्त चिट रजिस्ट्रार अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उस धारा के अधीन नियुक्त अपर, संयुक्त, उप या सहायक रजिस्ट्रार भी है;

1934 का 2 (त) "रिजर्व बैंक" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक अभिप्रेत है ;

(थ) संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में "राज्य सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उस संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;

(द) "अभिदाता" के अन्तर्गत टिकट का कोई भाग धारण करने वाला कोई व्यक्ति और लिखित समनुदेशन द्वारा या विधि के प्रवर्तन द्वारा किसी टिकट या उसके किसी भाग का अन्तरिती भी है;

(ध) "टिकट" से टिकट में अभिदाता का शेयर अभिप्रेत है ।

3. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय—

अधिनियम का अन्य विधियों, ज्ञापन, अनुच्छेदों आदि पर अध्यारोही होना ।

(क) इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, या ज्ञापन या संगम-अनुच्छेदों या उप-विधियों में या किसी करार या किसी संकल्प में, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात्, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत, निष्पादित या पारित हो, किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे; और

(ख) उक्त ज्ञापन, अनुच्छेद, उप-विधियों, करार या संकल्प का कोई उपबन्ध जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध है, यथास्थिति, शून्य हो जाएगा या शून्य होगा ।

अध्याय 2

चिट का रजिस्ट्रीकरण, प्रारम्भ और चिट कारबार का संचालन

अधिनियम के अधीन मंजूर न किए गए या रजिस्ट्रीकृत न किए गए चिटों का प्रतिषेध ।

4. (1) कोई चिट उस राज्य सरकार की, जिसकी अधिकारिता के भीतर चिट प्रारम्भ की जानी है या उसका संचालन किया जाना है अथवा ऐसे अधिकारी की जो उस सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाए, पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना और जब तक कि चिट उस राज्य में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार रजिस्टर नहीं करा ली जाती है, प्रारम्भ नहीं की जाएगी या उसका संचालन नहीं किया जाएगा :

परन्तु यदि ऐसी मंजूरी की तारीख से छह मास के भीतर या ऐसी अवधि या अवधियों के भीतर, जो कुल मिलाकर बारह मास से अधिक नहीं होगी, जैसी राज्य-वार सरकार इस निमित्त उसे आवेदन किए जाने पर अनुज्ञात करे, चिट रजिस्टर नहीं करा ली जाती है तो इस उपधारा के अधीन प्राप्त मंजूरी व्यपगत हो जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन मंजूरी प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आवेदन प्रधान द्वारा ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पूर्व मंजूरी उस दशा में इंकार की जा सकेगी जब प्रधान—

(क) इस अधिनियम के अधीन या चिट कारबार का विनियमन करने वाले किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है ; या

(ख) उसने ऐसी फीस के संदाय में या ऐसे विवरण या अभिलेख फाइल करने में व्यतिक्रम किया है जो इस अधिनियम के अधीन संदत्त की जानी है या फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित है या उसने इस अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन बनाए गए नियमों का अतिक्रमण किया है ;

(ग) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है और ऐसे किसी अपराध के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है जब तक कि उसकी उन्मुक्ति से पांच वर्ष की अवधि न बीत गई हो :

परन्तु ऐसी किसी मंजूरी से इंकार करने से पूर्व प्रधान को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा ।

(4) राज्य सरकार का वह आदेश जिसके द्वारा पूर्व मंजूरी दी गई है या पूर्व मंजूरी देने से इंकार किया गया है, अन्तिम होगा और उपधारा (1) के अधीन सशक्त किए गए अधिकारी का वह आदेश, जिसके द्वारा पूर्व मंजूरी दी गई है या पूर्व मंजूरी देने से इंकार किया गया है, उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा ।

(5) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन सशक्त किए गए किसी अधिकारी द्वारा पूर्व मंजूरी देने से इंकार से व्यथित है, उसे ऐसे इंकार की संसूचना दिए जाने के तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और अपील में उस सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

कुछ दशाओं को छोड़कर अभिदाय के लिए मांग किए जाने का प्रतिषेध ।

5. कोई भी व्यक्ति जनता से किसी चिट में टिकटों के लिए अभिदाय करने के लिए मांग करने वाली अथवा किसी चिट के निबन्धनों और शर्तों को अन्तर्विष्ट करने वाली कोई सूचना, परिपत्र, प्रास्पेक्टस, प्रस्ताव या अन्य दस्तावेज तब तक जारी नहीं करेगा या नहीं कराएगा जब तक कि ऐसी सूचना, परिपत्र, प्रास्पेक्टस, या प्रस्ताव या अन्य दस्तावेज में ऐसी मंजूरी की विशिष्टियों के अतिरिक्त यह कथन न हो कि धारा 4 के अधीन अपेक्षित पूर्व मंजूरी प्राप्त कर ली गई है ।

चिट करार का प्रारूप ।

6. (1) प्रत्येक चिट करार दो प्रतियों में होगा और अभिदाताओं में से प्रत्येक द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत हो, और प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और कम से कम दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :—

(क) प्रत्येक अभिदाता का पूरा नाम और निवास-स्थान का पता ;

(ख) प्रत्येक अभिदाता द्वारा धारित टिकटों की संख्या जिसके अन्तर्गत किसी टिकट का भाग भी है ;

(ग) किस्तों की संख्या, प्रत्येक किस्त पर प्रत्येक टिकट के लिए संदेय रकम और ऐसी किस्तों के संदाय में कोई चूक होने पर संदेय ब्याज या शास्ति, यदि कोई हो;

(घ) चिट के प्रारम्भ की अधिसंभाव्य तारीख और चिट की अवधि ;

(ङ) प्रत्येक किस्त के इनामी अभिदाता को अभिनिश्चित करने की रीति ;

(च) बट्टे की वह अधिकतम रकम, जो किसी किस्त में इनामी अभिदाता को छोड़नी होगी ;

(छ) वह रीति और अनुपात जिसमें बट्टे को यथास्थिति, लाभांश, प्रधान के कमीशन या पारिश्रमिक या चिट चलाने के लिए व्यय के रूप में वितरित किया जा सकेगा ;

(ज) वह तारीख, समय और स्थान, जहां चिट का इनाम निकाला जाना है ;

(झ) वह किस्त, जिसमें प्रधान को चिट की रकम प्राप्त होगी है ;

(ञ) उस अनुमोदित बैंक या बैंकों के नाम, जिनमें चिट धन प्रधान द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जमा किए जाएंगे ;

(ट) जहां प्रधान एक व्यष्टि है, वहां वह रीति, जिसमें चिट उस समय बनाए रखी जाएगी, जब ऐसे व्यष्टि की मृत्यु हो जाती है, या वह विकृतचित्त हो जाता है या अन्यथा असमर्थ हो जाता है ;

(ठ) वे परिणाम जिनके लिए गैर-इनामी या इनामी अभिदाता या प्रधान उस दशा में दायी होगा जब चिट करार के किन्हीं उपबंधों का अतिक्रमण होता है ;

(ड) वे शर्तें जिनके अधीन कोई अभिदाता व्यतिक्रमी अभिदाता माना जाएगा;

(ढ) प्रधान द्वारा प्रस्थापित की जाने वाली प्रतिभूति की प्रकृति और विशिष्टियां ;

(ण) वे तारीखें और समय, जब प्रधान धारा 44 के उपबंधों के अधीन रहते हुए गैर-इनामी और अबंदत्त इनामी अभिदाताओं को चिट-अभिलेखों का निरीक्षण करने देगा ;

(त) प्रत्येक अभिदाता के उन नामनिर्देशितियों के नाम, अर्थात् उन व्यक्तियों के नाम जिनसे चिट के अधीन अभिदाता को प्रोद्भूत होने वाले लाभों का, अभिदाता की मृत्यु की दशा में, या जब वह करार करने के अन्यथा अयोग्य हो जाता है, संदाय किया जा सकेगा ; और

(थ) कोई अन्य विशिष्टियां, जो समय-समय पर, राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

स्पष्टीकरण— यदि करार की पृथक् प्रतियों पर प्रत्येक अभिदाता के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए जाते हैं तो वह इस धारा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त होगा ।

(2) चिट की अवधि उसके प्रारम्भ की तारीख से पांच वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि निम्नलिखित बातों को, अर्थात् :—

(क) प्रधान की वित्तीय दशा;

(ख) उसके कार्य करने का ढंग;

(ग) भावी अभिदाताओं के हित;

(घ) प्रतिभूति के बारे में अपेक्षाएं; और

(ङ) ऐसी अन्य बातें जो मामले की परिस्थिति में अपेक्षित हों,

ध्यान में रखते हुए चिट की अवधि बढ़ाना आवश्यक है तो वह उक्त अवधि को दस वर्ष तक बढ़ाने की अनुज्ञा दे सकेगी ।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (च) में निर्दिष्ट बट्टे की रकम चिट की रकम के तीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(4) जहां चिट की किसी किस्त में इनामी अभिदाता का अवधारण नीलाम द्वारा किया जाना है और एक से अधिक व्यक्ति अधिकतम बट्टा देने की प्रस्थापना करते हैं, वहां इनामी अभिदाता का अवधारण लाटरी द्वारा किया जाएगा ।

चिट करार का फाइल किया जाना ।

7. (1) प्रधान प्रत्येक चिट करार की दो प्रतियां रजिस्ट्रार के यहां फाइल करेगा ।

(2) रजिस्ट्रार चिट करार की एक प्रति रखेगा और दूसरी प्रति प्रधान को इस पृष्ठांकन सहित लौटा देगा कि चिट करार रजिस्टर कर लिया गया है ।

परन्तु रजिस्ट्रार निम्नलिखित आधारों में से किसी पर चिट करार को रजिस्टर करने से इंकार कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 20 के अधीन प्रधान द्वारा प्रख्यापित प्रतिभूति अपर्याप्त है, या

(ख) प्रधान इस अधिनियम के अधीन या चिट कारबार का विनियमन करने वाले किसी अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है; या

(ग) प्रधान ने ऐसी फीसों का संदाय करने में विवरणों या अभिलेखों को फाइल करने में व्यतिक्रम किया है, जिनका इस अधिनियम के अधीन संदाय किया जाना या फाइल किया जाना अपेक्षित है, अथवा इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए नियमों का अतिक्रमण किया है :

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक के अधीन किसी चिट को रजिस्टर करने से इंकार करने के पूर्व प्रधान को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किया गया प्रत्येक पृष्ठांकन इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि चिट इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्टर कर ली गई है और किसी चिट का रजिस्ट्रीकरण व्यगत हो जाएगा, यदि प्रधान द्वारा धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा ऐसे पृष्ठांकन की तारीख से तीन मास के भीतर या कुल मिलाकर तीन मास से अनधिक की ऐसी अतिरिक्त अवधि या अवधियों के भीतर, जो कि रजिस्ट्रार अपने को इस निमित्त आवेदन किए जाने पर अनुज्ञात करे, फाइल नहीं की जाती है ।

कम्पनी द्वारा चिट प्रारम्भ आदि करने और प्रतिरक्षित निधि का सृजन करने के लिए न्यूनतम पूंजी की अपेक्षाएं ।

8. (1) कम्पनी अधिनियम, 1956 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई कम्पनी चिट कारबार का प्रारम्भ या संचालन तब तक नहीं करेगी, जब तक कि उसके पास कम से कम एक लाख रुपए की समादत्त शेयर पूंजी न हो । 1956 का 1

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ पर ऐसी प्रत्येक कम्पनी, जिसकी समादत्त शेयर पूंजी एक लाख रुपए से कम है और जो चिट कारबार का संचालन कर रही है, ऐसे प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पूर्व, अपनी समादत्त शेयर पूंजी को बढ़ाकर कम से कम एक लाख रुपए तक करेगी :

परन्तु यदि राज्य सरकार लोक हित में या कोई कठिनाई दूर करने के लिए यह आवश्यक समझती है तो वह किसी कम्पनी की बाबत तीन वर्ष की उक्त अवधि को ऐसी और अवधि या अवधियों के लिए बढ़ा सकेगी, जो कुल मिलाकर दो वर्ष से अधिक न हों :

परन्तु यह और कि ऐसी कोई कम्पनी ऐसी कोई नई चिट जिसकी अवधि तीन वर्ष की उक्त अवधि से या प्रथम परन्तुक के अधीन बढ़ाई गई ऐसी अवधि या अवधियों से अधिक हो, तब तक प्रारम्भ नहीं करेगी जब तक कि वह अपनी समादत्त पूंजी को कम से कम एक लाख रुपए तक नहीं बढ़ा देती है ।

(3) चिट का कारबार करने वाली प्रत्येक कम्पनी आरक्षित निधि स्थापित करेगी और उसे बनाए रखेगी और उस आरक्षित निधि में प्रत्येक वर्ष के लाभ के प्रतिशेष का, जो उसके शेयरों पर कोई लाभांश घोषित किए जाने से पूर्व उसके लाभ और हानि लेखा में प्रकट हुआ हो, कम से कम दस प्रतिशत के बराबर रकम अन्तरित करेगी ।

(4) कोई भी कम्पनी रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से ही आरक्षित निधि में से किसी राशि या राशियों का विनियोजन करेगी, अन्यथा नहीं और ऐसा अनुमोदन प्राप्त करने के लिए वह रजिस्ट्रार को विहित प्ररूप में आवेदन करेगी जिसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया जाएगा जो ऐसे विनियोजन के सम्बन्ध में हों ।

चिट का प्रारम्भ ।

9. (1) प्रत्येक प्रधान चिट करार में विनिर्दिष्ट सभी टिकटों का पूर्णतया अभिदाय हो जाने के पश्चात् इस आशय की घोषणा रजिस्ट्रार के यहां फाइल करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन घोषणा फाइल किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, रजिस्ट्रार अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि चिट की मंजूरी, रजिस्ट्रीकरण तथा अन्य विषयों से संबंधित अपेक्षाओं का सम्यक् रूप से पालन कर लिया गया है, प्रधान को चिट प्रारम्भ करने का प्रमाणपत्र प्रदान करेगा ।

(3) कोई भी प्रधान कोई नीलाम तब तक प्रारम्भ नहीं करेगा या किसी चिट का इनाम तब तक नहीं निकालेगा या किसी चिट की रकम का विनियोजन तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रारम्भ का प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लिया हो ।

अभिदाताओं को चिट करार की प्रतियों का दिया जाना ।

10. (1) प्रधान धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन प्रारम्भ का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के यथाशीघ्र पश्चात्, किन्तु चिट का प्रथम इनाम निकालने की तारीख के पश्चात् नहीं, प्रत्येक अभिदाता को चिट करार की एक प्रति देगा जो उसकी प्रमाणित सही प्रति हो ।

(2) प्रधान उस मास की, जिसमें चिट की प्रथम किस्त का इनाम निकाला जाता है, समाप्ति के पश्चात् पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रार के यहां इस आशय का प्रमाणपत्र फाइल करेगा कि उपधारा (1) के उपबन्धों का पालन किया गया है ।

"चिट", "चिट फण्ड", "चिट्टी" या "कुरी" शब्दों का प्रयोग ।

11. (1) कोई भी व्यक्ति चिट कारबार का संचालन तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह अपने नाम के भाग के रूप में "चिट", "चिट फण्ड", "चिट्टी" या "कुरी" शब्दों में से किसी शब्द का प्रयोग नहीं करता है और चिट का कारबार करने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई भी व्यक्ति अपने नाम के भाग के रूप में ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं करेगा ।

(2) जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ पर,—

(क) कोई व्यक्ति अपने नाम के भाग के रूप में ऐसे शब्दों में से जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं, किसी का, प्रयोग किए बिना चिट कारबार कर रहा है ; या

(ख) कोई ऐसा व्यक्ति जो चिट कारबार नहीं कर रहा है, अपने नाम के भाग के रूप में ऐसे किसी शब्द का प्रयोग कर रहा है,

वहां वह ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के भीतर, यथास्थिति, ऐसे किसी शब्द को अपने नाम के भाग के रूप में जोड़ लेगा या ऐसे शब्द को अपने नाम में से हटा देगा :

परन्तु यदि राज्य सरकार लोक हित में या किसी कठिनाई का निवारण करने के लिए आवश्यक समझती है तो वह एक वर्ष की उक्त अवधि को, कुल

मिलाकर एक वर्ष से अनधिक की ऐसी अतिरिक्त अवधि या अवधियों से विस्तारित कर सकेगी ।

कम्पनी द्वारा चिट कारबार से भिन्न कारबार का संव्यवहार करने का प्रतिषेध ।

12. (1) कोई कम्पनी, जो चिट कारबार कर रही है, राज्य सरकार की साधारण या विशेष अनुज्ञा के बिना किसी अन्य कारबार का संचालन नहीं करेगी ।

(2) जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ पर कोई कम्पनी चिट कारबार के अतिरिक्त कोई कारबार कर रही है वहां वह ऐसे प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि का अवसान होने से पूर्व उस अन्य कारबार का परिसमापन करेगी :

परन्तु यदि राज्य सरकार लोक हित में या किसी कठिनाई से बचने के लिए आवश्यक समझती है तो वह तीन वर्ष की उक्त अवधि को ऐसी अतिरिक्त अवधि या अवधियों तक बढ़ा सकेगी जो कुल मिलाकर दो वर्ष से अधिक नहीं होंगी ।

चिट की कुल रकम ।

13. (1) कोई प्रधान जो फर्म या अन्य व्यष्टि-संगम या कम्पनी या सहकारी सोसाइटी से भिन्न हो, ऐसी कोई चिट प्रारंभ नहीं करेगा या उसका संचालन नहीं करेगा जिसकी रकम किसी समय पर पच्चीस हजार रुपयों से अधिक हो जाती है ।

(2) जहां प्रधान कोई फर्म या अन्य व्यष्टि-संगम है वहां ऐसी फर्म या अन्य संगम द्वारा संचालित चिटों की कुल चिट रकम किसी भी समय,—

(क) जहां फर्म के भागीदारों की संख्या या संगम गठित करने वाले व्यष्टियों की संख्या चार से कम नहीं है वहां एक लाख रुपए की राशि ;

(ख) किसी अन्य दशा में, प्रत्येक ऐसे भागीदार या व्यष्टि के सम्बन्ध में पच्चीस हजार रुपए के आधार पर संगणित राशि से अधिक नहीं होगी ।

(3) जहां प्रधान कोई कम्पनी या सहकारी सोसाइटी है वहां उसके द्वारा चिटों की कुल चिट रकम किसी समय पर, यथास्थिति कम्पनी या सहकारी सोसाइटी की संचालित शुद्ध स्वामिक निधियों के दस गुने से अधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण — इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "शुद्ध स्वामिक निधियां" से कम्पनी या सहकारी सोसाइटी के अंतिम लेखासंपरीक्षित तुलनपत्र में यथाप्रकटित समादत्त पूंजी और खुली आरक्षितियों का योग, जो कि उसमें से उक्त तुलनपत्र में यथाप्रकटित हानि, आस्थगित राजस्व, व्यय और अन्य अमूर्त आस्तियों के, यदि कोई हों, संचित प्रतिशेष की रकम को घटा कर आए, अभिप्रेत है ।

निधियों का उपयोग ।

14. (1) चिट कारबार करने वाला कोई व्यक्ति अपने कारबार के संबंध में संगृहीत धन (जो ऐसे व्यक्ति को संदेय कमीशन या पारिश्रमिक अथवा किसी व्यतिक्रमी अभिदाता से प्राप्त ब्याज या शास्ति से, यदि कोई हो, भिन्न है) का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ही करेगा और इनसे भिन्न किसी प्रयोजन के लिए नहीं करेगा :—

(क) चिट कारबार करना, या

(ख) गैर-इनामी अभिदाताओं द्वारा संदत्त अभिदायों की प्रतिभूति पर उन्हें उधार और अग्रिम देना, या

(ग) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 के अर्थ में न्यास प्रतिभूतियों में विनिहित करना, या 1882 का 2

(घ) चिट करार में वर्णित अनुमोदित बैंकों में निक्षेप करना ।

(2) जहां चिट का कारबार करने वाले किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व ऐसे कारबार के सम्बन्ध में संगृहीत धन का उपयोग उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए किया है वहां वह यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे धन का उतना भाग जो ऐसे प्रारम्भ के पूर्व वसूल नहीं किया गया है, ऐसे प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व वसूल किया जाए :

परन्तु यदि राज्य सरकार, आवश्यक समझे, तो वह लोकहित में या कठिनाई से बचने के लिए तीन वर्ष की उक्त अवधि ऐसी और अवधि या अवधियों के लिए बढ़ा सकेगी जो कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक न हों ।

चिट करार का परिवर्तन ।

15. चिट करार को प्रधान और उस चिट के सभी अभिदाताओं की लिखित सम्मति से ही परिवर्तित, परिवर्धित या रद्द किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

चिटों का संचालन करने की तारीख, समय और स्थान ।

16. (1) प्रत्येक चिट में इनाम, चिट करार में वर्णित तारीख, समय और स्थान पर निकाला जाएगा और प्रधान द्वारा सभी अभिदाताओं को उसकी सूचना ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, जारी की जाएगी ।

(2) प्रत्येक ऐसा इनाम चिट करार के उपबंधों के अनुसार और कम से कम दो अभिदाताओं की उपस्थिति में संचालित किया जाएगा ।

(3) यदि रजिस्ट्रार आवश्यक समझे तो वह निदेश दे सकेगा कि इनाम की रकम उसकी उपस्थिति में या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त किसी व्यक्ति की उपस्थिति में निकाली जाएगी ।

कार्यवाहियों के कार्यवृत्त ।

17. (1) प्रत्येक इनाम निकालने की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त इनाम निकालने की समाप्ति के तुरन्त बाद तैयार किए जाएंगे और उस प्रयोजन के लिए रखी जाने वाली बही में दर्ज किए जाएंगे और उन पर प्रधान द्वारा इनामी अभिदाताओं द्वारा, यदि उपस्थित हों, या उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं द्वारा और कम से कम दो ऐसे अन्य अभिदाताओं द्वारा जो उपस्थित हों और जहां धारा 16 की उपधारा (3) में निदेश दिया गया है वहां रजिस्ट्रार द्वारा या उस धारा के अधीन उसके द्वारा प्रतिनियुक्त व्यक्ति द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यवृत्तों में निम्नलिखित बातों का स्पष्ट रूप से कथन होगा :—

(क) किस तारीख को और किस समय कार्यवाहियां आरंभ हुईं और समाप्त हुईं और किस स्थान पर इनाम निकाला गया,

(ख) चिट की किस्त का संख्यांक जिससे कार्यवाहियां संबंधित हैं,

(ग) उपस्थित अभिदाताओं के नाम,

(घ) वह व्यक्ति या वे व्यक्ति जो किस्त में इनाम की रकम के हकदार हुए,

(ङ) बट्टे की रकम,

(च) असंदत्त इनाम की रकम के, यदि कोई हो, व्ययन की बाबत पूर्ण विशिष्टियां, और

(छ) कोई अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं ।

कार्यवृत्तों की प्रतियों का रजिस्ट्रार के यहां फाइल किया जाना ।

18. प्रत्येक इनाम निकालने की कार्यवाहियों के कार्यवृत्तों की सही प्रतिलिपि, जो उस रूप में प्रधान द्वारा प्रमाणित की गई हो, प्रधान द्वारा रजिस्ट्रार के यहां ऐसे इनाम की तारीख से, जिससे वह सम्बन्धित है, इक्कीस दिन के भीतर, फाइल की जाएगी ।

कारबार का नया स्थान खोलने पर निर्बन्धन

19. (1) चिट कारबार करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे रजिस्ट्रार की, जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, यथास्थिति, उस व्यक्ति का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या कारबार का मुख्य स्थान स्थित है, पूर्व अनुमोदन के बिना कारबार का कोई नया स्थान नहीं खोलेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुमोदन देने के पूर्व, रजिस्ट्रार उस राज्य के रजिस्ट्रार से, जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर कारबार का नया स्थान खोलने की प्रस्थापना है, परामर्श करेगा और प्रधान की वित्तीय स्थिति और

संचालन की प्रणाली और कारबार का स्थान खोलने से कहां तक लोकहित की पूर्ति होगी तथा ऐसी अन्य बातों को ध्यान में रखेगा जो विहित की जाएं ।

(3) जहां चिट कारबार करने वाला कोई व्यक्ति उस राज्य से जिसमें उसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या उसके कारबार का स्थान या मुख्य स्थान स्थित है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् उद्गम वाला राज्य कहा गया है) भिन्न किसी ऐसे राज्य में (कारबार का नया स्थान खोलता है) वहां उस राज्य का रजिस्ट्रार जिसमें कारबार का ऐसा नया स्थान खोला जाता है ऐसी किन्ही भी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन भी कर सकेगा जो कारबार के ऐसे नए स्थान पर किए जा रहे चिट कारबार के बारे में उद्गम वाले राज्य के रजिस्ट्रार द्वारा प्रयोग की और पालन की जा सकती हैं।

(4) इस धारा के प्रयोजन के लिए, "कारबार का स्थान" के अन्तर्गत कोई शाखा कार्यालय, उप-कार्यालय और कारबार का वह स्थान भी होगा, जहां ऐसे व्यक्ति द्वारा चिट कारबार का संचालन किया जाए ।

अध्याय 3

प्रधान के अधिकार और कर्तव्य

प्रधान द्वारा दी जाने वाली प्रतिभूति ।

20. (1) चिट के उचित संचालन के लिए प्रत्येक प्रधान, धारा 4 के अधीन पूर्व मंजूरी के लिए आवेदन करने के पूर्व,—

(क) * * * किसी अनुमोदित बैंक में चिट रकम के बराबर की रकम रजिस्ट्रार के नाम जमा करेगा ; या

(ख) चिट रकम के कम से कम डेढ़ गुने अंकित मूल्य या बाजार मूल्य को (जो भी कम हो) सरकारी प्रतिभूतियों का रजिस्ट्रार के पक्ष में अन्तरण करेगा ; या

(ग) ऐसी अन्य प्रतिभूतियों का, जो ऐसी प्रतिभूतियां हों जिनमें भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 के अधीन कोई न्यासी विनिधान करे और जो ऐसे मूल्य की हों जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किया जाए रजिस्ट्रार के पक्ष में अंतरण करेगा : 1882 का 4

परन्तु खण्ड (ग) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का मूल्य, किसी भी दशा में, चिट की रकम के मूल्य से डेढ़ गुने से कम नही होगा ।

(2) जहां कोई प्रधान एक से अधिक चिटों का संचालन करता है वहां वह प्रत्येक चिट के सम्बन्ध में उपधारा (1) के उपबंध के अनुसार प्रतिभूति देगा ।

(3) रजिस्ट्रार, चिट के चालू रहने के दौरान किसी भी समय प्रतिभूति के प्रतिस्थापन की अनुज्ञा दे सकेगा :

परन्तु प्रतिस्थापित प्रतिभूति का अंकित मूल्य या बाजार मूल्य (जो भी कम हो) प्रधान द्वारा उपधारा (1) के अधीन दी गई प्रतिभूति से कम नहीं होगा ।

(4) प्रधान द्वारा उपधारा (1) के अधीन दी गई प्रतिभूति या उपधारा (3) के अधीन प्रतिस्थापित कोई प्रतिभूति किसी डिक्री के निष्पादन में कुर्की के लिए या अन्यथा तब तक दायी नहीं होगी जब तक चिट समाप्त न हो जाए और सभी अभिदाताओं के दावों की पूर्ण रूप से तुष्टि नहीं हो जाती है ।

(5) जहां चिट समाप्त हो जाती है और स्वयं रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि सभी अभिदाताओं के दावे पूर्णतः तुष्ट हो गए हैं वहां वह, यथास्थिति, प्रधान द्वारा उपधारा (1) के अधीन दी गई प्रतिभूति को अथवा उपधारा (3) के अधीन प्रतिस्थापित प्रतिभूति की निर्मुक्ति का आदेश करेगा और ऐसा करते समय, वह ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विहित की जाए ।

(6) उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन दी गई प्रतिभूति के सम्बन्ध में उस चिट के चालू रहने के दौरान, जिससे वह सम्बन्धित है, प्रधान द्वारा कार्यवाही नहीं की जाएगी और उसके सम्बन्ध में अन्तरण या अन्य विल्लंबम के तौर पर प्रधान द्वारा की गई कोई कार्यवाही अक्षत और शून्य होगी।

प्रधान के अधिकार ।

21. (1) प्रधान—

(क) चिट करार में इसके प्रतिकूल किसी उपबंध के न होने पर, चिट करार में विनिर्दिष्ट बट्टे की कटौती के बिना, प्रथम किस्त में चिट रकम प्राप्त करने का, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि वह चिट में टिकट के लिए अभिदाय करेगा, हकदार होगा :

परन्तु जहां किसी दशा में प्रधान ने चिट में एक टिकट से अधिक टिकट के लिए अभिदाय किया है वहां वह बिना बट्टे की चिट में चिट की रकम से अधिक रकम प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा ;

(ख) ऐसी रकम का जो चिट रकम के पांच प्रतिशत से अधिक न हो, और जो चिट करार में कमीशन, पारिश्रमिक या चिट चलाने के खर्चे को पूरा करने के लिए चिट करार में नियत की जाए, हकदार होगा ;

(ग) उस ब्याज और शास्ति का, यदि कोई हो, जो किस्तों के संदाय में किसी व्यतिक्रम पर संदेय हैं तथा ऐसी अन्य रकमों को जो उसे चिट करार के उपबंधों के अधीन संदेह हों, हकदार होगा।

(घ) अभिदाताओं से सभी अभिदायों को प्राप्त करने और वसूल करने और इनामी अभिदाताओं में इनाम की रकम का वितरण करने का हकदार होगा ;

(ङ) किसी इनामी अभिदाता से उसके द्वारा संदेय भावी अभिदायों के सम्यक् संदाय के लिए पर्याप्त प्रतिभूति की मांग करने का हकदार होगा ।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए कोई प्रतिभूति पर्याप्त तब समझी जाएगी जब उसका मूल्य एक-तिहाई से अधिक हो या उसमें ऐसी स्थावर सम्पत्तियां हों, जिनका मूल्य इनामी अभिदाता से शोध्य रकम के डेढ़ गुने से अधिक हो ;

(च) व्यतिक्रमी अभिदाताओं के स्थान पर दूसरे अभिदाताओं को रखने का हकदार होगा ; और

(छ) ऐसे अन्य कार्य जो चिट के सम्यक् और उचित संचालन के लिए आवश्यक हों करने का हकदार होगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतिभूति के रूप में प्रस्थापित सम्पत्ति के मूल्य से सम्बन्धित कोई विवाद उत्पन्न होता है वहां उसे धारा 64 के अधीन रजिस्ट्रार के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किया जाएगा ।

प्रधान के कर्तव्य ।

22. (1) प्रधान इनामी अभिदाता द्वारा भावी अभिदायों के सम्यक् संदाय के लिए पर्याप्त प्रतिभूति दिए जाने पर, उसे इनाम की रकम देने के लिए आबद्ध होगा :

परन्तु इनामी अभिदाता किसी भी प्रकार की किसी प्रतिभूति के बिना सभी भावी अभिदायों की कटौती की जाने के पश्चात् इनाम की रकम का संदाय पाने का हकदार होगा और ऐसी दशा में प्रधान इनाम की रकम का संदाय इनाम निकलने के पश्चात् सात दिन के भीतर और ठीक आगामी किस्त की तारीख के पूर्व, इसमें से जो भी पहले हो, संदाय करेगा :

परन्तु यह और कि जहां प्रथम परन्तुक के अधीन इनाम की रकम इनामी अभिदाता को संदत्त कर दी गई है, वहां काटी गई रकम प्रधान द्वारा चिट करार में वर्णित किसी

अनुमोदित बैंक में जमा की जाएगी और इस प्रकार जमा की गई रकम को वह, भावी अभिदायों के संदाय करने के सिवाय, नहीं निकालेगा ।

(2) यदि किसी इनाम के निकलने के सम्बन्ध में शोध्य इनाम की रकम इनामी अभिदाता के व्यतिक्रम के कारण ठीक आगामी किस्त की तारीख तक असंदत्त रह जाती है, तो प्रधान उस रकम को उस अनुमोदित बैंक में जो चिट करार में वर्णित है, एक पृथक खाते में तत्काल जमा कर देगा और ऐसे जमा करने के तथ्य की लिखित सूचना और उसके कारण इनामी अभिदाता और रजिस्ट्रार को देगा :

परन्तु जहां कोई इनामी अभिदाता, किसी चिट की किसी किस्त की बाबत इनामी रकम को इनाम निकलने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर वसूल नहीं कर लेता है, वहां प्रधान को यह स्वतंत्रता होगी कि वह ऐसी किस्त की बाबत एक अन्य इनाम आयोजित करे ।

(3) इनाम की रकम के प्रत्येक संदाय की, या उपधारा (1) के अधीन भावी अभिदायों की रकम और उपधारा (2) के अधीन इनाम की रकम जमा किए जाने की सूचना ठीक आगामी इनाम निकलने के समय अभिदाताओं को दी जाएगी और ऐसे संदाय या जमा की विशिष्टियां उस इनाम निकलने की कार्यवाहियों के कार्यवृत्तों में दर्ज की जाएंगी ।

(4) प्रधान धारा 21 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन जितनी रकम के लिए हकदार है उससे अधिक किसी रकम को अपने लिए विनियोजित नहीं करेगा :

परन्तु जहां प्रधान स्वयं इनामी अभिदाता है, वहां वह धारा 31 के उपबन्धों का अनुपालन करते हुए इनाम की रकम को अपने लिए विनियोजित करने का हकदार होगा :

परन्तु यह और कि प्रधान उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन जमा की गई रकम पर प्रोद्भूत होने वाले ब्याज को अपने लिए विनियोजित कर सकेगा ।

(5) प्रधान किसी व्यक्ति को चिट के अभिदाता के रूप में उस दशा में सम्मिलित नहीं करेगा जब ऐसे सम्मिलित किए जाने से चिट करार में वर्णित टिकटों की कुल संख्या में वृद्धि हो जाती है ।

(6) प्रधान, चिट करार के अनुसार लाभांश को अभिदाताओं में या तो नकद, अनाज के रूप में या उनके अगामी किस्तों के लिए, यदि कोई हों, संदेय अभिदायों में समायोजित करके वितरित करेगा ।

प्रधान द्वारा रखी जाने वाली बहियां, अभिलेख, आदि ।

23. प्रधान, यथास्थिति, अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में या कारबार के स्थान या मुख्य स्थान में, अथवा जहां प्रधान का उस राज्य से, जिसमें उसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या उसके कारबार का मुख्य स्थान स्थित है, भिन्न राज्य में, चिट कारबार के संचालन के लिए कोई शाखा कार्यालय, उप कार्यालय या कोई कारबार स्थान है, ऐसे शाखा कार्यालय, उप कार्यालय या कारबार स्थान में, उस राज्य में संचालित कारबार की बाबत--

(क) एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी :—

(i) प्रत्येक चिट में अभिदाताओं के नाम और पूरे पते तथा प्रत्येक अभिदाता द्वारा धृत टिकटों की संख्या ;

(ii) वे तारीखें जिनको अभिदाताओं ने चिट करार पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(iii) अभिदाता द्वारा टिकट के समनुदेशन की दशा में, समनुदेशिती का नाम और पूरा पता तथा समनुदेशन की तारीख तथा और वह तारीख जिसको समनुदेशन को प्रधान द्वारा मान्यता दी गई है ;

(ख) एक बही रखेगा, जिसमें प्रत्येक इनाम निकालने की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त होंगे;

(ग) एक लेजर रखेगा, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी:—

(i) प्रत्येक चिट में अभिदाताओं द्वारा संदत्त रकम और ऐसे संदायों की तारीखें;

(ii) इनामी अभिदाताओं को संदत्त रकमें और ऐसे संदायों की तारीखें; और

(iii) चिट करार में उल्लिखित किसी अनुमोदित बैंक में जमा की दशा में ऐसे जमा की जाने की तारीख और रकम;

(घ) विहित प्ररूप में एक रजिस्टर रखेगा जिसमें प्रधान द्वारा अपने कार्यालय में संचालित सभी चिटों की बाबत अनुमोदित बैंकों में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित जमा की गई रकमें दर्शित होंगी ; और

(ङ) ऐसे अन्य रजिस्टरों और बहियों को ऐसे प्ररूप में रखेगा, जो उस राज्य सरकार द्वारा, जिसकी अधिकारिता के भीतर चिट संचालित की जाती है, विहित किया जाए ।

तुलनपत्र ।

1956 का 1

24. कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक प्रधान, यथास्थिति, प्रत्येक कलैण्डर वर्ष की या प्रधान के वित्तीय वर्ष की अन्तिम तारीख को यथाविद्यमान तुलनपत्र और लेखा वर्ष से सम्बन्धित लाभ-हानि लेखा तैयार करेगा और रजिस्ट्रार के यहां फाइल करेगा जो अनुसूची के भाग 1 और भाग 2 में उपवर्णित प्ररूप में या उससे मिलते-जुलते ऐसे प्ररूप में होगा जो चिट कारबार की परिस्थितियों के अनुकूल हो और जिसकी लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन लेखापरीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए अर्हित लेखापरीक्षकों द्वारा या धारा 61 के अधीन नियुक्त चिट-लेखापरीक्षक द्वारा की गई हो :

1956 का 1

परन्तु जहां किसी तुलनपत्र की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन लेखापरीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए अर्हित लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, वहां धारा 61 के अधीन नियुक्त चिट-लेखापरीक्षक को तुलनपत्र की किसी भी समय लेखापरीक्षा करने का अधिकार होगा यदि वह रजिस्ट्रार द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो ।

अभिदाताओं के प्रति प्रधान का दायित्व ।

25. (1) प्रत्येक प्रधान अभिदाताओं को उन रकमों का हिसाब देने का दायी होगा जो उन्हें शोध्य हैं ।

(2) जहां एक से अधिक व्यक्ति किसी चिट में प्रधान के रूप में हैं, वहां उनमें से प्रत्येक संयुक्ततः या पृथक्कृतः और यदि प्रधान कोई फर्म या अन्य व्यष्टि निकाय हैं, तो उसका प्रत्येक भागीदार या व्यष्टि संयुक्ततः और पृथक्कृतः, और यदि प्रधान कोई कम्पनी है तो उस रूप में कम्पनी चिट से उत्पन्न होने वाली बाध्यताओं के सम्बन्ध में अभिदाताओं के प्रति दायी होगी ।

प्रधान का अलग हो जाना ।

26. (1) कोई प्रधान, या जहां एक से अधिक व्यक्ति किसी चिट में प्रधान के रूप में हैं, वहां उनमें से कोई अपने-को चिट से तब तक अलग नहीं करेगा, जब तक वह समाप्त नहीं हो जाती है और जब तक कि अलग होने के बारे में गैर-इनामी और असंदत्त इनामी अभिदाताओं द्वारा लिखित रूप में अनुमति नहीं दे दी जाती है और ऐसी अनुमति की एक प्रति धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रार के यहां फाइल नहीं कर दी जाती है ।

(2) चिट के प्रधानों में से एक प्रधान के उससे अलग हो जाने से धारा 20 या धारा 31 के अधीन उसके द्वारा दी गई प्रतिभूति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अध्याय 4

गैर-इनामी अभिदाताओं के अधिकार और कर्तव्य

गैर-इनामी अभिदाता द्वारा अभिदायों का संदाय किया जाना और रसीद प्राप्त करना ।

27. प्रत्येक गैर-इनामी अभिदाता प्रत्येक किस्त की बाबत शोध्य अपना अभिदाय चिट करार में वर्णित तारीखों और समयों तथा स्थानों पर करेगा और ऐसा संदाय करने पर प्रधान से रसीद पाने का हकदार होगा ।

व्यतिक्रमी अभिदाताओं का हटाया जाना ।

28. (1) ऐसे गैर-इनामी अभिदाता का नाम जो चिट करार के निबंधनों के अनुसार अपने अभिदाय का संदाय करने में व्यतिक्रम करता है, अभिदाताओं की सूची में से हटाया जा सकेगा और ऐसे हटाए जाने की लिखित सूचना प्रधान द्वारा व्यतिक्रमी अभिदाता को ऐसे हटाए जाने के चौदह दिन के भीतर दी जाएगी :

परन्तु यदि व्यतिक्रमी व्यतिक्रम की गई किस्त का संदाय, ऐसी दर पर ब्याज सहित जो विहित की जाए, ऐसी सूचना की प्राप्ति के सात दिन के भीतर कर देता है, तो उसका नाम ऐसे अभिदाताओं की सूची में पुनः प्रविष्ट कर लिया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन ऐसे हटाए जाने को, प्रधान द्वारा रखी गई संबंधित पुस्तक में हटाए जाने की तारीख सहित प्रविष्ट किया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रविष्टि की सही प्रतिलिपि ऐसे हटाए जाने की तारीख से चौदह दिन के भीतर प्रधान द्वारा रजिस्ट्रार के यहां फाइल की जाएगी ।

(4) जो कोई व्यतिक्रमी अभिदाता अभिदाताओं की सूची से अपना नाम हटाए जाने से व्यथित है, वह हटाए जाने की सूचना की प्राप्ति से सात दिन के भीतर मामले को धारा 62 के अधीन माध्यस्थम् के लिए रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट कर सकता है ।

अभिदाताओं का प्रतिस्थापन ।

29. (1) प्रधान, अभिदाताओं की सूची में उस व्यतिक्रमी अभिदाता के स्थान पर, जिसका नाम धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन हटाया गया है, किसी व्यक्ति को (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् प्रतिस्थापित अभिदाता कहा गया है) प्रतिस्थापित कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रतिस्थापन की उसकी तारीख सहित, प्रधान द्वारा रखी गई सुसंगत पुस्तक में प्रविष्टि की जाएगी और प्रधान ऐसे प्रतिस्थापन की तारीख से चौदह दिन के भीतर ऐसी प्रत्येक प्रविष्टि की सही प्रतिलिपि रजिस्ट्रार के यहां फाइल करेगा ।

व्यतिक्रमी अभिदाताओं से शोध्य रकमें ।

30. (1) प्रधान प्रतिस्थापन की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए किस्तों की बाबत (जिनके अन्तर्गत व्यतिक्रमी अभिदाता से शोध्य बकाया भी है) प्रतिस्थापित अभिदाता द्वारा देय और उससे वसूल की गई रकमों में से, उतनी रकम जो व्यतिक्रमी अभिदाता द्वारा किए गए अभिदायों की रकम के, जिसमें से ऐसी कटौतियां कर दी गई हैं जिनके लिए उपबंध चिट करार में किया जाए, बराबर है चिट करार में उल्लिखित किसी अनुमोदित बैंक में ज्ञात हो सकने वाले पृथक खाते में ठीक आगामी उत्तरवर्ती किस्त की तारीख से पूर्व जमा करेगा और इस प्रकार जमा किए जाने के तथ्य की सूचना व्यतिक्रमी अभिदाता तथा रजिस्ट्रार को देगा तथा इस प्रकार जमा की गई रकम को व्यतिक्रमी अभिदाता को संदाय करने के लिये ही निकालेगा, अन्यथा नहीं ।

(2) उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार जमा की गई रकम जब कभी व्यतिक्रमी अभिदाता उसके लिए दावा करे तब उसको संदत्त की जाएगी और इस प्रकार जमा की गई रकम को प्रधान ऐसे संदाय से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं निकालेगा ।

(3) किसी ऐसे व्यतिक्रमी अभिदाता के, जिसे चिट की समाप्ति तक प्रतिस्थापित नहीं किया गया था, अभिदायों को चिट की समाप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर, ऐसी कटौतियों सहित जिनके लिए चिट करार में उपबंध किए गए हों, उक्त व्यतिक्रमी अभिदाता को संदत्त किया जाएगा ।

अध्याय 5

इनामी अभिदाताओं के अधिकार और कर्तव्य

इनामी अभिदाता द्वारा प्रतिभूति का दिया जाना ।

31. यदि इनामी अभिदाता ने, उसे शोध्य इनाम की रकम में से सभी भावी अभिदायों की रकम को, उसमें से कटौती करने के लिए नहीं कहा है तो ऐसा प्रत्येक इनामी अभिदाता सभी भावी अभिदायों के संदाय के लिए पर्याप्त प्रतिभूति देगा और प्रधान उसे लेगा और यदि प्रधान इनामी अभिदाता है तो वह रजिस्ट्रार के समाधानप्रद रूप में भावी अभिदायों के सम्यक् संदाय के लिए प्रतिभूति देगा ।

इनामी अभिदाता द्वारा नियमित रूप से अभिदायों का संदाय किया जाना ।

32. प्रत्येक इनामी अभिदाता चिट करार में वर्णित तारीखों, समयों और स्थानों, पर नियमित रूप से अपने अभिदायों का संदाय करेगा और ऐसा करने में उसके असफल रहने पर वह सभी भावी अभिदायों का समेकित संदाय दुरुस्त करने का दायी होगा ।

प्रधान द्वारा भावी अभिदायों की लिखित सूचना द्वारा मांग की जाना ।

33. (1) प्रधान किसी व्यतिक्रमी इनामी अभिदाता से धारा 32 के अधीन समेकित संदाय का दावा करने का हकदार तभी होगा जब उसने उसकी लिखित रूप में मांग की हो, अन्यथा नहीं ।

(2) जहां किसी व्यतिक्रमी इनामी अभिदाता से भावी अभिदायों के समेकित संदाय के लिए प्रधान द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई विवाद उठाया जाता है और यदि ऐसा अभिदाता विवाद की सुनवाई के लिए निश्चित तारीख को या उसके पूर्व प्रधान को उस तारीख तक के अभिदायों के बकायों या उन पर उस दर से ब्याज सहित जो चिट करार में उपबन्धित हो और विवाद के न्यायनिर्णयन के खर्च का, संदाय कर देता है, तो किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, रजिस्ट्रार या उसका नामनिर्देशिती जो विवाद की सुनवाई कर रहा है, यह निदेश देते हुए आदेश करेगा कि अभिदाता प्रधान को भावी अभिदायों का संदाय उन तारीखों को या उनके पूर्व, जिनको वे शोध्य होने हैं, करेगा और अभिदाता द्वारा संदाय के व्यतिक्रम की दशा में प्रधान को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वह उस आदेश के निष्पादन में सभी भावी अभिदायों और ब्याज को खर्च सहित, यदि कोई हो, अभिदाता द्वारा इस बारे में पहले संदत्त रकम को, यदि कोई हो, घटाकर वसूल कर ले :

परन्तु यदि कोई ऐसा विवाद वचनपत्र के आधार पर है, तो इस उपधारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे वचनपत्र में स्पष्ट रूप से यह कथन न हो कि वचनपत्र के अधीन शोध्य रकम चिट के अभिदायों के संदाय के लिए है ।

(3) कोई व्यक्ति, जो प्रतिभूति के रूप में दी गई सम्पत्ति में या उसके किसी भाग में कोई हित रखता है, उपधारा (2) के अधीन संदाय करने का हकदार होगा ।

(4) भावी अभिदायों के सभी समेकित संदायों को, जो प्रधान ने वसूल किए हैं, चिट करार में वर्णित अनुमोदित बैंक में उसके द्वारा ठीक आगामी किस्त की तारीख के पूर्व जमा किया जाएगा और इस प्रकार जमा की गई रकम केवल भावी अभिदायों के संदाय के लिए ही निकाली जाएगी, अन्यथा नहीं ।

(5) जहां कोई संपत्ति भावी अभिदायों के समेकित संदाय के बदले में प्राप्त की जाती है, वहां वह भावी अभिदायों के सम्यक् संदाय के लिए प्रतिभूति के रूप में रहेगी ।

अध्याय 6
अन्तरण

प्रधान के अधिकारों के अन्तरण पर निर्बन्धन ।

34. (1) इनामी अभिदाताओं से अभिदायों को प्राप्त करने के प्रधान के अधिकारों का कोई अन्तरण रजिस्ट्रार की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा ।

(2) यदि इनामी अभिदाताओं से अभिदायों को प्राप्त करने के प्रधान के अधिकारों के किसी अन्तरण से गैर-इनामी या असंदत्त इनामी अभिदाता के हितों के विफल होने या उनमें विलंब होने की संभाव्यता है तो वह अन्तरण ऐसे अभिदाता की प्रेरणा पर शून्यकरणीय होगा ।

(3) जब अभिदाता द्वारा किसी अन्तरण के सम्बन्ध में उपधारा (2) के अधीन विवाद उठाया जाता है तब अन्तरिती पर यह साबित करने का भार होगा कि प्रधान उस अन्तरण के समय पर शोधक्षम परिस्थितियों में था और उस अन्तरण से ऐसे अभिदाता के हित विफल नहीं होते हैं या उनमें विलंब नहीं होता है ।

गैर-इनामी अभिदाता के अधिकारों का अन्तरण लिखित रूप में होना ।

35. गैर-इनामी अभिदाता द्वारा चिट में के अपने अधिकारों का प्रत्येक अन्तरण लिखित रूप में होगा, जो कम से कम दो साक्षियों द्वारा सम्यक् रूप में अनुप्रमाणित होगा और प्रधान के यहां फाइल किया जाएगा ।

प्रधान द्वारा अन्तरण को मान्यता ।

36. धारा 35 के अधीन प्रत्येक अन्तरण को प्रधान द्वारा, उसके द्वारा अन्तरण के प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन के भीतर मान्यता दी जाएगी, किन्तु यदि अन्तरिती शोधक्षम नहीं है या अन्तरण किसी विधि के उपबंधों को, जिसके अन्तर्गत यह अधिनियम भी है, विफल करने की दृष्टि से किया गया था तो वह मान्यता नहीं देगा और संपत्ति को मान्यता देने या न देने का प्रधान का विनिश्चय संबंधित पक्षकारों को तुरन्त सूचित किया जाएगा ।

बहियों में अन्तरिती के नाम की प्रविष्टि ।

37. प्रधान धारा 34 या धारा 35 के अधीन प्रत्येक अन्तरण की प्रविष्टि चिट की बहियों में तत्काल करेगा और ऐसी प्रविष्टि की सही प्रतिलिपि रजिस्ट्रार के यहां ऐसी प्रविष्टि की तारीख से चौदह दिन के भीतर फाइल करेगा ।

अध्याय 7
अभिदाताओं के साधारण निकाय के अधिवेशन

अभिदाता के साधारण निकाय के अधिवेशन ।

38. (1) प्रधान कोई विशेष संकल्प पारित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अभिदाताओं के साधारण निकाय का विशेष अधिवेशन स्वप्रेरणा से बुला सकेगा ।

(2) प्रधान ऐसे अधिवेशन गैर-इनामी और असंदत्त इनामी अभिदाताओं की संख्या के पच्चीस प्रतिशत से अन्यून की लिखित अभ्यपेक्षा पर बुलाएगा और इस प्रकार बुलाया गया अधिवेशन अभ्यपेक्षा की प्राप्ति की तारीख के तीस दिन के भीतर किया जाएगा और यदि प्रधान ऐसी अभ्यपेक्षा की प्राप्ति के चौदह दिन के भीतर ऐसा अधिवेशन बुलाने से इन्कार करता है या बुलाने में असफल रहता है तो गैर-इनामी और असंदत्त इनामी अभिदाताओं में से कम से कम पच्चीस प्रतिशत व्यक्ति इस तथ्य की सूचना रजिस्ट्रार को दे सकेंगे ।

(3) रजिस्ट्रार उपधारा (2) के अधीन किसी सूचना की प्राप्ति के इक्कीस दिन के भीतर अभिदाताओं के साधारण निकाय का विशेष अधिवेशन बुलाएगा या बुलाने का निदेश देगा और ऐसा निदेश प्राप्त होने पर प्रधान का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे निदेशों का पालन करे ।

* * * * *

(4) इस धारा के अधीन अधिवेशन की कम से कम चौदह दिन की सूचना सभी अभिदाताओं को दी जाएगी, जिसमें उस अधिवेशन का उद्देश्य तारीख, समय और स्थान विनिर्दिष्ट होगा और अधिवेशन की सूचना के सा विशेष संकल्प की प्रति भी भेजी जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 39 के प्रयोजनों के लिए, "विशेष संकल्प" से ऐसा संकल्प अभिप्रेत है, जो अभिदाताओं के साधारण निकाय के उस प्रयोजन के लिए विशेषत: बुलाए गए अधिवेशन में, स्वयं या परोक्षी द्वारा अधिवेशन में उपस्थित चिट के अभिदाताओं के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा, जो सभी गैर-इनामी और असंदत्त इनामी अभिदाताओं द्वारा, यदि कोई हों, अभिदान की गई, यथास्थिति, रकम या अनाज के मूल्य के कम से कम तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करते हैं, पारित किया गया है ।

अध्याय 8

चिटों की समाप्ति

कतिपय मामलों में चिटों को बनाए रखने के लिए उपबंध ।

39. (1) जहां प्रधान की मृत्यु हो जाती है या वह विकृतचित्त हो जाता है या अन्यथा असमर्थ हो जाता है वहां चिट, चिट करार के उपबंधों के अनुसार, जारी रखी जाएगी ।

(2) जहां कोई प्रधान दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है या धारा 29 के अधीन चिट से अलग हो जाता है या चिट का किसी किस्त पर या ठीक आगामी किस्त के पूर्व किसी अन्य तारीख को, जैसा कि * * विशेष संकल्प द्वारा तय पाया गया हो, संचालन करने में असफल रहता है, वहां ऐसे संकल्प द्वारा प्राधिकृत गैर इनामी या असंदत्त इनामी अभिदाताओं में से एक या एक से अधिक अभिदाता चिट के भावी संचालन के लिए चिट करार में कोई उपबन्ध न होने पर प्रधान का स्थान ले सकेंगे और चिट बनाए रख सकेंगे या चिट के भावी संचालन के लिए अन्य व्यवस्थाएं कर सकेंगे ।

चिटों की समाप्ति ।

40. निम्नलिखित दशाओं में चिट समाप्त समझी जाएगी :—

(क) जब चिट करार में उसके लिए विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गई है: परन्तु यह तब जब कि सभी अभिदाताओं की शोध्य रकमों का संदाय पूरा कर दिया गया हो; या

(ख) जब सभी गैर-इनामी और असंदत्त इनामी अभिदाता और प्रधान लिखित रूप में चिट की समाप्ति के लिए सहमति दे देते हैं और ऐसी सहमति की प्रतिलिपि रजिस्ट्रार के यहां इस अधिनियम की धारा 41 द्वारा अपेक्षित रूप में फाइल कर दी जाती है; या

(ग) जहां प्रधान की मृत्यु हो जाती है या वह विकृतचित्त हो जाता है या अन्यथा असमर्थ हो जाता है और चिट, चिट करार के उपबन्धों के अनुसार जारी नहीं रखी जाती है:

परन्तु जहां प्रधान कोई फर्म है वहां यदि किसी भागीदार की मृत्यु हो जाती है या वह विकृतचित्त हो जाता है या अन्यथा असमर्थ हो जाता है, तो चिट समाप्त नहीं समझी जाएगी और उत्तरजीवी एक या एक से अधिक भागीदार चिट करार में कोई प्रतिकूल उपबन्ध न होने पर चिट का संचालन करेंगे ।

अनुमति या सहमति की प्रतिलिपि का रजिस्ट्रार के यहां फाइल किया जाना

41. धारा 26 में निर्दिष्ट प्रत्येक अनुमति की और धारा 40 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक सहमति की सही प्रतिलिपि, ऐसी अनुमति या सहमति की तारीख सहित, यथास्थिति, प्रधान द्वारा या उत्तरजीवी भागीदार या भागीदारों द्वारा, रजिस्ट्रार के यहां ऐसी अनुमति या सहमति की तारीख से चौदह दिन के भीतर फाइल की जाएगी

गैर-इनामी अभिदाताओं के अभिदाय का वापस किया जाना ।

42. धारा 40 के खंड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट मामलों को छोड़कर,—

(क) प्रत्येक गैर-इनामी अभिदाता, जब तक कि इस अधिनियम में या चिट करार में उसके लिए अन्यथा उपबन्ध न किया गया हो, चिट करार की समाप्ति पर अपना अभिदाय अपने द्वारा उपार्जित लाभांश के लिए, यदि कोई हो, कोई कटौती किए बिना वापस पाने का हकदार होगा :

परन्तु कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे धारा 35 के उपबन्धों के अनुसार गैर-इनामी अभिदाता के अधिकारों का अन्तरण किया गया है, अपने अभिदायों के अतिरिक्त ऐसे गैर-इनामी अभिदाता द्वारा किए गए अभिदायों को भी इस धारा में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, पाने का हकदार होगा ;

(ख) यदि कोई चिट, चिट करार में मूलत: नियत तारीख से पूर्व समाप्त हो जाती है तो गैर-इनामी अभिदाता का दावा उस तारीख को उद्भूत हुआ समझा जाएगा, जिसको उसे उसकी सूचना मिली है।

अभिदाताओं को शोध्यों का चिट आस्तियों पर प्रथम भार होना ।

43. चिट कारबार के संबंध में प्रधान से अभिदाताओं को शोध्य कोई रकम चिट आस्तियों पर प्रथम भार होगी ।

अध्याय 9

दस्तावेजों का निरीक्षण

प्रधान द्वारा अभिदाता को चिट अभिलेखों का निरीक्षण करने देना।

44 प्रत्येक प्रधान, पांच रुपये से अनधिक ऐसी फीस के संदाय पर जो चिटकरार में विनिर्दिष्ट की जाए, सभी गैर-इनामी अभिदाताओं और असंदत्त इनामी अभिदाताओं के, चिटों के इनाम निकालने की सभी तारीखों को या ऐसी तारीखों को और ऐसे समय के भीतर जिनके लिए चिट करार में उपबंध किया जाए, प्रतिभूति बंधपत्रों और दस्तावेजों के, इनामी अभिदाताओं से ली गई या प्रधान द्वारा अभिदाता के रूप में दी गई रसीदों और अन्य अभिलेखों और सभी चिट अभिलेखों के, जिनके अन्तर्गत लेखाबहियां और पासबुक, तुलनपत्र और लाभ तथा हानि के लेखे हैं, और ऐसे अन्य अभिलेखे हैं जिनसे चिट की वास्तविक वित्तीय स्थिति प्रकट हो, निरीक्षण के लिए सभी युक्तियुक्त सुविधाएं देगा ।

प्रधान द्वारा चिट अभिलेखों का परिरक्षण ।

45. चिट से संबंधित सभी अभिलेख प्रधान द्वारा चिट की समाप्ति की तारीख से आठ वर्ष की अवधि तक रखे जाएंगे ।

रजिस्ट्रार द्वारा चिट बहियों और अभिलेखों का निरीक्षण ।

46. (1) रजिस्ट्रार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी कार्य दिवस को कार्य के घंटों के दौरान प्रधान के परिसर में सूचना देकर या दिए बिना चिट बहियों और चिट के सभी अभिलेखों का निरीक्षण कर सकेगा और प्रत्येक प्रधान का यह कर्तव्य होगा कि वह रजिस्ट्रार या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष ऐसी सभी बहियां या अभिलेखों जो उसकी अभिरक्षा या शक्ति में हों, रखे और चिट से संबंधित कोई विवरण या जानकारी जिसकी वह प्रधान से अपेक्षा करे ऐसे समय के भीतर दे जो विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) रजिस्ट्रार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, प्रधान को सात दिन की लिखित सूचना देने के पश्चात् उसे यह निदेश दे सकेगा कि वह ऐसी चिट बहियां या अभिलेख जिनकी वह अपेक्षा करे ऐसे समय और स्थान पर जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, निरीक्षण के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत करे।

(3) यदि उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन निरीक्षण करने के पश्चात् कोई त्रुटियां पाई जाती हैं तो रजिस्ट्रार ऐसी त्रुटियों को प्रधान की जानकारी में लाएगा और प्रधान को यह निदेश देते हुए आदेश भी कर सकेगा कि वह उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर त्रुटियों को सुधारने के लिए ऐसी कार्रवाई करे जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए।

(4) प्रत्येक प्रधान उपधारा (3) के अधीन किए गए आदेश में अन्तर्विष्ट निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा ।

1934 का 2

47. (1) धारा 46 की कोई बात भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ङ के उपबन्धों के अधीन किसी प्रधान की बहियों और अभिलेखों का निरीक्षण करने की रिजर्व बैंक की शक्ति पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। चिट बहियों और अभिलेखों का निरीक्षण करने की रिजर्व बैंक की शक्ति।

(2) यदि रिजर्व बैंक आवश्यक समझता है तो प्रधान की बहियों और अभिलेखों के निरीक्षण पर अपनी रिपोर्ट की या अपनी रिपोर्ट के ऐसे भाग की एक प्रतिलिपि प्रधान को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेज सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट की या उसके किसी भाग की प्राप्ति पर प्रत्येक प्रधान रिजर्व बैंक द्वारा उस निमित्त दिए गए निदेशों का, यदि कोई हों, अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और यदि अपेक्षा की जाए तो अपने द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में नियतकालिक रिपोर्टें भेजेगा।

(4) रिजर्व बैंक, प्रधान की बहियों और अभिलेखों के निरीक्षण पर रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि उस राज्य सरकार को भी, जिसकी अधिकारिता के भीतर कम्पनी का, यदि प्रधान, कम्पनी है, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या अन्य मामलों में प्रधान के कारबार का स्थान या मुख्य स्थान स्थित है, ऐसी कार्रवाई के लिए भेज सकेगा, जो आवश्यक समझी जाए।

अध्याय 10

चिटों का परिसमापन

48. चिट का परिसमापन उस रजिस्ट्रार द्वारा जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर चिट रजिस्टर की गई है, या तो स्वप्रेरणा से या किसी गैर इनामी या असंदत्त इनामी अभिदाता द्वारा किए गए आवेदन पर किया जा सकेगा,— वे परिस्थितियां जिनके अधीन चिट का परिसमापन किया जा सकेगा।

(क) यदि चिट धारा 40 के खण्ड (ग) के अधीन समाप्त हो गई है; या

(ख) यदि प्रधान धारा 20 में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति देने के संबंध में कोई ऐसा कार्य करता है, जो प्रतिभूति की प्रकृति या उसके मूल्य का तात्विक रूप में ह्रास करने वाला है ; या

(ग) यदि वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जमा करने के लिए अपेक्षित कोई रकम जमा करने में असफल रहता है ; या

(घ) यदि रजिस्ट्रार के समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाता है कि प्रधान अभिदाताओं को शोध्य रकमों का संदाय करने में असमर्थ है ; या

(ङ) यदि रजिस्ट्रार द्वारा किसी अभिदाता के पक्ष में, उसे चिट कारबार के संबंध में प्रधान से शोध्य रकमों की बाबत पारित किसी आदेश पर जारी किये गये निष्पादन या अन्य आदेशिका सम्पूर्णतः या भागतः पालन किए बिना वापस कर दी जाती है ; या

(च) यदि यह साबित हो जाता है कि प्रधान की ओर से इनामी अभिदाताओं से प्रतिभूति लेने के विषय में कपट या दुरभिसंधि की गई है ; या

(छ) यदि प्रधान ने अभिदाता के रूप में अपनी हैसियत में इनाम की रकमों को भावी अभिदायों के लिए पर्याप्त प्रतिभूति दिए बिना विनियोजित कर लिया है ; या

(ज) यदि रजिस्ट्रार की यह राय है कि चिट के कार्यकलाप का संचालन ऐसी रीति में किया जा रहा है, जो अभिदाताओं के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है ; या

(झ) यदि यह न्यायसंगत और साम्यापूर्ण है कि चिट का परिसमापन कर दिया जाना चाहिए ।

स्पष्टीकरण—खण्ड (घ) के प्रयोजनों के लिए यह अवधारण करने में कि अभिदाताओं को शोध्य रकमों का संदाय करने में प्रधान असमर्थ है, रजिस्ट्रार चिट के संबंध में उसके समाश्रित और भावी दायित्वों का ध्यान रखेगा ।

परिसमापन के लिए आवेदन ।

49. चिट के परिसमापन के लिए आवेदन किसी गैर-इनामी या असंदत्त इनामी अभिदाता द्वारा रजिस्ट्रार को अर्जी पेश करके किया जाएगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा विहित रीति में हस्ताक्षरित और सत्यापित होगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी, जो विहित की जाएं : 1908 का 5

परन्तु धारा 48 के खण्ड (घ) और खण्ड (झ) के अधीन किसी चिट के परिसमापन के लिए आवेदन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा आवेदन—

(क) ऐसे गैर इनामी और असंदत्त इनामी अभिदाताओं द्वारा पेश न किया गया हो जो सभी गैर इनामी और असंदत्त इनामी अभिदाताओं द्वारा, यदि कोई हों, अभिदत्त रकम के या, यथास्थिति, अनाज के मूल्य के कम से कम पच्चीस प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हों; या

(ख) उस राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से पेश न किया गया हो जिसकी अधिकारिता के भीतर चिट आरंभ की गई है और उसका संचालन किया जाता है ।

स्पष्टीकरण—परन्तुक के खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए टिकट के किसी भाग का अभिदाता केवल उस भाग तक के लिए अभिदाता समझा जाएगा ।

परिसमापन कार्यवाहियों का वर्जन ।

50. धारा 48 और धारा 49 में किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार चिट के परिसमापन के लिए कोई अर्जी निम्नलिखित दशाओं में ग्रहण नहीं करेगा, अर्थात् :—

(क) यदि प्रधान के विरुद्ध दिवाला से सम्बन्धित कार्यवाहियां लम्बित हैं ; या

(ख) जहां प्रधान कोई फर्म है, वहां सभी भागीदारों या उसके एक भागीदार को छोड़कर सभी भागीदारों के विरुद्ध दिवाला से सम्बन्धित कार्यवाहियां लम्बित हैं या फर्म के विघटन के लिए कार्यवाहियां लम्बित हैं ; या

(ग) जहां प्रधान कोई कम्पनी या सहकारी सोसाइटी है वहां ऐसी कम्पनीयां सहकारी सोसाइटी के परिसमापन के लिए कार्यवाहियां लम्बित हैं ।

परिसमापन आदेश का प्रारंभ और प्रभाव ।

51. चिट के परिसमापन के लिए कोई आदेश ऐसे सभी अभिदाताओं के पक्ष में अर्हतित होगा, जिन्हें प्रधान से रकमें शोध्य हैं और वह परिसमापन के लिए आवेदन के पेश किए जाने की तारीख से प्रारंभ हुआ समझा जाएगा ।

व्यादेश ।

52. रजिस्ट्रार ऐसे प्रधान या किसी अभिदाता के आवेदन पर जिसे चिट के संबंध में रकमें शोध्य हैं, इस अधिनियम के अधीन चिट के परिसमापन के लिए आवेदन पेश किए जाने के पश्चात् और किसी अंतरिम रिसीवर की नियुक्ति के लिए या चिट के परिसमापन के लिए आदेश करने के पूर्व किसी समय किन्हीं अन्य कार्यवाहियों को जो

प्रधान के विरुद्ध चिट से शोध्य रकमों की वसूली के लिए संस्थित हों ऐसे निबन्धनों पर रोक सकेगा, जो रजिस्ट्रार ठीक समझे।

रजिस्ट्रार की शक्तियां।

53. रजिस्ट्रार इस अध्याय के अधीन आवेदन की सुनवाई के पश्चात् उसे खर्चे सहित या उसके बिना खारिज कर सकेगा या सुनवाई को सशर्त या शर्त के बिना स्थगित कर सकेगा या कोई अंतरिम आदेश या ऐसे अन्य आदेश कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

रजिस्ट्रार या अन्य व्यक्तियों में चिट आस्तियों का निहित होना।

54. चिट के परिसमापन के लिए कोई आदेश किए जाने पर, ऐसी चिट से संबंधित संपूर्ण चिट आस्तियां उन अभिदाताओं के बीच वितरण के लिए जिन्हें चिट के संबंध में रकमें शोध्य हैं, रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति में निहित हो जाएंगी।

परिसमापन आदेश पर वादों आदि का रोका जाना।

55. जब कोई परिसमापन आदेश किया जा चुका है या रिसीवर नियुक्त किया जा चुका है तब चिट के संबंध में किसी अभिदाता को शोध्य रकमों की वसूली के लिए उस अभिदाता द्वारा प्रधान के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कार्यवाही, चिट के परिसमापन के लिए रजिस्ट्रार की मंजूरी से ही और ऐसे निबन्धनों पर जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, जारी रखी जाएंगी या प्रारंभ की जाएंगी, अन्यथा नहीं।

परिसमापन आदेश का अधिसूचित किया जाना।

56. परिसमापन आदेश किए जाने पर रजिस्ट्रार चिट से संबंधित अपनी बहियों में उसकी प्रविष्टि करेगा और राजपत्र में यह अधिसूचित करेगा कि ऐसा आदेश कर दिया गया है।

प्रधान आदि के दिवालिया होने पर परिसमापन कार्यवाहियों का रोका जाना या कम्पनी का परिसमापन और ऐसी कार्यवाहियों का अन्तरण।

57. जब किसी चिट के परिसमापन के लिए कार्यवाहियों के लम्बित होने के दौरान प्रधान को दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है या जहां प्रधान कोई फर्म है वहां उसके सभी भागीदार या उसके एक भागीदार को छोड़कर सभी भागीदार दिवालिया न्यायनिर्णीत किए गए हैं या जहां प्रधान कोई कम्पनी है वहां जब न्यायालय द्वारा उस कम्पनी के परिसमापन का आदेश दिया जाता है तब इस अध्याय के अधीन परिसमापन कार्यवाहियां समाप्त हो जाएंगी और चिट या आस्तियों का वितरण, यथास्थिति, दिवाला विषयक न्यायालय द्वारा या कम्पनी का परिसमापन करने वाले न्यायालय द्वारा धारा 43 और 52 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किया जाएगा।

प्रधान के लिए प्रतिकर का अधिनिर्णय।

58. (1) जहां चिट के परिसमापन के लिए पेश किया गया आवेदन खारिज कर दिया जाता है और रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि अर्जी तुच्छ या तंग करने वाली है वहां वह प्रधान के आवेदन पर, अर्जीदार के विरुद्ध ऐसी रकम अधिनिर्णीत कर सकेगा, जो एक हजार रुपए से अधिक न हो, और जो वह आवेदन को पेश किए जाने और उस पर की कार्यवाहियों से हुए प्रधान के व्ययों और क्षतियों के लिए प्रधान को प्रतिकर के रूप में देने के लिए युक्तियुक्त समझे और ऐसी रकम उस रीति से वसूल की जाएगी मानो वह अधिनिर्णय किसी सिविल न्यायालय की डिक्री था।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई अधिनिर्णय किए जाने पर चिट के किसी परिसमापन के लिए किसी आवेदन की बाबत प्रतिकर के लिए कोई वाद ग्रहण नहीं किया जाएगा।

अपील करने का अधिकार

59. चिट के परिसमापन की किन्हीं कार्यवाहियों में रजिस्ट्रार के विनिश्चय या आदेश से व्यथित प्रधान या कोई अभिदाता या कोई अन्य व्यक्ति, ऐसे विनिश्चय या आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर, राज्य सरकार को अपील कर सकेगा।

परिसीमा।

60. (1) जहां चिट का परिसमापन करने से इंकार करने वाला कोई आदेश इस अधिनियम के अधीन किया गया है वहां गैर इनामी अभिदाताओं के संबंध में वह चिट आवेदन पेश किए जाने की तारीख से ऐसे आदेश की तारीख तक निलंबित समझी जाएगी और चिट करार में किसी बात के होते हुए भी ऐसे गैर सरकारी इनामी अभिदाता को, जो परिसमापन के लिए अर्जी दी जाने की तारीख को व्यतिक्रमी नहीं था, ऐसे आदेश की तारीख को व्यतिक्रमी नहीं समझा जाएगा।

(2) जहां चिट का परिसमापन करने से इंकार करने वाला आदेश इस अधिनियम के अधीन किया गया है वहां किसी ऐसे वाद या अन्य विधिक कार्यवाही के लिए (उस वाद या आवेदन से भिन्न जिसके संबंध में न्यायालय की इजाजत प्राप्त कर ली गई है) जो यदि चिट के परिसमापन के लिए आवेदन न दिया जाता तो लाया जा सकता था या संस्थित की जा सकती थी, विहित परिसीमा की अवधि की संगणना करने में, आवेदन के पेश किए जाने की तारीख से चिट का परिसमापन करने से इंकार करने वाले आदेश की तारीख तक की अवधि को अपवर्जित किया जाएगा।

(3) इस अध्याय की कोई बात चिट के परिसमापन की कार्यवाहियों में अंतिम लाभांश की घोषणा के पश्चात् अभिदाता को शोध्य रकमों के अतिशेष के लिए, यदि कोई हो, स्वयं प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करने के अभिदाता के अधिकारों पर प्रभाव नहीं डालेगी और ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों के लिए विहित परिसीमा की अवधि की संगणना करने में चिट के परिसमापन के लिए आवेदन के पेश किए जाने की तारीख से अंतिम लाभांश की घोषणा की तारीख तक की अवधि को अपवर्जित किया जाएगा।

अध्याय 11

अधिकारियों की नियुक्ति और फीस का उद्ग्रहण

रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति।

61. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक चिट रजिस्ट्रार और इतने अपर, संयुक्त, उप और सहायक रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी, जितने इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन रजिस्ट्रार को सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(2) रजिस्ट्रार इतने चिट-निरीक्षक और चिट-लेखापरीक्षक नियुक्त कर सकेगा जितने इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन चिट-निरीक्षकों या चिट-लेखापरीक्षकों पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(3) सभी चिट-निरीक्षक और चिट-लेखापरीक्षक इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन रजिस्ट्रार के सामान्य अधीक्षण और निर्देशन के अधीन करेंगे।

(4) यदि रजिस्ट्रार की राय है कि किसी चिट के लेखाओं को उचित रूप से नहीं रखा गया है और ऐसे लेखाओं की परीक्षा की जानी चाहिए, तो उसके लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह लेखापरीक्षक द्वारा ऐसे लेखाओं की परीक्षा करवाए।

(5) चिट के प्रधान का, जिसके लेखा की परीक्षा उपधारा (4) के अधीन लेखा-परीक्षक द्वारा की जानी है, यह कर्तव्य होगा कि वह चिट-लेखापरीक्षक के समक्ष चिट से संबंधित सभी लेखाओं, बहियों और अन्य अभिलेखों को पेश करे और उसे ऐसी जानकारी दे जो अपेक्षित हो, और उसे ऐसी सभी सहायता और सुविधाएं दे जो चिट के लेखाओं की परीक्षा के बारे में आवश्यक या युक्तियुक्त हों।

(6) प्रधान चिट-लेखापरीक्षक को ऐसी फीसों का संदाय करेगा, जो उपधारा (4) के अधीन चिट के लेखाओं की परीक्षा के लिए विहित की जाएं:

परन्तु चिट रकम की मात्रा के आधार पर विभिन्न चिटों के लिए फीस के विभिन्न मापमान विहित किए जा सकेंगे।

रजिस्ट्रार के कार्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण।

62. चिट का प्रधान या चिट का कोई अभिदाता या किसी प्रधान या अभिदाता का वारिस या विधिक प्रतिनिधि ऐसी फीसों के संदाय पर, जो विहित की जाएं,—

(क) रजिस्ट्रार द्वारा रखे गए संबंधित चिट दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा; या

(ख) किसी ऐसे दस्तावेज या अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि या उद्धरण प्राप्त कर सकेगा।

फीसों का उद्ग्रहण

63 (1) रजिस्ट्रार को ऐसी फीसों का संदाय किया जाएगा जो राज्य सरकार समय-समय पर निम्नलिखित के लिए विहित करे :—

(क) धारा 4 के अधीन पूर्व मंजूरी जारी करना ;

(ख) रजिस्ट्रार के यहां चिट करार फाइल करना और धारा 7 के अधीन चिट का रजिस्ट्रीकरण;

(ग) रजिस्ट्रार के यहां घोषणा फाइल करना और धारा 9 के अधीन प्रारम्भ के प्रमाणपत्र का अनुदान;

(घ) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन दस्तावेजों को फाइल करना;

(ङ) धारा 61 के अधीन प्रधान के लेखाओं की परीक्षा;

(च) धारा 62 के अधीन दस्तावेजों का निरीक्षण;

(छ) धारा 62 के अधीन दस्तावेजों और अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां या उद्धरण प्राप्त करना;

(ज) ऐसे अन्य विषय जो राज्य सरकार को आवश्यक प्रतीत हों।

(2) उपधारा (1) के अधीन विहित फीसों की सारणी रजिस्ट्रार के कार्यालय में सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी।

अध्याय 12

विवाद और माध्यस्थम्

चिट कारबार से संबंधित विवाद।

64. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी किसी चिट कारबार के प्रबंध से संबंधित कोई विवाद रजिस्ट्रार को, विवाद के पक्षकारों में से किसी के द्वारा माध्यस्थम् के लिए उस दशा में निर्देशित किया जाएगा जब विवाद का प्रत्येक पक्षकार या उनमें से कोई एक या दूसरा पक्षकार निम्नलिखित है, अर्थात् :—

(क) कोई प्रधान, इनामी अभिदाता या गैर-इनामी अभिदाता जिसके अन्तर्गत व्यतिक्रमी अभिदाता, भूतपूर्व अभिदाता अथवा चिट के किसी अभिदाता अथवा मृत अभिदाता की मार्फत दावा करने वाला कोई व्यक्ति;

(ख) अभिदाता, भूतपूर्व अभिदाता या मृत अभिदाता का कोई प्रतिभू।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए चिट के प्रबंध से संबंधित विवाद के अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे:—

(i) किसी ऐसे ऋण या मांग के लिए प्रधान द्वारा या उसके विरुद्ध दावा, जो उसे अभिदाता से शोध्य हो या उससे अभिदाता, भूतपूर्व अभिदाता अथवा मृत अभिदाता के नामनिर्देशिती, वारिस या विधिक प्रतिनिधि को शोध्य हो, चाहे ऐसे ऋण या मांग को स्वीकार किया गया हो या नहीं;

(ii) प्रतिभू द्वारा किसी ऐसी राशि या मांग के लिए दावा, जो उसे मुख्य उधार लेने वाले से ऐसे उधार की बाबत शोध्य हो और जो मुख्य उधार लेने वाले के व्यतिक्रम के कारण प्रतिभू से वसूल किया गया हो, चाहे ऐसी राशि या मांग को स्वीकार किया गया हो या नहीं ;

(iii) अभिदाता, भूतपूर्व अभिदाता अथवा मृत अभिदाता के नामनिर्देशिती, वारिस या विधिक प्रतिनिधि द्वारा प्रधान को ऐसी भूमि या किसी अन्य आस्ति के, जिसे प्रधान ने समनुदेशन की शर्तों के भंग के कारण पुनः प्राप्त कर लिया है, कब्जे का परिदान करने से इंकार या उसमें असफलता।

(2) जब कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि रजिस्ट्रार के अधिनिर्णय के लिए निर्देशित मामला उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए विवाद है या नहीं, तो रजिस्ट्रार ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) * * * * *

किसी सिविल न्यायालय को उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी विवाद के बारे में कोई वाद या अन्य कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

परिसीमा की अवधि।

65. (1) परिसीमा अधिनियम, 1963 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट विनिर्दिष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, धारा 64 के अधीन रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट किसी विवाद की दशा में,— 1963 का 36

(क) जब विवाद मृत अभिदाता से प्रधान को शोध्य रकम की, जिसके अन्तर्गत उस पर ब्याज भी है, वसूली से संबंधित है, परिसीमा की अवधि तीन वर्ष होगी जिसकी संगणना उस तारीख से की जाएगी, जिसको ऐसे अभिदाता की मृत्यु हो जाती है या वह अभिदाता नहीं रहता है; या

(ख) जब विवाद प्रधान और अभिदाता या भूतपूर्व अभिदाता या मृत अभिदाता के नामनिर्देशिती, वारिस अथवा विधिक प्रतिनिधि के बीच है और विवाद, विवाद के किसी पक्षकार द्वारा किए गए किसी कार्य या लोप से संबंधित है परिसीमा की अवधि उस तारीख से तीन वर्ष होगी जिसको वह कार्य या लोप हुआ था जिसके बारे में वह विवाद उत्पन्न हुआ है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवादों को छोड़कर, जो धारा 64 के अधीन रजिस्ट्रार को निर्देशित किए जाने के लिए अपेक्षित हैं, किसी अन्य विवाद की दशा में परिसीमा की अवधि का विनियमन परिसीमा अधिनियम, 1963 के उपबंधों द्वारा ऐसे किया जाएगा मानो विवाद, वाद था और रजिस्ट्रार, सिविल न्यायालय था। 1963 का 36

(3) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि आवेदक रजिस्ट्रार का समाधान कर देता है कि ऐसी अवधि के भीतर विवाद निर्देशित न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था, तो रजिस्ट्रार उसमें विनिर्दिष्ट परिसीमा की अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई विवाद ग्रहण कर सकेगा।

विवादों का निपटारा।

66. (1) यदि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि उसे निर्देशित किया गया या उसकी जानकारी में लाया गया कोई मामला धारा 64 के अधीन्तिर्गत विवाद है तो रजिस्ट्रार ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, विवाद का स्वयं निपटारा करेगा या उसे निपटारे के लिए स्वयं द्वारा नियुक्त व्यक्ति को (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् नामनिर्देशिती कहा गया है) निर्देशित करेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई विवाद निपटारे के लिए नामनिर्देशिती को निर्दिष्ट किया गया है वहां रजिस्ट्रार किसी भी समय ऐसे विवाद को ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, अपने नामनिर्देशिती से वापस ले सकेगा और विवाद का स्वयं निपटारा कर सकेगा अथवा उसे पुनः निपटारे के लिए स्वयं द्वारा नियुक्त किसी अन्य नामनिर्देशिती को निर्दिष्ट कर सकेगा।

* * * *

विवादों के निपटारे के लिए प्रक्रिया और रजिस्ट्रार या नामनिर्देशिती की शक्ति ।

67. (1) धारा 66 के अधीन विवाद की सुनवाई करने वाले रजिस्ट्रार या नामनिर्देशिती को, उस धारा के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित विधियों की बाबत वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का 5 1908 के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :—

(क) व्यक्तियों को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना ;

(ख) दस्तावेजों का प्रकटीकरण और निरीक्षण करने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य लेना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपियों की अभ्यपेक्षा करना ;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) कोई ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जाएं ।

(2) किसी विवाद की सुनवाई में किसी पक्षकार का विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व रजिस्ट्रार या नामनिर्देशिती की अनुज्ञा से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(3) (क) यदि रजिस्ट्रार या नामनिर्देशिती का समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह अभिदाता हो या नहीं, ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति में हित अर्जित कर लिया है, जो विवाद का एक पक्षकार है, तो वह आदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति, जिसने सम्पत्ति में हित अर्जित कर लिया है, विवाद के पक्षकार के रूप में सम्मिलित किया जाए और कोई विनिश्चय जो विवाद की बाबत रजिस्ट्रार या नामनिर्देशिती द्वारा दिया जाएगा, इस प्रकार सम्मिलित पक्षकार पर उसी रीति में आबद्धकर होगा मानो वह विवाद का मूल पक्षकार था।

(ख) जहां कोई विवाद किसी गलत व्यक्ति के नाम में निर्दिष्ट किया गया है या जहां सभी आवश्यक पक्षकारों को सम्मिलित नहीं किया गया है वहां यदि रजिस्ट्रार या नामनिर्देशिती का समाधान हो जाता है कि यह वास्तविक गलती के कारण हुआ है तो वह किसी अन्य व्यक्ति को विवाद की सुनवाई के किसी भी प्रक्रम पर विवाद के पक्षकारों के रूप में ऐसे निबन्धनों पर जो वह न्यायसंगत समझे प्रतिस्थापित किए जाने या जोड़े जाने के लिए आदेश दे सकेगा।

(ग) रजिस्ट्रार या नामनिर्देशिती कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, दोनों पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर या उसके बिना और ऐसे निबन्धनों पर जो रजिस्ट्रार या नामनिर्देशिती को न्यायसंगत प्रतीत हों, आदेश दे सकेगा कि किसी ऐसे पक्षकार का नाम काट दिया जाए जिसे अनुचित रूप से सम्मिलित किया गया था ।

(घ) कोई व्यक्ति जो विवाद का पक्षकार है और एक ही वाद हेतुक के सम्बन्ध में एक से अधिक अनुतोषों का हकदार है, ऐसे अनुतोषों में से सभी या किसी का दावा कर सकेगा, किन्तु यदि वह ऐसे किसी अनुतोष के लिए दावा करने में लोप करता है तो वह उस अनुतोष के लिए कोई दावा, रजिस्ट्रार या नामनिर्देशिती की इजाजत से ही करने का हकदार होगा, अन्यथा नहीं।

निर्णय और अन्य अन्तर्वर्ती आदेशों के पूर्व कुर्की।

68. (1) जहां कोई विवाद धारा 64 के अधीन निर्दिष्ट किया गया है और विवाद की सुनवाई करने वाले रजिस्ट्रार या नामनिर्देशिती का जांच करने पर या अन्यथा समाधान हो जाता है कि ऐसे विवाद का कोई पक्षकार किसी ऐसे अधिनिर्णय के निष्पादन या किसी ऐसे आदेश के पालन को, जो किया जा सकता है, विफल करने या बाधा डालने के आशय से,—

(क) अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है ; या

(ख) अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग को रजिस्ट्रार की अधिकारिता से हटाने वाला है ;

तो वह, जब तक कि पर्याप्त प्रतिभूति न दे दी जाए, उक्त सम्पत्ति की सशर्त कुर्की का निर्देश दे सकेगा और ऐसी कुर्की का वैसा ही प्रभाव होगा मानो वह किसी सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा की गई हो।

(2) जहां रजिस्ट्रार या नामनिर्देशिती उपधारा (1) के अधीन सम्पत्ति की कुर्की का निदेश देता है वहां वह उस व्यक्ति को जिसकी सम्पत्ति इस प्रकार कुर्क की गई है, ऐसी प्रतिभूति जो वह पर्याप्त समझे विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर देने के लिए आहूत करने वाली सूचना जारी करेगा और यदि वह व्यक्ति ऐसी प्रतिभूति देने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रार या नामनिर्देशिती आदेश की पुष्टि कर सकेगा और विवाद के विनिश्चय के पश्चात् दावे के लिए यदि वह अधिनिर्णीत किया गया हो तो इस प्रकार कुर्क की गई सम्पत्ति के व्ययन के लिए निदेश दे सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन की गई किसी कुर्की से ऐसे व्यक्तियों के, जो विवाद के पक्षकार नहीं हैं, ऐसे अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जो सम्पत्ति की कुर्की के पूर्व अस्तित्व में हों अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जो उस व्यक्ति के विरुद्ध डिक्री धारण करता है, जिसकी सम्पत्ति इस प्रकार कुर्क की गई है, ऐसी डिक्री के अधीन कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति के विक्रय के लिए आवेदन करने से वर्जित नहीं होगा।

(4) रजिस्ट्रार या नामनिर्देशिती, न्याय के उद्देश्यों के विफल होने का निवारण करने की दृष्टि से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवाद में अधिनिर्णय के लम्बित रहने तक ऐसे अन्तर्वर्ती आदेश कर सकेगा जो न्याय संगत और सुविधापूर्ण प्रतीत हों।

रजिस्ट्रार या नामनिर्देशिती का विनिश्चय।

69. जब कोई विवाद इस अध्याय के अधीन माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किया जाता है, तो रजिस्ट्रार या नामनिर्देशिती विवाद के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् विवाद के सम्बन्ध में और उन व्ययों के सम्बन्ध में जो विवाद के पक्षकारों द्वारा कार्यवाहियों की बाबत किए गए हों, और रजिस्ट्रार तथा नामनिर्देशिती को संदेय फीस तथा व्ययों के सम्बन्ध में अधिनिर्णय देगा और ऐसा अधिनिर्णय केवल इस आधार पर अधिनिर्णय नहीं होगा कि वह रजिस्ट्रार द्वारा विवाद का विनिश्चय करने के लिए नियत अवधि की, यदि कोई हो, की समाप्ति के पश्चात् किया गया था और वह

इस बात के अधीन रहते हुए अन्तिम और विवाद के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा कि धारा 70 के अधीन उसके विरुद्ध अपील की जा सकेगी ।

रजिस्ट्रार या नामनिर्देशिती के विनिश्चय के विरुद्ध अपील ।

70. रजिस्ट्रार या नामनिर्देशिती द्वारा पारित किसी आदेश से या धारा 69 के अधीन रजिस्ट्रार या नामनिर्देशिती के अधिनिर्णय से व्यथित कोई पक्षकार, आदेश या अधिनिर्णय की तारीख से दो मास के भीतर, राज्य सरकार को अपील कर सकेगा ।

धन कैसे वसूल किया जाएगा ।

71. किसी धन के संदाय के लिए, धारा 68 या धारा 69 के अधीन रजिस्ट्रार या नामनिर्देशिती द्वारा पारित प्रत्येक आदेश और धारा 70 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अपील में पारित प्रत्येक आदेश, यदि उसका पालन न किया गया हो तो,—

(क) रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र पर, सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाएगा और वैसी ही रीति से निष्पादित किया जाएगा मानों वह ऐसे न्यायालय की डिक्री हो; या

(ख) उस विधि के उपबन्धों के अनुसार निष्पादित किया जाएगा जो भू-राजस्व की बकाया के रूप में रकम की वसूली के लिए उस समय प्रवृत्त हो :

परन्तु खण्ड (ख) के अधीन निष्पादन के लिए कोई आवेदन आदेश में नियत तारीख से और यदि ऐसी तारीख निर्दिष्ट नहीं की गई है तो आदेश की तारीख से, तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

प्रमाणपत्र के जारी किए जाने के पश्चात् किए गए सम्पत्ति के प्राइवेट अन्तरण का प्रधान के विरुद्ध शून्य होना ।

72. धारा 71 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणपत्र के जारी किए जाने के पश्चात् सम्पत्ति का कोई प्राइवेट अन्तरण या उसका परिदान या उस पर सृजित कोई विल्लंगम या भार उस प्रधान के विरुद्ध अकृत और शून्य होगा जिसके आवेदन पर उक्त प्रमाणपत्र जारी किया गया था ।

अध्याय 13

प्रकीर्ण

रिजर्व बैंक का सलाह सम्बन्धी कार्य ।

73. रिजर्व बैंक, स्वप्रेरणा से या किसी राज्य सरकार के अनुरोध पर, इस अधिनियम की बाबत ऐसी सलाह दे सकेगा जो वह ठीक समझे ।

अपीलें ।

74. (1) कोई प्रधान जो—

(क) धारा 7 के अधीन चिट करार रजिस्टर करने से इन्कार करने वाले;

(ख) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन प्रारम्भ का प्रमाणपत्र देने से इन्कार करने वाले;

(ग) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 31 के अधीन कोई प्रतिभूति स्वीकार करने से इन्कार करने वाले; या

(घ) धारा 20 या धारा 31 के अधीन प्रभारित प्रतिभूति का उन्मोचन करने से इन्कार करने वाले;

रजिस्ट्रार के विनिश्चय से व्यथित है, वह ऐसा विनिश्चय संसूचित किए जाने के तीस दिन के भीतर, राज्य सरकार को अथवा ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस निमित्त सशक्त किया जाए, अपील कर सकेगा ।

(2) धारा 34की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार के आदेश से व्यथित कोई प्रधान या कोई अन्य व्यक्ति उसे ऐसे आदेश की सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, राज्य सरकार को अथवा ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस निमित्त सशक्त किया जाए, अपील कर सकेगा ।

(3) राज्य सरकार अथवा पूर्वोक्त ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी, अपीलार्थी को अपना अभ्यावेदन करने का अवसर देने के पश्चात् अपील पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसा आदेश अन्तिम होगा ।

दस्तावेजें फाइल करने के लिए समय बढ़ाने की रजिस्ट्रार की शक्ति ।

75. रजिस्ट्रार, स्वविवेक से और प्रधान द्वारा धारा 28 की उपधारा (3), धारा 29 की उपधारा (2), धारा 37 या धारा 41 के अधीन दस्तावेजों के फाइल किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किए गए लिखित आवेदन पर, प्रधान को ऐसे दस्तावेजों की प्रतिलिपि फाइल करने के लिए और समय दे सकेगा जो पन्द्रह दिन से अधिक न हो ।

शास्तियां ।

76. (1) जो कोई धारा 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 24, 30, 31 धारा 33 की उपधारा (4), धारा 46, 47 या धारा 61 की उपधारा (5) के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करेगा वह दोषसिद्धि पर, कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(2) कोई प्रधान जो,—

(क) इस अधिनियम के अधीन फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित कोई दस्तावेज उसके लिए विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसे और समय के भीतर जो अनुज्ञात किया जाए, फाइल नहीं करेगा; या

(ख) उस तारीख, समय और स्थान के सम्बन्ध में, जिसको और जहां चिट का इनाम निकाला जाना है, चिट करार की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहेगा या जो धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन दिए गए किसी निदेश की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहेगा; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य अपेक्षा का उल्लंघन करेगा या अनुपालन करने में असफल रहेगा,

दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से जो तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(3) जो कोई इस अधिनियम के अधीन फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित किसी दस्तावेज में जानबूझकर ऐसा मिथ्या कथन करेगा जो किसी तात्विक विशिष्ट में मिथ्या है, वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा ।

द्वितीय और पश्चात वर्ती दोषसिद्धियों के लिए शास्ति ।

77. यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध किया जाता है तो वह द्वितीय और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से जो दो वर्ष तक हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने से दंडनीय भी होगा ।

जुर्माने का उपयोजन ।

78. इस अधिनियम के अधीन कोई जुर्माना अधिरोपित करने वाला न्यायालय निदेश दे सकेगा कि सम्पूर्ण जुर्माना या उसका कोई भाग कार्यवाहियों के खर्चों के संदाय में या उनके लिए उपयोजित किया जाएगा ।

कम्पनियों द्वारा अपराध ।

79. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके

प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ; तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

अपराधों का संज्ञान ।

80. (1) धारा 11 के अधीन सभी अपराध संज्ञेय होंगे ।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

अपराध का शमन करने की शक्ति ।

81. (1) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन दाण्डिक कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् ऐसे व्यक्ति से जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है या युक्तियुक्त रूप से यह संदिग्ध है कि उसने अपराध किया है ऐसे अपराध के शमन के तौर पर ऐसी रकम से जो विहित की जाए अनधिक की धनराशि प्रतिगृहीत कर सकेगा ।

(2) जब किसी अपराध का शमन उपधारा (1) के अधीन किया गया है तब, यदि अपराधी अभिरक्षा में है तो, वह उन्मोचित कर दिया जाएगा और शमित अपराध के सम्बन्ध में कोई और कार्यवाही उसके विरुद्ध नहीं की जाएगी ।

किसी स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने और दस्तावेज आदि का अभिग्रहण करने की शक्ति ।

82. (1) यदि रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के पास यह संदेह करने का कारण है कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी स्थान पर चिट का संचालन करता है या चिट के संचालन के लिए उत्तरदायी है तो वह ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, किसी भी युक्तियुक्त समय पर किसी स्थान में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा और ऐसी बहियों, रजिस्टरों, लेखाओं या दस्तावेजों का अभिग्रहण कर सकेगा, जो आवश्यक हों ।

(2) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को सहायता के लिए आवेदन कर सकेगा और उपधारा (1) के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पुलिस अधिकारी को अपने साथ चलने और सहायता करने के लिए ले जा सकेगा ।

1974 का 2

(3) उपधारा (1) के अधीन सभी तलाशियां दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अनुसार की जाएंगी ।

अधिकारियों का लोक सेवक होना ।

83. रजिस्ट्रार और इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सभी अधिकारी, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे । 1860 का 45

प्रत्यायोजन की शक्ति ।

84. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति का (अपील सुनने या नियम बनाने की शक्ति से भिन्न) राज्य सरकार के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा भी, ऐसे निबंधनों और शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, जो वहां विनिर्दिष्ट की जाए, प्रयोग किया जा सकेगा । 5

अधिनियम का कतिपय चिटों को लागू न होना ।

85. इस अधिनियम की कोई भी बात—

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व आरम्भ की गई किसी चिट; या 10

(ख) ऐसी चिट जिसकी रकम या जहां दो या अधिक चिटें एक ही प्रयास द्वारा एक साथ प्रारंभ की गई या संचालित की गई हैं तो उसकी कुल रकम एक सौ रुपए से अधिक नहीं है;

के संबंध में लागू न होगी ।

बैंकों द्वारा चिट कारबार का संचालन न किया जाना ।

86. (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी, बैंक इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् कोई चिट कारबार प्रारंभ या संचालित नहीं करेगा । 15

(2) जहां किसी बैंक द्वारा कोई चिट ऐसे प्रारंभ के पूर्व प्रारंभ की गई थी वहां ऐसी चिट ऐसे प्रारंभ के पश्चात् तब तक जब तक वह पूरी न हो जाए और चिट करार के उपबन्ध और ऐसी विधियां, यदि कोई हों, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व इसे लागू थी, ऐसी चिट को लागू होंगी । 20

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए "बैंक" से कोई अनुमोदित बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खण्ड (खii) में यथा परिभाषित सहकारी बैंक अभिप्रेत है । 1934 का 2

छूट देने की शक्ति ।

87. राज्य सरकार, रिजर्व बैंक से परामर्श करके, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को या किसी चिट या किसी वर्ग की चिटों को, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों से छूट दे सकेगी । 25

इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही का संरक्षण ।

88. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात की बाबत कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, राज्य सरकार या रिजर्व बैंक के किसी अन्य अधिकारी अथवा इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले उसके किसी अधिकारी के विरुद्ध न होगी । 30

नियम बनाने की शक्ति ।

89. (1) राज्य सरकार, रिजर्व बैंक से परामर्श करके, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :— 35

(क) वह प्ररूप जिसमें और वह रीति जिससे धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन पूर्व मंजूरी अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा सकेगा;

(ङ) वे अतिरिक्त विशिष्टियां जो धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन चिट करार में अन्तर्विष्ट हो सकेंगी;

(ग) वे विशिष्टियां जो धारा 17 के अधीन इनाम निकालने की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त में सम्मिलित की जा सकेंगी;

(घ) धारा 20 के अधीन प्रतिभूति देने के प्रयोजन के लिए अनाज चिट में रजिस्ट्रार द्वारा मूल्यांकन की रीति;

(ङ) धारा 20 के अधीन प्रधान द्वारा दी गई प्रतिभूति की नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(च) वे रजिस्टर और बहियां और वह प्ररूप जिसमें ऐसे रजिस्टर और बहियां धारा 23 के अधीन प्रधान द्वारा रखी जा सकेंगी;

(छ) वह समय जिसके भीतर चिट कारबार संबंधी तुलनपत्र या लाभ-हानि लेखा धारा 24 के अधीन फाइल किया जाएगा;

(ज) वह दर जिस पर धारा 28 के अधीन किसी व्यतिक्रमी अभिदाता द्वारा न दी गई किस्तों पर ब्याज संदेय होगा;

(झ) वे विशिष्टियां जो धारा 49 के अधीन चिटों के परिसमापन के लिए आवेदन में सम्मिलित की जा सकेंगी;

(ञ) अध्याय 10 के उपबंधों के अधीन चिट के परिसमापन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(ट) धारा 63 के अधीन संदेय फीस;

(ठ) चिट कारबार के तुलनपत्र और लाभ और हानि लेखाओं की लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र का जारी किया जाना ;

(ड) वह प्ररूप और रीति जिसमें कोई विवाद धारा 64 के अधीन रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट किया जाएगा ;

(ढ) धारा 64 के अधीन रजिस्ट्रार या उसके नामनिर्देशिती को निर्दिष्ट विवादों के निपटारे के लिए उसके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;

(ण) धारा 67 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विषय;

(त) वे शर्तें जिनके अधीन और वह रकम जिसके संदाय पर धारा 81 के अधीन अपराधों का शमन किया जा सकेगा;

(थ) वह प्ररूप जिसमें और वह रीति जिससे इस अधिनियम के अधीन अपील की जा सकेगी और ऐसी अपील के लिए संदेय फीस;

(द) इस अधिनियम के अधीन सूचनाओं या अन्य आदेशिकाओं का जारी किया जाना और तामील किया जाना ;

(ध) इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी धनराशि को प्राप्त करने की प्रक्रिया और उसकी रीति ;

(न) कोई अन्य ऐसा विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए ।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र दो सदन वाले राज्य विधान मण्डल की दशा में, प्रत्येक सदन के समक्ष या एक सदन वाले विधानमण्डल की दशा में, उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

90. (1) आन्ध्र प्रदेश चिट फण्ड्स ऐक्ट, 1971, केरल चिट्टीज ऐक्ट, 1975, महाराष्ट्र चिट फण्ड्स ऐक्ट, 1974, तमिलनाडु चिट फण्ड्स ऐक्ट, 1961, जैसा कि वह तमिलनाडु राज्य में और चण्डीगढ़ और दिल्ली संघ राज्यक्षेत्रों में प्रवृत्त है, उत्तर प्रदेश चिट फण्ड्स अधिनियम, 1975, गोवा, दमण और दीव चिट फण्ड्स ऐक्ट, 1973, और पाण्डिचेरी चिट फण्ड्स ऐक्ट, 1966 इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के उपबन्ध ऐसे निरसन को वैसे ही लागू होंगे मानो इस प्रकार निरसित प्रत्येक ऐसा अधिनियम केन्द्रीय अधिनियम हो।

1971 का आन्ध्र प्रदेश ऐक्ट 9, 1975 का केरल ऐक्ट 23, 1974 का महाराष्ट्र ऐक्ट 55, 1961 का तमिलनाडु ऐक्ट 24, 1975 का उत्तर प्रदेश अधिनियम 53, 1973 का गोवा, दमण और दीव ऐक्ट 16, 1966 का पांडिचेरी ऐक्ट, 18 1897 का 10

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में वर्णित अधिनियम, इस अधिनियम के प्रारंभ पर प्रवृत्त चिटों को उसी रीति से लागू रहेंगे जैसे वे ऐसी चिटों को ऐसे प्रारम्भ से पहले लागू थे।

अनुसूची

(धारा 24 देखिए)

भाग 1—तुलनपत्र का प्ररूप

दायित्व	रु०	रु०	आस्तियां	रु०	रु०
1. पूंजी :			1. नकद		——
प्राधिकृत	——		2. बैंकों के पास अतिशेष :		
पुरोधृत	——		(क) चालू खाता	——	
समादत्त	——	——	(ख) जमा खाता	——	——
2. रिजर्व निधि		——	3. विनिधान :		
3. जमा		——	(क) चिटों में	——	
4. उधार		——	(ख) सरकारी प्रतिभूतियों में	——	
5. इनामी टिकटों में प्रदान का दायित्व		——	(ग) अन्य	——	——
6. संदेय इनाम की रकम		——	4. इनामी अभिदाताओं से शोध्य शेयर-रकम :		
7. व्यतिक्रमी अभिदाताओं की संदेय रकम		——	(क) प्रतिभूत	——	
			(ख) अप्रतिभूत	——	
8. प्राप्त किया गया अग्रिम अभिदाय		——	5. इनामी अभिदाताओं से शोध्य बकाए :		
			(क) प्रतिभूत	——	
9. गैर-इनामी अभिदाताओं के प्रति दायित्व (गैर-इनामी अभिदाताओं से बकायों को उपदर्शित किया जाएगा)		——	(ख) अप्रतिभूत	——	——
10. समाप्त की गई चिटों में संदेय रकम		——			
11. गैर-इनामी अभिदाताओं को संदेय नीलाम का लाभ		——	6. समाप्त की गई चिटों से शोध्य रकम :		
			(क) प्रतिभूत	——	
12. अन्य दायित्व		——	(ख) अप्रतिभूत	——	——
13. लाभ और हानि लेखा		——	7. पहले संदत्त चिट के इनाम की रकम		——
कुल रु०		——	8. अभिदाताओं को उधार और अग्रिम		——
			9. मुकदमें सम्बन्धी व्यय		——
			10. परिसर		
			11. फर्नीचर और फिक्सचर		
			12. स्टाक में स्टाम्पें		
			13. अन्य आस्तियां		
			14. लाभ और हानि लेखा		
			कुल रु०		——

प्रवृत्त चिटों की अर्थात् चालू चिटों की कुल चिट रकमें

4, 5 और 6 के सामने दर्शित रकमों के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट की जाने वाली विशिष्टियां ।

(i) कम्पनी के निदेशकों या अधिकारियों या उनमें से किसी से, किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से शोध्य रकमें ;

(ii) ऐसी कम्पनियों या फर्मों से शोध्य रकमें जिनमें कम्पनी के निदेशक, निदेशकों, भागीदारों के रूप में या प्राइवेट कम्पनी की दशा में सदस्य के रूप में हितबद्ध हों ।

भाग 2—हानि और लाभ लेखा का प्रकल्प

व्यय		आय	
	रु०		रु०
1. निक्षेपों, उधारों आदि पर संदत्त ब्याज के लिए		1. प्रधान के कमीशन द्वारा	
2. वेतनों, अभिदायों, बोनस और भविष्य निधि के लिए		2. बोनस द्वारा	
3. निदेशकों की वर्तमान फीसों के लिए		3. ब्याज द्वारा	
4. किराए, करों, बीमा, बिजली के लिए		4. नीलाम में हुए लाभ की अविभाज्य आय द्वारा	
5. विधि प्रभारों के लिए		5. किराए द्वारा	
6. डाक महसूल, टेलिग्रामों और स्टाम्पों के लिए		6. विनिधानों के विक्रय पर शुद्ध लाभ द्वारा	
7. लेखापरीक्षकों की फीसों के लिए		7. अन्य प्राप्तियां	
8. फाइल करने की फीसों के लिए		8. हानि	
9. अवक्षयण और मरम्मतों के लिए			
10. कागज-पत्र, मुद्रण और विज्ञापन के लिए			
11. अन्य व्यय			
12. लाभ का अतिशेष			
जोड़ रु०		जोड़ रु०	

परिशिष्ट एक

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 2)

विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिए लोक सभा में स्वीकृत प्रस्ताव

"कि चिट फंड और इससे संबंधित मामलों के विनियमन की व्यवस्था करने के लिये इस विधेयक को एक प्रवर समिति को भेजा जाये जिसके निम्नलिखित 21 सदस्य हैं, अर्थात्:—

1. श्री ईरा अनबारासु
2. डा० ए० यू० आजमी
3. श्री मनगभाई बरोट
4. श्री सुब्बाराव चौधरी चित्तूरी
5. श्री आर० वाई० धोरपाड़े
6. श्री कृष्ण कुमार गोयल
7. श्री पी० के० कोडियन
8. प्रोफ पी०जे० कूरियन
9. श्री सुनील मैत्रा
10. श्री राम जी भाई मावणि
11. श्री नित्यानन्द मिश्र
12. श्री कुमबुम एन० नटराजन
13. श्री भोला राउत
14. श्री टी०आर० शमन्ना
15. श्री शान्ताराम पोटदुखे
16. श्री प्रताप भानु शर्मा
17. श्री शिव शंकर
18. श्री रणबीर सिंह
19. श्री भाऊ साहिब थोरट
20. श्री गिरधारी लाल व्यास; और
21. श्री आर० वेंकटरामन

इन निर्देशों के साथ कि छठे सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जाये।"

परिशिष्ट दो

चिट फंड विधेयक, 1980 संबंधी प्रवर समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश

एक

पहली बैठक

समिति की बैठक, मंगलवार, 27 जनवरी, 1981 को 15.00 बजे से 15.50 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री ईरा अनबारासु—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. डा० ए० यू० आजमी
3. श्री मगनभाई बरोट
4. श्री आर० वाई० घोरपाडे
5. श्री पी० के० कोडियन
6. प्रो० पी० जे० कुरियन
7. श्री सुनील मैत्रा
8. श्री नित्यानन्द मिश्र
9. श्री कुमबुम एन० नटराजन
10. श्री भोला राउत
11. श्री टी० आर० शमन्ना
12. श्री शान्ताराम पोटदुखे
13. श्री शिव शंकर
14. श्री रणबीर सिंह
15. श्री भाऊ साहिब थोरट

सचिवालय

श्री ज्ञान चन्द—अवर सचिव।

श्री एस० एस० चावला—वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० रामैय्या, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता।

श्री सी० रमन मेनन, अवर विधायी परामर्शदाता।

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग—बैंकिंग प्रभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री आर० एन० मल्होत्रा, सचिव
2. श्री बलदेव सिंह, संयुक्त सचिव
3. श्री सी० डब्ल्यू० मीरचन्दानी, उप सचिव
4. श्री आर० अन्नाजी राय, मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता।
5. श्री बी० एन० चिकरमाने, उप मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई।

2. आरम्भ में सभापति ने सदस्यों का स्वागत किया और प्रस्तावित विधायी उपबंधों और समिति के समक्ष काम के महत्व और तात्कालिकता की ओर उनका ध्यान दिलाया। सभापति ने विधेयक पर दस्तावेजों के भेजे जाने के संबंध में भी जानकारी दी।

3. विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री और वित्त उपमंत्री ने प्रस्तावित विधेयक की पृष्ठाधार जानकारी वित्तीय प्रभाव और अविलम्बनीयता के संबंध में भी समिति को बताया।

4. तत्पश्चात् समिति ने भारी कार्यक्रम के बारे में विचार किया।

समिति ने राज्य सरकारों, चिटफंड कम्पनियों, सरकारी निकायों, संगठनों, व्यक्तियों, जो विधेयक की विषय-वस्तु में रूचि रखते हों, उनसे 21 फरवरी, 1981 तक समिति के विचारार्थ ज्ञापन आमंत्रित करने का निश्चय किया।

समिति ने सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य प्रशासनों के मुख्य सचिवों को भी एक परिपत्र भेजने का निश्चय किया जिसमें उनसे विधेयक के उपबंध पर सरकार की टिप्पणियां/सुझाव मांगे गये हों।

5. समिति ने यह भी निश्चय किया कि हितबद्ध पक्षों का मौखिक साक्ष्य लिया जाये और इसके लिए समिति ने पक्षों का चुनाव करने के लिए सभापति को प्राधिकृत किया।

6. तत्पश्चात् समिति ने विधेयक के संबंध में अनुबंध में बताई गई शर्तों के अनुसार ज्ञापन तथा मौखिक साक्ष्य देने के इच्छुक व्यक्तियों से अनुरोध आमंत्रित करने हेतु एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का फैसला किया। समिति ने यह इच्छा भी व्यक्त की कि क्रमशः आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र से प्रसारण द्वारा इस प्रेस विज्ञप्ति के विषय का व्यापक प्रचार किया जाये।

7. समिति ने यह इच्छा भी व्यक्त की कि समिति को जो ज्ञापन प्राप्त हों, वित्त मंत्रालय उनको सारणीबद्ध करके उनमें उठाये गये विभिन्न मुद्दों के बारे में समिति के विचारार्थ अपनी टिप्पणियां दें।

8. समिति ने यह इच्छा भी व्यक्त की कि प्रस्तावित विधेयक के बारे में वित्त मंत्रालय एक विस्तृत पृष्ठाधार नोट प्रस्तुत करें जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ चिट फंड कम्पनियों द्वारा दिये जा रहे कदाचार तथा उसकी रोकथाम के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया हो।

9. समिति ने सभापति को समिति की अगली बैठक की तारीख तथा समय निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया।

10. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

लोक सभा सचिवालय

प्रेस विज्ञप्ति

लोक सभा की चिट फंड विधेयक, 1980 संबंधी प्रवर समिति ने श्री इरा अनवारासु की अध्यक्षता में हुई समिति की पहली बैठक में आज यह फैसला किया कि विधेयक की विषयवस्तु में रुचि रखने वाली तथा विधेयक के उपबंधों के बारे में समिति के विचारार्थ ज्ञापन प्रस्तुत करने की इच्छुक राज्य सरकारें, चिट फंड कम्पनियां, सरकारी निकाय, संगठन तथा व्यक्ति आदि जहां तक हो सकें, ज्ञापनों की 45 प्रतियां भेजें जो सचिव, लोक सभा, संसदीय सौध, नई दिल्ली के पास 21 फरवरी, 1981 को अथवा उससे पूर्व पहुंच जाएं। विधेयक, जो कि एक केन्द्रीय विधान है, का आशय चिट फंडों के व्यवहार में एकरूपता लाना है।

यह विधेयक कुछेक राज्यों में प्रवृत्त चिट फंड संबंधी विधान के अनुरूप ही है इस विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ चिट कारोबार करने वाली कम्पनियों के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता, चिट फंड कम्पनियों द्वारा कोई अन्य कारोबार करने पर प्रतिषेध, चिट फंड संस्थाओं द्वारा संचालित चिट की कुल रकम की साम्यापूर्ण अधिकतम सीमा निर्धारित करना, प्रधान और अभिदाताओं के बीच विवादों का माध्यस्थ आदि के द्वारा निपटारा किए जाने के लिए स्वतः पूर्ण तंत्र की व्यवस्था का उपबंध है। इस विषय से संबंधित विद्यमान राज्य अधिनियमों के निरसन का उपबंध भी विधेयक में किया गया है।

समिति को जो भी ज्ञापन प्रस्तुत किये जायेंगे वे समिति के रिकार्ड का अंग होंगे और उनको बिल्कुल गोपनीय समझा जाना चाहिये तथा उनको किसी को भी परिचालित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने का तात्पर्य समिति के विशेषाधिकार का हनन होगा।

ज्ञापन भेजने के अतिरिक्त जो लोग समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने के इच्छुक हों, उनसे अनुरोध है कि वे समिति के विचारार्थ इस आशय की सूचना पूर्वोक्त तारीख तक लोक सभा सचिवालय को दे दें।

लोक सभा में पुरःस्थापित रूप से चिट फंड विधेयक, 1980 दिनांक 20 नवम्बर, 1980 को भारत के राजपत्र, असाधारण, खंड दो, भाग 2 में प्रकाशित किया गया था।

नई दिल्ली,
27 जनवरी, 1981

---

7 माघ, 1902 (शक)

संख्या 5/4(1)/80/सी दो] 27 जनवरी, 1981

7 माघ, 1902 (शक)

निम्नलिखित के सूचनार्थ प्रति प्रेषित :

1. महानिदेशक (श्री यू० एल० बरुआ), आकाशवाणी, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक (श्री एस०पी० नारायण), दूरदर्शन, नई दिल्ली।

यह अनुरोध किया जाता है कि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के समस्त केन्द्रों से लगातार तीन दिन तक इसका प्रसारण किया जाये और इस आशय की सूचना प्रवर समिति के सूचनार्थ इस सचिवालय को भेजने की कृपा करें।

वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

श्री

दूसरी बैठक

समिति की बैठक बृहस्पतिवार, 9 अप्रैल, 1981 को 15.00 बजे से 15.40 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री हीरा भाई भगवाराजु—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री मगनभाई बरोट
3. श्री कृष्ण कुमार गोयल
4. श्री पी० के० कोडियन
5. प्रो० पी०जे० कुरियन
6. श्री नित्यानन्द मिश्र
7. श्री टी०आर० शमन्ना
8. श्री शान्ताराम पोटदुखे
9. श्री शिव शंकर
10. श्री गिरधारी लाल व्यास
11. श्री आर० वेंकटरामन

सचिवालय

श्री एस०एस० चावला—वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० रमैय्या—संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता
2. श्री सी० रमन मेनन—अपर विधायी परामर्शदाता

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)—बैंकिंग प्रभाग के प्रतिनिधि

1. श्री आर० एन० मल्होत्रा, सचिव
2. श्री बलदेव सिंह, संयुक्त सचिव
3. श्री सी० डब्ल्यू० मीरचन्दानी, उप सचिव
4. श्री आर० अन्ना जी राव, मुख्य अधिकारी, रिजर्व बैंक आफ इंडिया, कलकत्ता।
5. श्री बी० एन० चिक्रमने, उप मुख्य अधिकारी, रिजर्व बैंक आफ इंडिया, कलकत्ता।

2. आरम्भ में सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि प्रेस विज्ञप्ति और परिपत्र के उत्तर में विधेयक पर अनेक ज्ञापन प्राप्त हुए थे और उन्हें सदस्यों को भेजा गया है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि प्राप्त ज्ञापनों की वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा जांच की जा रही है और उन्हें सरणीबद्ध किया जा रहा है।

सभापति ने सदस्यों को यह भी सूचित किया कि अनेक हितबद्ध पक्षों द्वारा समिति के समक्ष अपने विचार प्रकट करने के लिए उनके स्थानों पर आने का अनुरोध किया गया है।

3. समिति ने तत्पश्चात् हितबद्ध पक्षों से विधेयक पर उनका मौखिक साक्ष्य लेने के कार्यक्रम पर विचार किया। इस बात पर चर्चा करते हुए कि क्या समिति को अध्ययन दलों में जाकर हितबद्ध पक्षों से अनौपचारिक चर्चा करनी चाहिए अथवा देश के विभिन्न स्थानों पर औपचारिक बैठकें करके साक्ष्य लेना चाहिए। वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) ने सुझाव दिया कि समिति को साक्ष्य लेने के लिए ऐसे राज्यों में अपनी बैठकें करनी चाहिए जिनमें विटफंड कम्पनियां अधिक सक्रिय हैं जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इस प्रयोजन के लिए समिति को राज्यों की राजधानी में राज्य विधानसभा भवनों में, जहां तक संभव हो, वहां के माननीय अध्यक्ष से अनुमति लेकर बैठकें करनी चाहिए।

कुछ सदस्यों ने बताया है कि इन सभी राज्यों में मौखिक साक्ष्य लेने का कार्य एक साथ पूरा करना संभव नहीं होगा अतः समिति ने निम्नलिखित तीन दौरों में निम्नलिखित स्थानों में मौखिक साक्ष्य लेने का निर्णय किया।

1. मद्रास, बंगलौर और त्रिवेन्द्रम
2. कलकत्ता, हैदराबाद और बम्बई
3. दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश के लिए दिल्ली में साक्ष्य लेना।

4. समिति ने पहले दौरे में मद्रास, बंगलौर और त्रिवेन्द्रम में 28 मई, 1981 से 2-3 दिन की बैठकें करने का निश्चय किया।

5. समिति ने यह भी निश्चय किया कि अन्य राज्यों में बैठकें करने का कार्यक्रम पहले दौर में साक्ष्य लेने के पश्चात् किया जायेगा।

6. तत्पश्चात् समिति ने सभापति को साक्ष्य लेने का विस्तृत कार्यक्रम बनाने और इस प्रयोजन के लिए पक्षों का चयन करने के लिए प्राधिकृत किया।

7. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

तीन

तीसरी बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 28 मई, 1981 को 10.00 बजे से 13.25 बजे तक कांफ्रेंस हाल, दसवीं मंजिल, नये सचिवालय भवन, मद्रास में हुई।

उपस्थित

श्री ईरा अनवारासु—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. डा० ए० य० आजमी
3. श्री मगन भाई बरोट
4. श्री कृष्ण कुमार गोयल
5. श्री पी० के० कोडियन
6. श्री रामजी भाई मावणि
7. श्री कुमबुम एन० नटराजन
8. श्री टी०आर० शमन्ना
9. श्री शांताराम पोटदुखे

सचिवालय

श्री एस० एस० चावला—वरिष्ठ वित्तीय समिति अधिकारी

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग—बैंकिंग प्रभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री आर० के० कौल, अपर सचिव (बैंकिंग)
2. श्री वी० पी० साहनी, संयुक्त सचिव (बैंकिंग)
3. श्री सी० डब्ल्यू० मीरचन्दानी, उप-सचिव
4. श्री आर० अन्नाजी राव, मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता
5. श्री वी० एन० चिकरमाणे, उप मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई।

2. समिति द्वारा निम्नलिखित संगठनों के प्रतिनिधियों, व्यक्तियों आदि का साक्ष्य लेने से पहले सभापति ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष के निर्देशों के निर्देश 58 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की ओर उनका ध्यान दिलाया :—

एक—कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट चिट फंडस् एसोसिएशन, कोयम्बटूर

प्रतिनिधि

1. श्री पी०एस० सम्बामूर्ति, अध्यक्ष
2. श्री वी० राजकुमार, सचिव

(10.00 बजे से 11.05 बजे तक)

दो--तमिलनाडु चिट फंड कम्पनीज एसोसिएशन, तिरुनेलवेल्ली
प्रवक्ता

1. श्री टी० एस० साम्बामूर्ति, अध्यक्ष
2. श्री टी० सुब्रमण्यम, सहायक सचिव
3. श्री ए० एस० रंगास्वामी, सचिव
4. श्री परम शिवम, सदस्य

(11.00 बजे से 11.55 बजे तक)

तीन-- (क) सुदर्शन फाइनेंस कारपोरेशन, मद्रास
प्रवक्ता

1. श्री सी० बी० एम० वारीयर
2. श्री पी० जे० सैमुअल
3. श्री एन० सी० सहदेवन

(ख) सुदर्शन चिट्स इंडिया) लिमिटेड, मद्रास
प्रवक्ता

1. श्री के० पी० बदान
2. श्री एम० शेखरन

(12.00 बजे से 12.55 बजे तक)

चार--(क) श्री एस० के० भरत, प्रबंधक, यूनाईटेड कमर्शियल बैंक, मद्रास

(ख) श्री के० ए० पलानास्वामी, वकील, सलेम

(13.00 बजे से 13.20 बजे तक)

3. साक्ष्य का शाब्दशः रिकार्ड रखा गया।

4. तत्पश्चात् समिति की बैठक शुक्रवार, 29 मई, 1981 को 10.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

(चार)

चौथी बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 29 मई, 1981 को 10.00 बजे से 13.30 बजे तक कांफ्रेंस हाल, दसवीं मंजिल, नये सचिवालय भवन, मद्रास में हुई।

उपस्थित

श्री ईरा अनारासु—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. डा० ए० यू० आजमी
3. श्री मगन भाई बरोट
4. श्री आर० वी० घोरपाडे
5. श्री कृष्ण कुमार गोयल
6. श्री पी०के० कोडियन
7. श्री रामजी भाई मावणि
8. श्री कुमबुम एन० नटराजन
9. श्री टी० आर० शमन्ना
10. श्री शान्ताराम पोटदुखे

सचिवालय

श्री एस० एस० चावला—वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग—बैंकिंग प्रभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री आर० के० कौल, अपर सचिव (बैंकिंग)
2. श्री वी० पी० साहनी, संयुक्त सचिव (बैंकिंग)
3. श्री सी० डब्ल्यू० मीरचन्दानी, उप-सचिव
4. श्री आर० प्रभाजीराव, मुख्य अधिकारी, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, कलकत्ता
5. श्री बी० एन० चिकरमाणे, उप-मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई।

2. समिति द्वारा निम्नलिखित संगठनों के प्रतिनिधियों, व्यक्तियों आदि का साक्ष्य लिये जाने पर सभापति ने लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की ओर उनका ध्यान दिलाया :—

एक—इनकारपोरेटिड चिट फंड कम्पनीज एसोसिएशन, आयनावरम (तमिलनाडु)

प्रवक्ता

1. श्री ओ० एम० रामचन्द्रम, अध्यक्ष
2. श्री आर० कल्याण सुन्दरम, सचिव

3. प्रो० एस० राधाकृष्णन
4. श्री वी० धर्मराज
5. श्री के० एम० बालवेंकटरमन
6. श्री एम० सत्पुतरन
7. श्री के० जयचन्द्रन

(10.00 बजे से 11.05 बजे तक)

दो—(क) सलेम चिट फंड्स एण्ड फाइनेंसिज एसोसिएशन, सलेम

प्रवक्ता :

1. श्री आर० बालेश कुमार
2. श्री व्यापूरी
3. श्री एस० कृष्णमूर्ति
4. श्री वी० जयचन्द्रन

(ख) रूबी कारपोरेशन, तिरुची

प्रवक्ता

1. श्री के० एस० षण्मुगम, प्रबंध भागीदार
2. श्री एम० गोविंदराजन, सहायक प्रबंध भागीदार
3. श्री टी० वरदराजन, भागीदार

(11.10 बजे से 12.05 बजे तक)

तीन—पोल्लाची के चिट फोरमैन, कोयम्बटूर जिला

प्रवक्ता

1. श्री एस० कृष्णमूर्ति } कृष्णमूर्ति चिट फंडस और कृष्णमूर्ति
2. श्री एस० परमशिवम } चिट फंडस
3. श्री ए० मणिकम—चिट एजेन्ट
4. श्री पो० सो० वासुदेवन—श्री षण्मुगा चिट फंड्स

(12.10 बजे से 12.45 बजे तक)

चार. श्री एस० वेंकटरमन,

निदेशक, (सेवा निवृत) डाक-तार विभाग,

12/2, 12 वां एवेन्यू, अशोक नगर मद्रास–600083

(12.50 से 13.25 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दश रिकार्ड रखा गया।

4. तत्पश्चात् समिति की बैठक शनिवार, 30 मई, 1981 को दस बजे पुन समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

पांचवी बैठक

समिति की बैठक नये सचिवालय भवन, मद्रास की 10वीं मंजिल, कान्फ्रेंस हाल में शनिवार, 30 मई, 1981 को 10.00 से 12.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री ईरा अनबारासु—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. डा० ए० यू० आजमी
3. श्री आर० वाई० घोरपाडे
4. श्री कृष्ण कुमार गोयल
5. श्री पी० के० कोडियन
6. श्री रामजीभाई मावणि
7. श्री टी० आर० शमन्ना
8. श्री शान्ताराम पोतदुखे
9. श्री आर० वेंकटरमन

सचिवालय

श्री एस० एस० चावला (वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी)

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग डिवीजन) के प्रतिनिधि

1. श्री आर० के० कौल, अपर सचिव (बैंकिंग)
2. श्री वी० पी० साहनी, संयुक्त सचिव (बैंकिंग)
3. श्री सी० डब्ल्यु मीरचन्दानी, उप सचिव
4. श्री आर० अप्पाजी राव, मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता
5. श्री वी० एन० चिक्करमणि, उप मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक बम्बई।

2. समिति द्वारा निम्नलिखित संगठनों, तथा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन आदि के प्रतिनिधियों का साक्ष्य सुनने से पूर्व सभापति ने लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की ओर उनका ध्यान दिलाया ;

1. बालाजरी बेनिफिट चिटफण्ड (पी.) लि०, मद्रास

प्रवक्ता

1. श्री ई० एस० राजा, एडवोकेट
2. श्री एम० वी० वैद्यनाथन, निदेशक

(10.00 से 11.20 बजे तक)

II. तमिल नाडु सरकार

प्रवक्ता

1. श्री पी० वी० वेंकटकृष्णन, आयुक्त तथा सरकार के सचिव, वाणिज्यिक कर और धार्मिक विन्यास विभाग
2. श्री आर० शन्मुग सिहामणि, पंजीकरण के महानिरीक्षक और चिट्टीं के निदेशक
3. श्री वी० एम० वैनीमलाई पाण्डीयन, सरकार के उप सचिव
4. श्री एम० सईद मौहम्मद, सरकार के अवर सचिव
5. श्री आर० मुथुलिंगम, सलैक्ट ग्रेड—सब-रजिस्टार

(11.25 से 12.10 बजे तक)

III. पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन

प्रवक्ता

1. श्री दियागरसाने, जिला रजिस्टार, पाण्डिचेरी
2. श्री माउ रामास्वामी, चिट रजिस्टार

(12.15 से 12.25 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दश: रिकार्ड रखा गया।

4. तत्पश्चात् समिति ने मौखिक साक्ष्य लेने के लिये कलकत्ता, हैदराबाद और बम्बई का दौरा करने सम्बन्धी अपने पूर्वगती निर्णय पर पुन: विचार किया। समिति का विचार था कि क्योंकि पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से मौखिक साक्ष्य लेने के लिये कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, कलकत्ता और बम्बई में इसके लिये होने वाली बैठकों को 'ना' किया जाए।

समिति ने यह भी निर्णय किया कि हैदराबाद से जिन पार्टियों ने मौखिक साक्ष्य लेने के लिये निवेदन किया है, उन्हें इसके लिये नई दिल्ली आमन्त्रित किया जाये।

5. समिति ने सभापति को प्राधिकृत किया कि वह मौखिक साक्ष्य लेने के लिये नई दिल्ली में होने वाली बैठकों के अगले दौर के लिये जुलाई, 1981 के प्रथम सप्ताह में दिन और समय निर्धारित करें।

6. समिति ने सचिवालय भवन में अपनी बैठकों को करने में तमिल नाडु सरकार द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता की हार्दिक सराहना की।

7. समिति ने आय कर विभाग तथा निवारक विभाग, सीमाशुल्क, मद्रास के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा उनको प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता की भी हार्दिक सराहना की।

8. तत्पश्चात् समिति की बैठक 1 जून, 1981 को बंगलौर में 10.00 बजे पुन: समवेत होने के लिये स्थगित हुई।

छः

छठी बैठक

समिति की बैठक समिति कमरा सं० 313 विधान सौध, बंगलौर में सोमवार, 1 जून, 1981 को 11.00 से 12.10 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री ईरा अनबारासु—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. डा० ए० यू० आजमी
3. श्री आर० वाई० घोरपाडे
4. श्री कृष्ण कुमार गोयल
5. श्री पी० के० कोडियन
6. श्री रामजीभाई मावणि
7. श्री टी० आर० शमन्ना
8. श्री शान्ताराम पोडवुखे
9. श्री भाऊसाहिब थोरट
10. श्री आर० वेंकटरामन

सचिवालय

श्री एच० एस० कोहली—वरिष्ठ प्रधान परीक्षक

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग—बैंकिंग डिवीजन) के प्रतिनिधि

1. श्री आर० के० कौल, अपर सचिव (बैंकिंग)
2. श्री वी० पी० साहनी, संयुक्त सचिव (बैंकिंग)
3. श्री सी० डब्ल्यू मीरचन्दानी, उप सचिव
4. श्री आर० अप्पाजी राव, मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता
5. श्री बी० एन० चिक्करमणि, उप मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई।

2. समिति द्वारा निम्नलिखित संगठनों के प्रतिनिधियों, व्यक्तियों आदि का साक्ष्य सुनने से पूर्व, सभापति ने लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की ओर उनका ध्यान दिलाया:

I. श्री काम्यका चिट एण्ड फाइनेंसिज (पी) लि०, हसन

प्रवक्ता

1. श्री एच० एस० जयशेखर गुप्ता, अध्यक्ष
2. श्री बी० एच० सत्यनारायण शेट्टी, कार्यकारी निदेशक

(10.00 से 11.15 बजे तक)

II. श्री बी० एस० शास्त्री, अनुभाग प्रमुख, जीवन बीमा निगम, बंगलौर

(11.20 से 12.05 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

4. तत्पश्चात् समिति की बैठक मंगलवार, 2 जून, 1981 को 10.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हो गई।

सातवीं बैठक

समिति की बैठक समिति कमरा सं० 313, विधान सौध, बंगलौर में मंगलवार 2 जून 1981 को 10.00 बजे से 12.05 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री ईरा अनवारासु—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री ए० यू० आज़मी
3. श्री मगन भाई बरोट
4. श्री आर० वाई० घोरपाडे
5. श्री कृष्ण कुमार गोयल
6. श्री पी० के० कोडियन
7. श्री रामजीभाई मावणि
8. श्री भोला राउत
9. श्री टी० आर० शमन्ना
10. श्री शान्ताराम पोडवुखे
11. श्री भाऊसाहिब थोरट

सचिवालय

श्री एच० एस० कोहली, वरिष्ठ प्रश्न परीक्षक

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग--बैंकिंग डिविजन) के प्रतिनिधि

1. श्री आर० के० कौल, अपर सचिव (बैंकिंग)
2. श्री वी० पी० साहनी, संयुक्त सचिव (बैंकिंग
3. श्री सी० डब्ल्यू० मीरचन्दानी, उप सचिव
4. श्री आर० अन्नाजी राव मुख्य अधिकारी; भारतीय रिजर्व बैंक कलकत्ता
5. श्री वी० एन० चिक्करमणि, उपमुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक बम्बई,

2. समिति द्वारा निम्नलिखित राज्य सरकारों, संगठनों के प्रतिनिधियों तथा व्यक्तियों के साक्ष्य सुने जाने के पूर्व सभापति ने लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों के निदेश 58 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की ओर ध्यान दिलाया :

I. कर्नाटक सरकार, बंगलौर

प्रवक्ता

1. श्री के० आर० रामास्वामी आयंगर, संयुक्त सचिव, विधि विभाग

2. श्री ए० मोहन राम मोतिल, गृह सचिव
(10.00 से 11.25 बजे तक)

II. (क) श्री के० एन० वी० राव, सचिव, कर्नाटक स्टेट ग्रग्रम सिटीजन फैडरेशन, बंगलौर–10

(ख) श्री एम० मुरग् कल्प्पन, 99, 12 वीं मेन रोड, छठा ब्लॉक, राजा जी नगर, बंगलौर

(ग) श्री एच० पी० प्रकाश कुमार, प्रकाश कॉफी वर्क्स, आजाद रोड, हसन

(घ) श्री एम० ग्रशोक, कापसिया टेलर, पैलेस लार्ज बिल्डिंग, कुमार पार्क वैस्ट, बंगलौर–20

(11.30 से 11.50 बजे तक)

III. कर्नाटक स्टेट चिट प्रमोटर्स फाइनेंसर्स एसोसियशन बंगलौर

प्रवक्ता

1. श्री वी० एस० बासप्पा शैट्टी, ग्रध्यक्ष
2. श्री जी० यू० रामानुजनम, उपाध्यक्ष
3. श्री डी० ई० बलरामैया, सचिव
4. श्री जी० ग्रार० गंगाधरैया

(11.55 से 12.00 बजे तक)

3 साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

4 समिति ने समिति कमरा, विधान सौध, बंगलौर में अपनी बैठकें करने में सचिव कर्नाटक विधान सभा, बंगलौर द्वारा उनको प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता की हार्दिक सराहना की।

5. समिति ने ग्रायकर विभाग तथा बंगलौर में बैंकों के ग्रधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा उनको प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता की भी हार्दिक सराहना की।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक गुरुवार, 4 जून, 1981 को त्रिवेन्द्रम में 10.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हो गई।

(आठ)

आठवीं बैठक

समिति की बैठक गुरुवार 4 जून, 1981 को 10.00 बजे से 13.30 बजे तक दरबार हाल, सचिवालय बिल्डिंग त्रिवेन्द्रम में हुई।

उपस्थित

श्री आर० वाई० घोरपाडे — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. डा० ए० यू० आजमी
3. श्री मगनभाई बरोट
4. श्री कृष्ण कुमार गोयल
5. श्री पी० के० कोडियन
6. श्री रामजी भाई मवाणी
7. श्री टी० आर० शमन्ना
8. श्री शाल्लाराम पोटदुखे
9. श्री भाऊसाहिब थोरट

सचिवालय

श्री एच० एस० कोहली,—वरिष्ठ प्रपत्र परीक्षक

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग—बैंकिंग) भारत के प्रतिनिधि

1. श्री बी० पी० साहनी, संयुक्त सचिव (बैंकिंग)
2. श्री आर० अन्नाजी राव, मुख्य अधिकारी, रिजर्व बैंक आफ इंडिया कलकत्ता
3. श्री बी० एन० चिक्करमने, उपमुख्य अधिकारी, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बम्बई

2. सभापति की अनुपस्थिति में समिति ने लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 258 (3) के अंतर्गत श्री आर० वाई० घोर पांडे को बैठक का सभापति चुना।

3. प्रतिनिधियों का साक्ष्य लेने से पूर्व सभापति ने निम्नलिखित संगठनों, व्यक्तियों आदि का ध्यान लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 की ओर दिलाया।

1. राज्य सहकारी संघ, त्रिवेन्द्रम

प्रवक्ता :

1. श्री टी० आर० थोमन, चेयरमैन
2. श्री पी० जे० जोसफ कुंजु, सदस्य
3. श्री पी० ए० भास्करण नायर, सदस्य

(10.00 बजे से 10.40 बजे तक)

2. चेम्बर ऑफ कामर्स, त्रिचुर

प्रवक्ता :

1. श्री सी० एम० जार्ज, अध्यक्ष
2. श्री जोस पोटोकरन, अवैतनिक संयुक्त सचिव
3. श्री सी० पी० माने, सदस्य

(10.45 से 11.30 बजे तक)

3. (क) सैंट्रल ट्रावनकोर चिट्टी फोरमेन्स एसोसिएशन, कोसंगामोली

प्रवक्ता :

1. श्री आर० शरीकुमार, एडवोकेट
2. श्री अम्बादील कुट्टप्पन, वाइस प्रेसीडेंट
3. श्री आर० केसरन् नायर, सचिव

ख. आल केरल चिट्टी फोरमेन्स एसोसिएशन, कोट्टयम

प्रवक्ता :

1. श्री थामपन जोसफ, प्रेसीडेंट
2. श्री के० ई० वासुदेवपनिकर, कोषाध्यक्ष

(11.35 से 12.00 बजे तक)

4. चौवा कोआपरेटिव करल बैंक लि०, कन्नानौर

प्रवक्ता :

श्री पूचली गोपालन, प्रेसीडेंट

(12.05 से 12.20 बजे तक)

5. श्री सी० वी० वर्गीज,

रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल आफ रजिस्ट्रेशन, त्रिचुर

(12.25 से 12.30 बजे तक)

6. मुथूत एम० जार्ज चिट्स (इंडिया) लि० कोजनचारी, केरला।

श्री जार्ज एलेक्जेंडर, ए० सी० ए०

(12.35 से 13.35 तक)

4. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

5. तत्पश्चात् समिति की बैठक शुक्रवार, 5 जून, 1981 को 9.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

नौवीं बैठक

समिति की बैठक दरबार हाल, सेक्रेटेरियेट बिल्डिंग्स, त्रिवेन्द्रम में शुक्रवार 5 जून, 1981 को पूर्वाह्न 9.30 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री ईरा अनवरासु—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. डा०ए० यू० आज़मी
3. श्री मगनभाई बरोट
4. श्री आर० वाई० घोरपाडे
5. श्री कृष्ण कुमार गोयल
6. श्री पी० के० कोडियन
7. श्री रामजीभाई मावणि
8. श्री टी० आर० शमन्ना
9. श्री शान्ताराम पोडदुखे
10. श्री भाऊसाहिब थोरट

सचिवालय

श्री एच० एस० कोहली—वरिष्ठ प्रश्न परीक्षक

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग—बैंकिंग डिविजन) के प्रतिनिधि

1. श्री वी० पी० साहनी, संयुक्त सचिव (बैंकिंग)
2. श्री आर० अन्नाजी राव, मुख्य अधिकारी, भारतीय रिज़र्व बैंक, कलकत्ता।
3. श्री वी० एन० चिक्करमणि, उप मुख्य अधिकारी, भारतीय रिज़र्व बैंक, बम्बई।

2. समिति द्वारा निम्नलिखित राज्य सरकारों संगठनों तथा प्रतिनिधियों का साक्ष्य सुनने से पूर्व सभापति ने लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की ओर उनका ध्यान दिलाया।

एक—केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम

प्रवक्ता

1. श्री एम० एस० जोसेफ, रजिस्ट्रार, (कोआपरेटिव सोसाइटिस)
2. श्री जी० एस्वरा वारियर, इन्सपेक्टर जनरल, रजिस्ट्रेशन
3. टी० जी० रमन, डिप्टी इंसपक्टर जनरल, रजिस्ट्रेशन (मु०)
4. श्री पीटर विक्टर, असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर जनरल, रजिस्ट्रेशन (चिट्टी स्कीम)

(9.30 बजे से 10.55 बजे तक)

दो—आल केरल सिट्टी एम्पलाईज यूनियन, कोट्टायम

प्रवक्ता

1. श्री पी० एस० सी० पणिक्कर, सचिव
2. श्री कुट्टापन नायर, कार्यकारिणी सदस्य।
3. श्री एम० पी० राजाप्पन पिल्ला, कार्यकारिणी सदस्य

(11.00 बजे से 11.05 बजे तक)

तीन—केरल स्टेट कायर्नेशियल एन्टरप्राइजेज लि०, त्रिचुर

प्रवक्ता

1. श्री के० अब्दुलकादर, चेयरमैन
2. श्री एन० रामचन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक

(11.10 बजे से 11.40 बजे तक)

चार—कुरी फोरमैन्स एसोसियेशन, त्रिचुर

प्रवक्ता

1. श्री टी० आर० पौल, अध्यक्ष
2. श्री के० ए० थोमस, निदेशक
3. श्री टी० जी० जोन, निदेशक

(11.45 बजे से 12.35 बजे तक)

पांच—श्री सी० एस० जोसेफ, भूतपूर्व नगरपालिका अध्यक्ष, त्रिचुर

(12.40 बजे से 12.45 बजे तक)

छः—डा० के० एम० के० नायर,

"विमुक्ता" पद्मनगर, पोर्ट पी० ओ० त्रिवेन्द्रम-23

(12.50 बजे से 12.55 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

4. समिति ने 30 मई, 1981 की बैठक में लिये गये अपने पूर्ववर्ती निर्णय पर पुनर्विचार किया और निश्चय किया कि जुलाई 1981 के पहले सप्ताह में किसी समय इस विषय में रुचि रखने वाले व्यक्तियों आदि से मौखिक साक्ष्य लेने के प्रयोजनार्थ समिति कलकत्ता, हैदराबाद, बम्बई और गुजरात (अहमदाबाद सहित) का भी दौरा करे।

5. समिति ने विधेयक पर ज्ञापन प्राप्त करने तथा मौखिक साक्ष्य के लिये अनुरोध प्राप्त करने का समय 30 जून, 1981 तक बढ़ाने का भी निश्चय किया।

6. समिति ने सभापति को प्राधिकृत किया कि वह वित्त मंत्री के परामर्श से समिति की अगली बैठकों की तारीख और समय निश्चित करें तथा दिल्ली से बाहर की अनौपचारिक बैठकों से संबंधित अन्य मामलों के बारे में निर्णय ले और तदनुसार सदस्यों को सूचित करें।

7. समिति ने दरबार हाल, सेक्रेटेरियेट बिल्डिंग, त्रिवेन्द्रम में बैठकें आयोजित करने में केरल विधान सभा के सचिव तथा केरल सरकार के अधिकारियों द्वारा दी गई मूल्यवान सहायता की बहुत सराहना की।

8. समिति ने आयकर विभाग तथा त्रिवेन्द्रम स्थित बैंकों के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग बैंकिंग प्रभाग) तथा पत्र सूचना कार्यालय (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) त्रिवेन्द्रम के सूचना अधिकारी द्वारा दी गई मूल्यवान सहायता की भी सराहना की।

9. तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

(दस)

दसवीं बैठक

समिति की बैठक समिति कमरा, सर्किट हाउस एनेक्सी, अहमदाबाद में गुरुवार, 2 जुलाई, 1981 को 15.00 बजे से 17.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

1 श्री ईरा अनबरासु—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2 डा० ए० यू० आज़मी

3 श्री मगनभाई बरोट

4 श्री कृष्ण कुमार गोयल

5 श्री रामजीभाई मावणि

6 श्री नित्यानन्द मिश्र

7 श्री टी० आर० शमन्ना

8 श्री आर० वेंकटरमण

सचिवालय

श्री सत्य देव कौड़ा—मुख्य विधायी समिति अधिकारी वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के प्रतिनिधि

1 श्री पी० पी० साहनी, संयुक्त सचिव (बैंकिंग)

2 श्री आर० अप्पाजी राव, मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता।

3 श्री वी० एन० चिकरमाने, उप-मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई।

2 निम्नलिखित संगठनों के प्रतिनिधियों, व्यक्तियों आदि का [illegible] मौखिक साक्ष्य लिये जाने से पूर्व सभापति ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 के उपबन्धों की ओर उनका ध्यान दिलाया।

एक. गुजरात वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल, अहमदाबाद

प्रतिनिधि :

1 श्री दिलीप पारिख, अवैतनिक सचिव,

2 श्री आई० एन० कनिया महासचिव।

(1500 बजे से 1545 बजे तक)

दो. श्री सेठ बाबूभाई [illegible], प्रेसीडेंट,
गुजरात स्टेट कोल मर्चेन्ट्स एसोसिएशन,
5 [illegible] सोसायटी, [illegible], अहमदाबाद।

(1550 बजे से 1600 बजे तक)

तीन (1) श्री एच० एल० बंधे,
17 भगकुल कालोनी, गीता मन्दिर रोड, अमहदाबाद ।

(2) श्री शोक अम्बालाल शाह,
अम्बालाल आईसक्रीम एण्ड रेस्टोरेंट,
स्पोर्टस क्लब के सामने,
नवरंगपुरा, अहमदाबाद ।

(3) श्री जे० के० अग्रवाल,
137, हाथीखाना, रतनपोल, अहमदाबाद ।

(4) श्री प्रफुल सी० त्रिवेदी,
286, माचास पोल,
दोशीवाडा, पोल, कालुपुरा;
अहमदाबाद ।

(5) श्री जे० बी० बरोट,
लक्ष्मीपुरा, विजय मिल्स के सामने,
नरोडा रोड, अहमदाबाद-25

(1605 बजे से 1615 बजे तक)

चार (1) श्री शान्तिलाल जी नायक,
32, हंसमुख कालोनी,
संघानिया, हाई स्कूल के सामने
नारनपुरा, अहमदाबाद ।

(2) श्री लालचन्दजी वी० नजकानी,
रघुकुल सोसाइटी, शाही बाग,
अहमदाबाद ।

(3) श्री बी० एन० सूरजीवाला,
1613, ढोबस पोल, अस्टोडिया,
अहमदाबाद ।

(4) श्री एस० ए० पटेल,
19, भवानीपुर, सोसाइटी,
निजामपुरा बड़ौदा ।

*पांच श्री चन्द्रकान्त पी० झावेरी,
राजाबहादुर मेंशन, सेकंड फ्लोर,
22, अपोलो स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई ।

(1700 बजे से 1705 बजे तक)

छः (1) श्री चरणजीत सिंह बग्गा,
7, अपोलो पार्क, गिरधर नगर,
शाही बाग, अहमदाबाद ।

(2) श्री एच० एस० असानी, वीरेन टेक्सटाइल्स
गोमतीपुर कालीदास मिल्स कम्पनी,
अहमदाबाद ।

---

* चूंकि साक्षी ने और अधिक समय मांगा, अतः उसके अनुरोध पर उसे 8 जुलाई, 1961 को बम्बई में आने की अनुमति दी गई थी ।

(3) श्री के० डी० राना, राखियल, अहमदाबाद

(1710 बजे से 1725 बजे तक)

2. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

3. साक्ष्य के दौरान समिति को सूचित किया गया कि चिट फण्ड कम्पनियों ने विभिन्न राज्यों में अंशदाताओं से उनके खून पसीने की कमाई को गलत तरीके अपनाकर लूटा है और अंशदाताओं को उन्हें मिलने वाले लाभ (प्राइज) की राशि अथवा उन्हें देय धनराशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अंशदाताओं ने समिति को इस संबंध में कुछ कार्यवाही करने के लिये अनुरोध किया ताकि वे अपना पैसा वापस ले सकें।

मामले पर थोड़ी गहराई से विचार करने के बाद समिति ने यह विचार व्यक्त किया कि केन्द्रीय वित्त मंत्री से सभी मुख्य मंत्रियों को एक सामान परिपत्र जारी करने के लिये प्रार्थना की जाये जिसमें उनसे चिटफंड कम्पनियों के विरुद्ध समिति को प्राप्त शिकायतों की जांच करवाने का अनुरोध किया जाये जिससे दोषियों के विरुद्ध उचित दाण्डिक कार्यवाही की जा सके।

4. तत्पश्चात समिति की बैठक शुक्रवार, 3 जुलाई, 1981 को 10 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित हुई।

ग्यारहवीं बैठक

समिति की बैठक समिति कमरा, सर्किट हाउस अनेक्सी, अहमदाबाद में शुक्रवार, 3 जुलाई, 1981 को 10.00 बजे से 12.30 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री ईरा अनबारासु—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. डा० ए० यू० आजमी
3. श्री मगन भाई बारोट
4. श्री आर० वाई० घोरपाडे
5. श्री कृष्ण कुमार गोयल
6. श्री रामजी भाई मावणि
7. श्री नित्यानन्द मिश्र
8. श्री टी० आर० शमन्ना

सचिवालय

श्री एस० डी० कौड़ा—मुख्य विधायी समिति अधिकारी

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग–बैंकिंग प्रभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री बी० पी० साहनी—संयुक्त सचिव (बैंकिंग)
2. श्री आर० अप्पाजी राव—चीफ अफसर, भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता,
3. श्री बी० एन० चिकारमाणे—डिप्टी चीफ आफिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई

2. समिति द्वारा राज्य सरकार के निम्नलिखित प्रतिनिधि और निम्नलिखित व्यक्तियों आदि का मौखिक साक्ष्य लिये जाने के पूर्व सभापति ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेश के निदेश 58 के उपबन्धों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया :

I. गुजरात सरकार, अहमदाबाद

प्रवक्ता :

श्री आर० बी० चन्द्रमौली, सचिव गृह विभाग।

(10.00 बजे से 11.30 बजे तक)

II. श्री हीरालाल गुप्ता, प्रेजीडेंट अहमदाबाद नगर जिला कांग्रेस कमेटी (ई) अहमदाबाद ।

(11.30 बजे से 12.60 बजे तक)

III श्री कश्यप रावल, कालूपुर
राजा मेहता का पोल, अहमदाबाद

(12.05 बजे से 12.25 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

4. समिति ने यह फैसला किया कि विधेयक के उपबंधों के संबंध में समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिये।

5. तत्पश्चात् समिति ने मुख्य मंत्री और उनके साथियों द्वारा समिति को भोज देकर उसका जो आदर सत्कार किया गया उसके लिये उनके प्रति आभार व्यक्त किया। समिति की बैठकें समिति कमरा, सर्किट हाउस अनेक्सी, अहमदाबाद में कराने तथा गुजरात विधान सभा के रिपोटरों की सेवाएं समिति को उपलब्ध कराने में सचिव गुजरात विधान सभा तथा गुजरात सरकार ने जो अमूल्य सहयोग समिति को दिया उसके लिये भी समिति ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया।

समिति ने आयकर विभाग, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों तथा अहमदाबाद स्थित विभिन्न बैंकों के अधिकारियों द्वारा उसको दी गई अमूल्य सहायता के लिये इन लोगों के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त किया।

6. तत्पश्चात समिति ने शनिवार, 4 जुलाई, 1991 को समिति कमरा, विधान भवन (न्यू कांउसिल हाल) बम्बई में पुनः समवेत होने तक अपनी बैठक स्थगित की।

(चालू)

बारहवीं बैठक

समिति की बैठक समिति कमरा, न्यू कौंसिल हाल, बम्बई में शनिवार, 4 जुलाई, 1981 को 15.00 बजे से 17.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री ईरा अनबारासु—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. डा० ए० यू० आज़मी
3. श्री आर० वाई० घोरपड़े
4. श्री कृष्ण कुमार गोयल
5. श्री रामजी भाई मावणि
6. श्री नित्यानन्द मिश्र
7. श्री टी० आर० शमन्ना
8. श्री शान्ताराम पोटदुखे
9. श्री भाऊसाहिब थोरट

सचिवालय

श्री एस० डी० कोठा, मुख्य विधायी समिति अधिकारी।

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग—बैंकिंग प्रभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री बी० पी० साहनी, संयुक्त सचिव (बैंकिंग)
2. श्री सी० डब्ल्यू० मोरचन्दानी, उप सचिव (बैंकिंग)
3. श्री के० सी० बनर्जी कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
4. श्री आर० अन्नाजी राव, चीफ आफिसर, भारतीय रिज़र्व बैंक
5. श्री बी० एन० चिकारमणे, डिप्टी चीफ आफिसर, भारतीय रिज़र्व बैंक

2. समिति द्वारा निम्नलिखित संगठनों, व्यक्तियों, आदि का मौखिक साक्ष्य लिये जाने के पूर्व सभापति ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेश के निदेश 58 के उपबंधों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया:

I. श्री सी० ई० एजहुटाचन,
29/743 नेहरू नगर, कुर्ला (पूर्व) बम्बई।

(1510 बजे से 1530 बजे तक)

II. श्री एम० जे० परेरा, बम्बई

(1530 बजे से 1540 बजे तक)

III. महाराष्ट्र चिट फंड फोरमैन्स एसोसिएशन, मुकुन्द चैम्बर, डी० आर० मार्ग, बम्बई।

वक्ता :

श्री एच० सी० सुबनानी, एडवोकेट

(1540 बजे से 1700 बजे तक)

(1) डा० बी० जे० घाटगे, फूटवाला, बिल्डिंग, नं० 2 रू० नं० 22 एन० एम० जोशी मार्ग, बम्बई।

(2) डा० बी० एम० काठे, 133 शिवाजी नगर, एन० एम० जोशी मार्ग, बम्बई।

(3) डा० एम० जी० काठे, 133 शिवाजी नगर, एन० एम० जोशी, मार्ग, बम्बई।

(4) श्री निर्मल सिंह आनंद, ए-34 नमित उष्मा नगर, अपोजिट मार्वे रोड, मलाड पश्चिम, बम्बई।

(1700 बजे से 1745 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

4. तत्पश्चात समिति ने सोमवार, 6 जुलाई, 1981 को 11.00 बजे पुनः समवेत होने तक अपनी बैठक स्थगित की।

(तेरह)

तेरहवीं बैठक

समिति की बैठक समिति कक्ष, न्यू कौंसिल हाल, बम्बई में सोमवार, 6 जुलाई, 1981 को 11.00 बजे से 13.50 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री ईरा अनवारासु, सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. डा० ए० यू० आछमी
3. श्री मगनभाई बरोट
4. श्री आर० वाई० धोरपाडे
5. श्री रामजीभाई मावाणी
6. श्री नित्यानन्द मिश्र
7. श्री टी० आर० झमझा
8. श्री शास्ताराम पोटदुखे
9. श्री भाऊसाहिब पोरट

सचिवालय

श्री सत्य देव कौडा; मुख्य वित्तीय समिति अधिकारी

वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि

(आर्थिक कार्य विभाग—बैंकिंग प्रभाग)

1. श्री सी० डब्ल्यू० मीरचन्दानी, उपसचिव (बैंकिंग)
2. श्री आर० अन्नाजी राव, मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंकिंग, कलकत्ता।
3. श्री बी० एन० चिक्करमणि, उप मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई।

2. समिति द्वारा निम्नलिखित राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और व्यक्तियों आदि का मौखिक साक्ष्य लेने से पहले सभापति ने उनका ध्यान लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की ओर दिलाया :

एक. महाराष्ट्र सरकार, बम्बई

प्रवक्ता :

1. श्री बी० प्रभाकर,
   विशेष सचिव, वित्त विभाग

2. श्री के० मदमनाभैया,
बिक्री कर आयुक्त,

3. श्री डब्ल्यू० जी० जोशी
विशेष कार्य अधिकारी, वित्त विभाग

(11.30 बजे से 12.55 बजे तक)

दो. (1) श्री एम० ए० पटेल,
अध्यक्ष, द्वारा महाराष्ट्र सुदर्शन चिट्स सब्सक्राइबर्स एसोसिएशन, (रजि०),
नरशी नाथा स्ट्रीट, कथा बाजार, बम्बई ।

(2) श्री आर० राममूर्ति, अवैतनिक सचिव,
द्वारा महाराष्ट्र सुदर्शन चिट्स सब्सक्राइबर्स एसोसिएशन (रजि०) नरशी
नाथा स्ट्रीट, कथा बाजार, बम्बई ।

(3) श्री हरचरण सिंह चड्ढा, सदस्य
प्रबन्ध समिति,
द्वारा महाराष्ट्र सुदर्शन चिट्स सब्सक्राइबर्स एसोसिएशन,(रजि०) नरशी नाथा
स्ट्रीट, कथा बाजार, बम्बई ।

(4) श्री निर्मल सिंह आनन्द,
ए-34, नमित उष्मा नगर, मलाड (पश्चिम), बम्बई ।

(12.58 बजे से 13.30 बजे तक)

तीन. श्री एच० आर० गोपाल स्वामी, इंजीनियर, और एडवोकट, नकवादी पी० जे०
रोड, सेवरी, बम्बई ।

(13.25 बजे से 13.30 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

4. तत्पश्चात समिति ने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री द्वारा समय निकाल कर समिति के सदस्यों से मिल कर समिति का मान बढाने के लिये उनके प्रति आभार व्यक्त किया।

समिति ने सचिव, महाराष्ट्र विधान सभा और महाराष्ट्र की सरकार, बम्बई द्वारा समिति कक्ष, विधान भवन (क्यू कौंसिल हाल) बम्बई में हुई उसकी बैठकों में दी बहुमूल्य सहायता के लिये उनके प्रति आभार व्यक्त किया ।

5. समिति ने आयकर विभाग, सीमा शुल्क और केन्द्रीय राजस्व, बिक्री कर विभाग और बम्बई के विभिन्न बैंकों के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिये उनके प्रति आभार व्यक्त किया ।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक समिति कक्ष, विधान सभा भवन, हैदराबाद में मंगलवार, 7 जुलाई, 1981 को 15.00 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित हुई ।

चौदह

चौदहवीं बैठक

समिति की बैठक विधान सभा भवन, हैदराबाद के कमेटी हाल में मंगलवार, 7 जुलाई, 1981 को 15.00 बजे से 18.10 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री ईरा अनबारासु—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. डा० ए० यू० आजमी
3. प्रो० पी० जे० कुरियन
4. श्री रामजी भाई भवानी
5. श्री नित्यानन्द मिश्रा
6. श्री टी० आर० शमन्ना
7. श्री शान्ताराम पोटदुखे
8. श्री भाउसाहिब थोरट

सचिवालय

श्री सत्य देव कौडा—मुख्य विधायी समिति अधिकारी,

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य-विभाग—बैंकिंग प्रभाग) के प्रतिनिधि,

1. श्री सी० डब्ल्यू० मीर चन्दानी, उप-सचिव, बैंकिंग।
2. श्री आर० अन्नाजीराव, मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक कलकत्ता।
3. श्री बी० एन० चिकरमाने, उप मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक बम्बई।

2. समिति द्वारा निम्नलिखित सगठनों, व्यक्तियों के मौखिक साक्ष्य सुने जाने से पूर्व सभापति ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों की ओर उनका ध्यान दिलाया।

(एक) आन्ध्र प्रदेश चिट सब्सक्राइबर्स एसोसिएशन, हैदराबाद

प्रवक्ता :

श्री एन० सम्पत कुमार, सचिव

(15.10 से 15.45 बजे तक)

(दो) आन्ध्र प्रदेश नान-कारपोरेट चिट फण्ड फोरमैन एसोसिएशन, हैदराबाद

प्रवक्ता :

1. श्री के० एस० आर० प्रसाद, संस्थापक सदस्य
2. श्री ए० विजयकुमार
3. श्री एम० कृष्णमूर्ति, श्रीलेखा चिट फन्डस, बन्डीमैट, सिकन्दराबाद।

4. श्री एन० वेंकटेसन,

श्री श्रीनिवास चिट फन्डस, पान बाजार, सिकन्दराबाद।

(1550 से 1640 बजे तक)

(तीन) आन्ध्र प्रदेश फैडरेशन आफ चिट फन्डस, सिकन्दराबाद

1. श्री सूर्यप्रकाश राव बुरुगु
2. श्री पुल्लैया नायडु
3. श्री टी० एम० जकरिया अली
4. श्री एल रामा अय्यया
5. श्री के० ए० सन्यासी राजू
6. श्री आर० नारायण
7. श्री जी० गंगैया
8. श्री जी० जगदीश्वर
9. श्री गुण्डा वेंकटेश्वर राव
10. श्री लोकुला कमलैया
11. श्री एम० रामास्वामी
12. श्री एम० नरसियाह
13. श्री डी० चिदम्बर गुप्ता
14. श्री एम० ए० मिदिकार

(16.40 बजे से 17.33 बजे तक)

(चार) प्रुडेन्शियल कोआपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, सिकन्दराबाद

प्रवक्ता :

1. श्रीमती सरस्वती गुरुस्वामी, अध्यक्ष
2. श्री (डा0) बी० रामदास, निदेशक
3. श्री श्री बुरुगु सूर्यप्रकाश राव, निदेशक
4. श्री एल० सी० मोदी, विधि तथा विकास अधिकारी।

(17.35 बजे से 17.45 बजे तक)

(पांच) (1) जुपिटर चिट फण्ड सिद्दियाम्बार बाजार, हैदराबाद

प्रवक्ता

1. श्री बी० मलैया
2. श्री के० विश्वनाथम

(2) सन्तोष चिट एण्ड फाइनेंस कारपोरेशन, अफजल गंज, हैदराबाद

प्रवक्ता :

1. श्री एम० बी० सुब्बैया
2. श्री डी० चिदाम्बर गुप्ता

(17.48 बजे से 17.55 बजेतक)

छः श्री एस० श्रीनिवासन, डीविजनल मैनेजर,
इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया (लिमिटेड) हैदराबाद ।
(17.55 बजे से 18.05 बजे तक)

3. साक्ष्य का अभिलेख: रिकार्ड रखा गया ।

4. तत्पश्चात समिति की बैठक 8 जुलाई, 1981 को विधान सभा भवन, हैदराबाद के कमेटी हाल में 10.00 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित हुई ।

पन्द्रहवीं बैठक

समिति की बैठक कमेटी हाल विधान सभा भवन, हैदराबाद में बुधवार, 8 जुलाई, 1981 को 10.00 बजे से 12.55 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री ईरा अनबारासु—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. प्रो० पी० जे० कुरियन
3. श्री नित्यानन्द मिश्र
4. श्री टी० आर० शमन्ना
5. श्री शान्ताराम पोटदुखे
6. श्री भाऊ साहिब थोरट

सचिवालय

श्री एस० डी० कौडा—मुख्य विधायी समिति अधिकारी

वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि

(आर्थिक कार्य विभाग—बैंकिंग डिवीजन)

1. श्री सी० डब्ल्यू० मीरचन्दानी, उपसचिव (बैंकिंग)
2. श्री आर० अन्नाजी राव, मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता।
3. श्री बी० एन० चिकरमाणे, उप-मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई।

2. समिति द्वारा राज्य सरकार, संगठनों, व्यक्तियों आदि के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य सुने जाने के पूर्व सभापति ने सदस्यों का ध्यान लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के निर्देश संख्या 58 के उपबंधों की ओर दिलाया—

एक. श्री यू० एम० एस० कौल्लुरी,

कौल्लुरी एण्ड कम्पनी, आदर्श नगर, हैदराबाद

(10.05 बजे से 10.35 बजे तक)

दो. आंध्र प्रदेश चिट फंड फोरमेन एसोसियेशन, हैदराबाद

प्रवक्ता :

1. श्री ए० बी० मोहन राव
2. श्री ए० कृष्णमूर्ति
3. श्री एम० आर० कोटिनदरा राव
4. श्री के० ए० संजासीराजू

(10.39 बजे से 11.30 बजे तक)

तीन. आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद

प्रवक्ता :

1. श्री जयाकर जोहनसन
   सचिव, आन्ध्र प्रदेश सरकार, गृह विभाग ।
2. श्री गोपाल रेड्डी,
   डायरेक्टर ऑफ चिट्स, आन्ध्र प्रदेश,
   (11.30 बजे से 12.15 बजे तक)

चार. 1. श्री बी० एम० सी० गुप्ता, आबिद सर्किल, हैदराबाद
2. श्री एन० शिवप्पा, सिद्धयम्बर बाजार, हैदराबाद
3. श्री बी० बी० गुप्ता
4. श्री एन० बुछरैया
   (12.20 बजे से 12.30 बजे तक)

पांच. रामकृष्ण चिट फंड, सिकन्दराबाद

प्रवक्ता :

1. श्री जे० रामाराव
2. श्री डी० मर्थय्या
3. श्री बी० उप्पालय्या
4. श्री के० ए० सन्यासी राजू
   (12.35 बजे से 12.50 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

4. आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने समिति के सदस्यों से मिलने के लिये कुछ समय देकर समिति का जो मान बढ़ाया उसके लिये समिति अपना आभार व्यक्त करती है।

5. समिति कमेटी हाल, विधान सभा भवन, हैदराबाद में अपनी बैठकें करने की सुविधा प्रदान करने के सचिव, आन्ध्र प्रदेश विधान मंडल तथा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो बहुमूल्य सहायता प्रदान की गई है उसके लिये भी अपना आभार व्यक्त करती है ।

6. समिति आयकर विभाग के अधिकारियों तथा हैदराबाद में विभिन्न बैंकों द्वारा समिति को जो बहुमूल्य सहायता प्रदान की गई है उसके लिये भी अपना आभार व्यक्त करती है ।

7. तत्पश्चात समिति की बैठक बृहस्पतिवार, 9 जुलाई, 1981 को 10.00 बजे कौंसल चैम्बर, विधान सभा भवन, कलकत्ता में पुनः समवेत होने के लिये स्थगित हुई ।

सोलहवीं बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 9 जुलाई, 1981 को 10.30 बजे से 12.30 बजे तक परिषद् कक्ष, विज्ञान सभा भवन, कलकत्ता में हुई।

[उपस्थित

श्री ईरा अनवारासु—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. डा० ए० यू० आजमी
3. श्री आर० वाई० घोरपाडे
4. प्रो० पी० जे० कुरियन
5. श्री नित्यानन्द मिश्र
6. श्री टी० आर० शमन्ना
7. श्री शान्ताराम पोटदुखे
8. श्री भाऊसाहिब थोरट

सचिवालय

श्री सत्यदेव कौडा—मुख्य विधायी समिति अधिकारी

वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि

(आर्थिक कार्य विभाग—बैंकिंग डिवीजन)

1. श्री वी० पी० साहनी, संयुक्त सचिव (बैंकिंग)
2. श्री आर० अन्नाजी राव, मुख्य अधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता।
3. श्री बी० एन० चिकरमणे, उप-मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई।
4. श्री डी० कामथ, उप-मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता।

2. निम्नलिखित संगठनों के प्रतिनिधियों तथा अन्य व्यक्तियों का मौखिक साक्ष्य लेने से पूर्व सभापति ने उनका ध्यान लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के निर्देश 58 के उपबंधों की ओर दिलाया—

एक—फेडरेट स्माल इन्वेस्टमेंट कर्मचारी यूनियन, कलकत्ता

प्रवक्ता :

1. श्री अरुण बनर्जी, कार्यवाहक अध्यक्ष
2. श्री अमित मैनी, महामंत्री
3. श्री जी० पी० त्रिवेदी, प्रतिनिधि
4. श्री पी० एस० बसु, प्रतिनिधि

(10.55 से 11.15 बजे तक)

(दो)* 1. श्री देव सोना बनर्जी

2. श्री जितेन्द्र सिंह बायड

3. श्री भास्कर मुखर्जी

4. श्री तपन कुमार धर

(11.15 से 11.35 बजे तक)

(तीन)* श्री विरेन्द्र नाथ राय

पारगोपाल नगर हुगली (पश्चिम बंगाल)

(11.45 से 12.00 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया था।

4. तत्पश्चात् समिति की बैठक परिषद् कक्ष विधान सभा भवन कलकत्ता में शुक्रवार, 10 जुलाई, 1981 को 10.00 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित हुई।

---

* चूंकि साक्षी पूर्णतया तैयार नहीं थे अतः उनके अनुरोध पर उन्हें 10 जुलाई, 1981 को दोबारा आने की अनुमति दी गई थी।

सत्रहवीं बैठक

समिति की बैठक काउंसिल चैम्बर विधान सभा भवन, कलकत्ता में शुक्रवार, 10 जुलाई 1981 को 10·00 बजे से 14·00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री ईरा अनवारासु —सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. डा० ए० यू० आजमी
3. श्री आर० वाई० गोरपड़े
4. श्री लक्ष्मी कुमार गोयल
5. श्री नित्यानंद मिश्रा
6. श्री टी० आर० शमन्ना
7. श्री शान्ताराम पोतदुखे

सचिवालय

श्री एस डी० कौड़ा मुख्य वित्तीय समिति अधिकारी

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग—बैंकिंग प्रभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री बी० पी० साहनी, संयुक्त सचिव (बैंकिंग)
2. श्री आर० अन्नाजीराव, चीफ आफिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता
3. श्री बी० एन० चिकारमाने, डिप्टी चीफ आफिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, बंबई
4. श्री डी० कामथ, डिप्टी चीफ आफिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता

2. समिति द्वारा निम्नलिखित संगठनों, राज्य सरकारों, व्यक्तियों आदि का मौखिक साक्ष्य लिये जाने से पूर्व समिति के सभापति ने उसका ध्यान लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालिन संबंधी नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निदेशों के निदेश संख्या 58 की ओर दिलाया : —

एक. श्री एस० के० भट्टाचार्या,
चार्टर्ड एकाउंटेंट, के० एस० राय रोड, कलकत्ता
(10.07 बजे से 10.25 बजे तक)

दो. श्री बी० के० चटर्जी
चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक
यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, कलकत्ता
(10.25 बजे से 11.35 बजे तक)

तीन. पियरलेस जनरल फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता

प्रवक्ता

1. श्री बी० के० राय
प्रबंध निदेशक

2. श्री एम० आर० मुखर्जी ।
निदेशक

(1135 बजे से 1200 बजे तक)

चार. पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता

प्रवक्ता

श्री एम० जी० कुट्टी
वित्त सचिव

(1210 बजे से 1245 बजे तक)

पांच. पेयरिंग स्माल इंवेस्टमेंट कर्मचारी यूनियन, कलकत्ता

प्रवक्ता

1. श्री अरुण बनर्जी, कार्यकारी अध्यक्ष
2. श्री अमित मैत्री, जनरल सैक्रेटरी
3. श्री जी० पी० त्रिवेदी, प्रतिनिधि
4. श्री पी० एस० बसु, प्रतिनिधि

(1250 बजे से 1305 बजे तक)

छ: (क) श्री बीरेन्द्र नाथ राय,
पारुगोपाल नगर, हुगली
(ख) श्री एस० बी० प्रभाकर राव,
2-ए, कबीर रोड, कलकत्ता

(1305 बजे से 1315 बजे तक)

सात. श्री रमाकांत त्रिपाठी, प्रबंध निदेशक
कृष्णा क्रैडिट कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड, कलकत्ता

(1315 बजे से 1335 बजे तक)

आठ. अपेयरिंग स्माल इनवेस्टमेंट लिमिटेड, कलकत्ता

प्रवक्ता

1. श्री डी० एस० बैनर्जी
2. श्री जितेन्द्र सिंह बोथर
3. श्री कल्याण चटर्जी
4. श्री तपन कुमार धर
5. श्री चिनमय मित्रा
6. श्री दीपक सेनागुप्ता

(1335 बजे से 1350 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दश: रिकार्ड रखा गया।

4. समिति ने और आगे मौखिक साक्ष्य लेने के लिये नयी दिल्ली में 27 और 28 जुलाई, 1981 को अपनी बैठकों का अपना अगला दौर आरम्भ करने का अंतिम निर्णय किया। समिति ने बैठकों के लिये सूचना जारी करने से पूर्व सभापति को वित्त मंत्री महोदय से परामर्श करने के लिये प्राधिकृत किया।

5. समिति ने विधान सभा भवन, कलकत्ता के काउंसिल चैम्बर में बैठकों के आयोजन में और विधान सभा रिपोर्टरों की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये पश्चिम बंगाल विधान सभा के सचिव द्वारा दी गई अमूल्य सहायता के लिये उनके प्रति आभार व्यक्त किया ।

6. समिति ने आयकर विभाग, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग; कलकत्ता स्थित विभिन्न बैंकों और वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग के अधिकारियों द्वारा की गई मूल्य सहायता के लिये उनके प्रति भी आभार व्यक्त किया ।

7. तत्पश्चात् समिति की बैठक समाप्त हुई ।

अठारहवीं बैठक

समिति की बैठक समिति कमरा "बी", संसदीय सौध, नई दिल्ली में शुक्रवार 31 जुलाई, 1981 को 11.00 बजे से 13.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री हीरा भनबरासु—सभापति

सदस्य

2. डा० ए० यू० आजमी
3. श्री कृष्ण कुमार गोयल
4. श्री पी० के० कोडियान
5. प्रो० पी०जे० कुरियन
6. श्री नित्यानन्द मिश्र
7. श्री भोला राउत
8. श्री गिरधारी लाल व्यास
9. श्री आर० वेंकटरामन

सचिवालय

1. श्री सत्यदेव कौड़ा—मुख्य विधायी समिति अधिकारी
2. श्री सुजान सिंह चावला—वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० रमैया, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शदाता
2. श्री वाई० पी० सूद, सहायक विधायी परामर्शदाता

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग—बैंकिंग प्रभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री सी० डब्ल्यू० मीरचन्दानी, उपसचिव
2. श्री आर अप्पाजोराव, मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता
3. श्री बी० आर० चिकारमाने, उप मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई

2. समिति द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों, संघ के प्रतिनिधियों आदि का मौखिक साक्ष्य लेने से पहले सभापति ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों की ओर उनका ध्यान दिलाया।

(एक) श्री डी० डी० सयाल
राजनगर, नई दिल्ली
(11.00 से 11.35 तक)

दो. अखिल भारतीय चिटफंड संघ, दिल्ली

प्रवक्ता

1. श्री पी० आर० खिल्लन, अवैतनिक महासचिव

2. श्री जगदीश राय

3. श्री सतीश दत्त

4. श्री टी० एस० शिवराम कृष्णन

(11.36 से 13.30 तक)

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

4. तत्पश्चात् समिति की बैठक शनिवार 1 अगस्त, 1981 को 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित हुई ।

उन्नीस

उन्नीसवीं बैठक

समिति की बैठक समिति कमरा "बी" संसदीय सौध, नई दिल्ली में शनिवार, 1 1 अगस्त, 1981 को 11.00 बजे से 13.40 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री ईरा अनबारासु—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. डा० ए०यू० आजमी
3. श्री कृष्ण कुमार गोयल
4. श्री पी० के० कोडियान
5. प्रो० पी० जे० कुरियन
6. श्री नित्यानन्द मिश्र
7. श्री भोला राउत
8. श्री गिरधारी लाल व्यास
9. श्री आर० वेंकटरामन

सचिवालय

1. श्री सत्यदेव कोड़ा—मुख्य विधायी समिति अधिकारी
2. श्री सुजान सिंह चावला —वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० रमया, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शदाता
2. श्री वाई० पी० सूद, सहायक विधायी परामर्शदाता

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग—बैंकिंग प्रभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री बी०पी० साहनी, संयुक्त सचिव
2. श्री सी० डब्ल्यू० मीरचन्दानी, उपसचिव
3. श्री आर० अप्पाजीराव, मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता
4. श्री बी० आर० चिकारमाने, उप मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई।

2. समिति द्वारा निम्नलिखित संघों, चिट फंड कम्पनियों के प्रतिनिधियों और व्यक्तियों आदि के मौखिक साक्ष्य लेने से पहले सभापति ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों की ओर उनका ध्यान दिलाया :—

एक. अखिल भारतीय चिट फंड संघ, नई दिल्ली

प्रवक्ता

1. श्री सूर्य प्रकाश राव, उपाध्यक्ष

2. श्री जगदीश राय, महासचिव
3. श्री मनोहरलाल कोषाध्यक्ष
4. श्री एल०आर० भल्ला, सचिव
5. श्री प्रवीण कुमार, सदस्य
6. श्री रामास्वामी, सदस्य
7. श्री पी० आर० मित्तल, सदस्य
8. श्री अवतार सिंह घई, खन्ना (पंजाब)
(11.20 से 12.35 तक)

दो 1. श्री एच० आर० नन्दा, सरोजनी नगर मार्केट, नई दिल्ली
2. श्री ए०पी० आहूजा, सरोजनी नगर मार्केट, नई दिल्ली
3. श्री बी०एस० पद्मनाभन, विशेष संवाददाता "हिन्दू" नई दिल्ली
(12.55 से 13.15 तक)

तीन. मैसर्स पट्टूट एम० जार्ज चिट फण्ड (इण्डिया) लि०, फरीदाबाद

प्रवक्ता

श्री एम० जी० जार्ज निदेशक (डायरेक्टर)
(13.16 से 13.25 तक)

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया है।

4. समिति ने विधेयक के उपबंधों पर भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों के साक्ष्य सुनने से संबंधित अपने पिछले निर्णय की पुनरीक्षा की और यह निर्णय किया कि क्योंकि चिट फंड कम्पनियों पर भारतीय रिजर्व बैंक का कोई पर्यवेक्षी नियंत्रण नहीं है, इसलिये भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लेना आवश्यक नहीं है और इसलिये उन्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं है।

5. तत्पश्चात् समिति ने उसे प्राप्त ज्ञापनों और उसके समक्ष दिये गये साक्ष्यों के संदर्भ में विधेयक के उपबंधों पर सामान्य चर्चा करने के प्रयोजनार्थ अपनी अगली बैठकें 11 और 13 अगस्त 1981 को प्रतिदिन 10.00 बजे से 13.00 बजे तक करने का निर्णय किया।

6. समिति ने अपने भावी कार्यक्रम पर भी विचार किया और यह निर्णय किया क्योंकि उन्हें इस विधेयक के विभिन्न स्तरों पर अभी और विचार करना है इसलिये उनके लिये अपना कार्य-निर्धारित तिथि तक अर्थात् छठे अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात् 21 अगस्त, 1981 तक पूरा करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करना संभव नहीं है। अतः समिति ने शीतकालीन सत्र (1981) के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाने की अनुमति लेने का निर्णय किया।

7. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

(बीस)

बीसवीं बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 11 अगस्त, 1981 को 10.00 बजे से 13.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री ईरा अनबारासु—सभापति

सदस्य

2. डा० ए० यू० आज़मी
3. श्री कृष्ण कुमार गोयल
4. श्री पी० के० कोडियन
5. प्रो० पी० जे० कुरियन
6. श्री नित्यानन्द मिश्र
7. श्री भोला राउत
8. श्री डी० आर० शमन्ना
9. श्री शान्ताराम पोटदुखे
10. श्री भाऊ साहिब थोरट
11. श्री गिरधारी लाल व्यास
12. श्री आर० वेंकटरामन

सचिवालय

1. श्री सत्यदेव कोहा—मुख्य विधायी समिति अधिकारी
2. श्री सुजान सिंह चावला—वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

विधायी कौंसेल

1. श्री एस० रमैया—संयुक्त सचिव एवं विधायी कौंसेल
2. श्री सी० रमन मेनन—अपर विधायी काउन्सेल

वित्त मंत्रालय—(आर्थिक कार्य विभाग—बैंकिंग प्रभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री आर० के० कौल—अपर सचिव (बैंकिंग)
2. श्री वी० पी० साहनी, संयुक्त सचिव (बैंकिंग)
3. श्री डी० डब्ल्यू० मोरचन्दानी—उपसचिव
4. श्री आर० अप्पाजी राव, मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक कलकत्ता।
5. श्री वी० एन० चिकरमणे उप मुख्य अधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई।

2. प्रारम्भ में समिति ने प्राप्त ज्ञापन तथा साक्ष्यों के संदर्भ में चिट फंड कम्पनियां गठित किये जाने संबंधी चिट फंड विधेयक, 1980 के अध्याय एक और दो में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर आम चर्चा की।

3. समिति ने सभापति और उनकी अनुपस्थिति में श्री टी० आर० शमन्ना संसद सदस्य को शीतकालीन सत्र 1981 के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समयावधि बढ़ाने का प्रस्ताव मंगलवार, 18 अगस्त, 1981 को लोक सभा में पेश करने के लिये प्राधिकृत किया।

4. तत्पश्चात समिति की बैठक गुरुवार, 13 अगस्त, 1981 को 10.00 बजे तक पुनः समवेत होने के लिये स्थगित हुई।

(इक्कीस)

इक्कीसवीं बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 13 अगस्त, 1981 को 10.00 बजे से 13.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री ईरा अनबारासु—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. डा० ए० यू० आजमी
3. श्री रतनभाई बरोट
4. श्री कृष्ण कुमार गोयल
5. श्री पी० के० कोडियन
6. श्री पी० जे० कुरियन
7. श्री नित्यानन्द मिश्र
8. श्री टी० आर० शमन्ना
9. श्री शान्ताराम पोटदुखे
10. श्री गिरधारी लाल व्यास

सचिवालय

1. श्री सत्यदेव कौशा—मुख्य विधायी समिति अधिकारी
2. श्री सुजान सिंह चावला—वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

विधायी काउंसेल

1. श्री एस० रमैयार—युक्त सचिव एवं विधायी काउंसेल
2. श्री सी० रमन मेनन—अपर विधायी काउंसेल

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग—बैंकिंग प्रभाग के प्रतिनिधि

1. श्री आर० के० कौल—अपर सचिव (बैंकिंग),
2. श्री बी० पी० साहनी, संयुक्त सचिव (बैंकिंग)
3. श्री बी० डब्ल्यू मीरचन्दानी—उप सचिव
4. श्री आर० प्रभाजी राव, मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता।
5. श्री बी० एन० चिकरवणे, उप-मुख्य अधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई।

2. प्रारम्भ में समिति ने प्राप्त ज्ञापनों तथा अपने सम्मुख दिये गये साक्ष्यों के संदर्भ में चिट कम्पनियों के संचालन संबंधी चिट फंड विधेयक, 1980 के अध्याय तीन में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर आगे खण्ड वार चर्चा की। चर्चा समाप्त नहीं हुई थी।

3. समिति ने इच्छा व्यक्त की कि वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया जाय कि वह उनके विचारार्थ गैर बैंकिंग कम्पनियों संबंधी अध्ययन दल (1975) (राज अध्ययन दल) के प्रतिवेदन की प्रतियां भेजे।

4. तत्पश्चात समिति ने सभापति को प्राधिकृत किया कि वह वित्त मंत्री के परामर्श से अपनी आगामी बैठकों की तिथि तथा समय निर्धारित करें।

5. तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

(बारहवां)

बारहवीं बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 3 नवम्बर, 1981 को 10.30 बजे से 10.45 बजे तक संसदीय सौध, नई दिल्ली के समिति कक्ष "घ" (डी) में हुई।

उपस्थित

श्री ईरा अनबारासु सभापति

सदस्य

2. श्री रणवीर सिंह

3. श्री गिरधारी लाल व्यास

4. श्री आर० वेंकटरामन

सचिवालय

श्री राम किशोर वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

विधायी परामर्शदाता

(1) श्री एस० रमैया, संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता।

(2) श्री सी० पी० जैन, अपर ड्राफ्टमैन, राजभाषा विंग, विधायी विभाग

(3) श्री डी० नारायण राव, सहायक विधायी विभाग विधि कार्य विभाग

वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि

(आर्थिक कार्य विभाग—बैंकिंग प्रभाग)

1. श्री आर० एन० मलहोत्रा, सचिव आर्थिक कार्य विभाग।

2. श्री एम० रामाकृष्ण डिप्टी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक

3. श्री आर० के० कौल, अपर सचिव (बैंकिंग)

4. श्री वी० पी० साहनी, संयुक्त सचिव (बैंकिंग)

5. श्री सी० डब्ल्यू० मीरचंदानी उप सचिव (बैंकिंग)

6. श्री के० एस० जसपाल, मुख्य प्राधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक।

7. श्री वी० एन० विशारद, उप मुख्य प्राधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक

*2. समिति की बैठक गणपूर्ति पूरी न होने के कारण स्थगित हुई।

(*) सभापति ने वित्त मंत्री तथा अन्य उपस्थित सदस्यों से परामर्श करने के बाद यह निश्चय किया कि 15.00 बजे से होने वाली बैठक को रद्द कर दिया जाये।

(तेईस)

तेइसवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार 4 नवम्बर, 1981 को 10·30 बजे से 13.00 बजे और पुनः 15.00 बजे से 18·00 बजे तक समिति कमरा "डी", संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री ईरा मनबरासु—सभापति

सदस्य

2. डा० ए० यू० आजमी
3. श्री मगन भाई बरोट
4. श्री पी० के० कोडियन
5. प्रो० पी० जे० कुरियन
6. श्री नित्यानन्द मिश्र
7. श्री शोभा राउत
8. श्री डी० आर० [illegible]
9. श्री [illegible]
10. श्री गिरधारी लाल व्यास
11. श्री आर० वेंकटरामन

सचिवालय

श्री राम किशोर—वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० रामैय्या—संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता
2. श्री जी० पी० जैन—अतिरिक्त प्रारूपकार, राजभाषा स्कन्ध विधायी विभाग
3. श्री डी० नारायण राव—अटैची, विधायी विधिकार्य विभाग।

वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि

(आर्थिक कार्य विभाग—बैंकिंग विभाग)

1. श्री आर० एन० मलहोत्रा—सचिव, आर्थिक कार्य विभाग
2. श्री एम० रामकृष्णैया—डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक
3. श्री आर० के० कौल—अपर सचिव, (बैंकिंग)
4. श्री बी० पी० साहनी—संयुक्त सचिव (बैंकिंग)
5. श्री के० एस० जसपाल—चीफ आफिसर, भारतीय रिजर्व बैंक
6. श्री बी० एन० चिकारमाने—डिप्टी चीफ आफिसर, भारतीय रिजर्व बैंक

2. समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ किया।

3. खण्ड 2 और 3—ये खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुये ।

4. खण्ड 4—निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :—

पृष्ठ 4, पंक्ति 4,

"छह मास" के लिए

"बारह मास" प्रतिस्थापित किया जाय ।

खण्ड यथासंशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

5. खण्ड 5—खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया ।

6. खण्ड 6—निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये :—

(1) पृष्ठ 4, पंक्ति 37—38,

(क) "अभिदाताओं के लिए"

"अभिदाताओं में से प्रत्येक"

प्रतिस्थापित किया जाय ।

(ख) "अभिदाताओं' के लिए

"उसके" प्रतिस्थापित किया जाय ।

(2) पृष्ठ 4, पंक्ति 44—45 के लिए

"(ग) किस्तों की संख्या प्रत्येक किस्त पर प्रत्येक टिकट के लिए संदेय रकम और किसी किस्तों के संदाय में कोई चूक होने पर संदेय ब्याज या शास्ति, यदि कोई हो;"

प्रतिस्थापित किया जाय ।

(3) पृष्ठ 5, पंक्ति 1,

"प्रारम्भ की तारीख" के लिए

"प्रारम्भ की अधिसम्भाव्य तारीख"

प्रतिस्थापित किया जाय ।

खण्ड, यथा संशोधित रूप में, स्वीकार किया गया ।

7. खण्ड 7—निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किय गया :—

"पृष्ठ 6, पंक्ति 29,

"कर ली गई है" के पश्चात्

"और किसी चिट का रजिस्ट्रीकरण तब व्यपगत हो जाएगा यदि प्रधान द्वारा धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन घोषणा ऐसे पृष्ठांकन की तारीख से तीन मास के भीतर या कुल मिलाकर तीन मास से अनधिक कि ऐसी अतिरिक्त अवधि या अवधियों के भीतर, जो रजिस्ट्रार अपने को इस निमित्त आवेदन किये जाने पर अनुज्ञात करे, घोषित नहीं की जाती है ।"

अन्त: स्थापित किया जाय ।

खण्ड, यथा संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

8. खण्ड 8—निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये :—

(1) पृष्ठ 7, पंक्ति 7,

"कोई लाभांश" के लिए

"उसके शेयरों पर कोई लाभांश"

प्रतिस्थापित किया जाय ।

(2) पृष्ठ 7, पंक्ति 8,
"बीस" के लिए"
"दस" प्रतिस्थापित किया जाय ।

खण्ड यथा संशोधित रूप में, स्वीकार किया गया ।

9. खण्ड 9 और 10—ये खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये ।

10. खण्ड 11—निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये :—

(1) पृष्ठ 7, पंक्ति 29
"11" के लिए
"11(1)" प्रतिस्थापित किया जाय ।

(2) पृष्ठ 7, पंक्ति 32 के पश्चात्
निम्नलिखित जोड़ा जाय ।

"2' जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ पर,—

(क) कोई व्यक्ति अपने नाम के भाग के रूप में ऐसे शब्दों का, में से किसी जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं, प्रयोग किए बिना चिट कारबार कर रहा है ; या

(ख) कोई ऐसा व्यक्ति जो चिट कारबार नहीं कर रहा है, अपने नाम के भाग के रूप में ऐसे किसी शब्द का प्रयोग कर रहा है, वहां वह प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के भीतर, यथास्थिति ऐसे किसी शब्द को अपने नाम के भाग के रूप में जोड़ लेगा यह ऐसे शब्द को अपने नाम में से हटा देगा ;

परन्तु यदि राज्य सरकार लोक हित में या किसी कठिनाई का निवारण करने के लिए आवश्यक समझती है तो वह एक वर्ष की उक्त अवधि को, कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक की ऐसी अतिरिक्त अवधि या अवधियों से विस्तारित कर सकेगी ।"

खण्ड, यथा संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

11. खण्ड 12 —खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया ।

12. समिति की बैठक 13.00 बजे स्थगित हुई और 15.00 बजे पुनः समवेत हुई ।

13. समिति ने विधेयक पर आगे खण्ड-वार विचार जारी रखा ।

14. खण्ड 13 निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये :—

(एक) पृष्ठ 7, पंक्ति 43 ;
"दस हजार रुपयों" के लिए
"पच्चीस हजार रुपयों" प्रतिस्थापित किया जाय ।

(दो) पृष्ठ 8, पंक्ति 4,
"चालीस हजार रुपए" के लिए
"एक लाख रुपए" प्रतिस्थापित किया जाय ।

(तीन) पृष्ठ 8, पंक्ति 7,—
"दस हजार रुपयों" के लिए
"पच्चीस हजार रुपये"
प्रतिस्थापित किया जाय ।

(चार) पृष्ठ 8, पंक्ति 10,
"कुल आस्तियों" के स्थान पर

(पांच) पृष्ठ 8, पंक्ति 11–15 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय।

स्पष्टीकरण :— "इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, शुद्ध स्वामिक निधियों से कम्पनी के अंतिम संपरीक्षित तुलनपत्र में यथाप्रकटित समादत पंजी और खुली आरक्षितियों का योग, जो कि उसमें से उक्त तुलनपत्र में यथाप्रकटित हानि, आस्थगित राजस्व, व्यय और अन्य अपूर्व आस्तियों के, यदि कोई हों, संचित अतिशेष की रकम को घटा कर जाए, अभिप्रेत है।"

खंड, यथासंशोधित रूप में, स्वीकार किया गया।

15. खंड 14–निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये :—

(एक) पृष्ठ 8, पंक्ति 17,

"संगृहीत धन" के पश्चात्

"जो ऐसे व्यक्ति को संदेय कमीशन या पारिश्रमिक अथवा किसी व्यतिक्रमी अभिदाता से प्राप्त ब्याज या शास्ति से, यदि कोई हो भिन्न है;" अन्तःस्थापित किया जाय।

(दो) पृष्ठ 8, पंक्ति 33 ;

"दो वर्ष" के स्थान पर

"एक वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाय।

खंड, यथासंशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

16. खंड 15–निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये :—

(एक) पृष्ठ 9; पंक्ति 34 से 44 के स्थान पर

"15. चिट करार को प्रधान और उस चिट के सभी अभिदाताओं की लिखित सम्मति से ही परिवर्तित, परिवर्धित या रद्द किया जाएगा अन्यथा नहीं।" प्रतिस्थापित किया जाय

(दो) पृष्ठ 9, पंक्ति 1 से 26 का लोप किया जाये।

खंड, यथासंशोधित रुप में, स्वीकार किया गया।

17. खंड 16—इस खंड पर विचार स्थगित रखा गया।

18. खंड 17—खंड बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया।

19. खंड 18–निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :—

"चौदह दिन" के स्थान पर

"इक्कीस दिन" प्रतिस्थापित किया जाय।

20. खंड 19–निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :—

पृष्ठ 10, पंक्ति 9

"उसका" के स्थान पर

"उस व्यक्ति का" प्रतिस्थापित किया जाय।

खण्ड, यथासंशोधित रुप में स्वीकार किया गया।

21. खंड 20–निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :—

पृष्ठ 10, पंक्ति 21–22;

"धारा 9 के अधीन घोषणा फाइल करने के पूर्व" के स्थान पर

"धारा 4 के अधीन पूर्व मंजूरी के लिए आवेदन करने के पूर्व" प्रतिस्थापित किया जाय।

खण्ड, यथासंशोधित रूप में, स्वीकार किया गया।

22. खंड 21 निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये :—

(एक) पृष्ठ 11, पंक्ति 21 ;

"एक चिट में" के स्थान पर

"बिना बट्टे की चिट में" प्रतिस्थापित किया जाय।

(दो) पृष्ठ 11, पंक्ति 25 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़िए :

"(ग) उस ब्याज और शास्ति का, यदि कोई हो, जो नियत तारीख के पश्चात् दी गई किश्तों पर संदेय है तथा ऐसी अन्य रकमों का जो उसे चिट करार के उपबन्धों के अधीन संदेय हो, हकदार होगा ;"

(तीन) पृष्ठ 11, पंक्ति 26, 28, 33, और 35

"(ग), (घ), (ङ), और (च)" के स्थान पर क्रमशः

"(घ), (ङ), (च) और (छ)"

प्रतिस्थापित किया जाय।

(चार) पृष्ठ 11, पंक्ति 37

"(घ)" के स्थान पर

"(ङ)" प्रतिस्थापित किया जाय।

खण्ड यथासंशोधित रूप में, स्वीकार किया गया।

23. खंड 22—निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये :—

(एक) पृष्ठ 12, पंक्ति 11 ;

"चिट करार में वर्णित इनाम निकालने" के स्थान पर "किस्त की तारीख" प्रतिस्थापित किया जाय।

(दो) पृष्ठ 12, पंक्ति 15 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़िए :

परन्तु जहां कोई इनामी अभिदाता किसी चिट को किसी किस्त की बाबत इनामी रकम को इनाम निकालने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर वसूल नहीं कर लेता है, जहां प्रधान को यह स्वतंत्रता होगी कि वह ऐसी किस्त की बाबत एक अन्य इनाम आयोजित करे।

(तीन) पृष्ठ 12, पंक्ति 21 ;

"खण्ड (ख)" के पश्चात्

"या खण्ड (ग)" अन्तःस्थापित किया जाय।

(चार) पृष्ठ 12, पंक्ति 31,

"नकद" के पश्चात्

"अनाज के रूप में" अन्तःस्थापित किया जाय।

खण्ड, यथासंशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

24.3 खंड 23— निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :—

पृष्ठ 12, पंक्ति 34 के स्थान पर,

"23. प्रधान, यथास्थिति, अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में या कारबार के स्थान, या मुख्य स्थान में, अथवा जहां प्रधान का उस राज्य से, जिसमें उसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या उसके कारबार का मुख्य स्थान स्थित है, भिन्न राज्य में, चिट कारबार के संचालन के लिए कोई शाखा कार्यालय, उप कार्यालय या कोई कारबार स्थान है, ऐसे शाखा कार्यालय, उप कार्यालय या कारबार स्थान में उस राज्य में संचालित कारबार की बाबत —"

प्रतिस्थापित किया जाय।

खण्ड, यथासंशोधित रूप में, स्वीकार किया गया।

25. खण्ड 24 और 25 से खंड बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

26. खंड 26 निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :–

पृष्ठ 13, पंक्ति 42 –

"धारा 20" के पश्चात्

"या धारा 31" जोड़िए।

खंड, यथासंशोधित रूप में, स्वीकार किया गया।

27. खंड 27 निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :—

पृष्ठ 14, पंक्ति 3 ;

"अपना अभिदाय" से पूर्व

"प्रत्येक किस्त की बाबत शोध्य"

अन्तःस्थापित किया जाय।

खंड, यथासंशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

28. खंड 28 से 37 से खंड बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

29. खंड 38 निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये :–

(एक) पृष्ठ 17, पंक्ति 3 से 6 का लोप किया जाय।

(दो) पृष्ठ 17, पंक्ति 7 ;

"(5)" के स्थान पर "(4)"

प्रतिस्थापित किया जाय।

(तीन) पृष्ठ 17, पंक्ति 10 के पश्चात् ;

"स्पष्टीकरण इस धारा और उपधारा 39 के प्रयोजनों के लिए, "विशेष संकल्प" से ऐसा अभिप्रेत है, जो अभिदाताओं के साधारण निकाय से उस प्रयोजन के लिए विशेषतः बुलाए गए अधिवेशन में, स्वयं या परोक्षी द्वारा अधिवेशन में उपस्थित चिट के अभिदाताओं के कम से कम दो तिहाई मत द्वारा जो सभी गैर इनामी और असदत्त इनामी अभिदाताओं द्वारा यदि कोई हों, अभिदान की गई, यथास्थिति रकम का अनाज के मूल्य के कम से कम तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करते हों ; पारित किया गया है।"

खंड, यथासंशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

30. तत्पश्चात् समिति विधेयक पर और आगे खंडवार विचार करने के लिए गुरुवार 5 नवम्बर, 1981 के 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

चौबीसवीं बैठक

समिति की बैठक बृहस्पतिवार, 5 नवम्बर, 1981 को [समिति कमरा नं० 62] संसद् भवन, नयी दिल्ली में 11.00 बजे से 12.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री ईरा अनबारासू—सभापति

सदस्य

2. डा० ए० यू० आजमी
3. श्री मगन भाई बरोट
4. श्री पी० के० कोडियन
5. श्री नित्यानन्द मिश्र
6. श्री भोला राउत
7. श्री टी० आर० शमन्ना
8. श्री भाउसाहिब थोरट
9. श्री गिरधारी लाल व्यास
10. श्री आर० वेंकटरामन

सचिवालय

श्री राम किशोर—वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० रमैया, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता
2. श्री जी० पी० जैन—अतिरिक्त ड्राफ्टसमैन, राजभाषा कक्ष विधायी विभाग
3. श्री डी० नारायणराव—अटैची विधायी विभाग, विधि कार्य विभाग।

वित्त मंत्रालय (आर्थिक विभाग बैंकिंग डिवीजन) के प्रतिनिधि

1. श्री आर० एन० मल्होत्रा, सचिव आर्थिक विभाग।
2. श्री आर० के कौल, अपर सचिव (बैंकिंग)
3. श्री बी० पी सहनी—संयुक्त सचिव (बैंकिंग)
4. श्री सी० डब्ल्यू० मीरचंदानी उप-सचिव (बैंकिंग)
5. श्री के० एस० जसपाल, मुख्य अधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक
6. श्री बी० एन० चिरकरमाने, उप मुख्य अधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक

2. तत्पश्चात् समिति ने विधेयक पर आगे खंडवार विचार करना आरंभ किया।

3. खंड 16—(देखिए दिनांक 4-11-81 के कार्यवाही सारांश का पैरा 17) निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये :—

पृष्ठ 9, पंक्ति 27-28 के स्थान पर निम्नलिखित प्रति स्थापित किया जाये :

"16(1) प्रत्येक चिट में इनाम, चिट करार में वर्णित तारीख, समय और स्थान पर निकाला जाएगा और प्रधान द्वारा सभी अभिदाताओं को उसकी

सूचना ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए जारी की जाएगी।

(2) प्रत्येक ऐसा इनाम चिट करार के उपबंधों के अनुसार और कम से कम दो अभिदाताओं की उपस्थिति में संचालित किया जाएगा।

(दो) पृष्ठ 9, पंक्ति 29;

"(2)" के स्थान पर

"(3)" प्रतिस्थापित किया जाय।

खण्डवार, यथा संशोधित रूप में, स्वीकार किया गया

4 खण्ड 39 निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :—

पृष्ठ 17, पंक्ति 18-20;

"धारा 38 के उपबन्धों के अनुसार उस निमित्त किए गए, उक्त गैर इनामी और असंदत्त इनामी अभिदाताओं के अधिवेशन में पारित" शब्दों का लोप किया जाय।

"खण्ड, यथासंशोधित रूप में, स्वीकार किया गया!"

5 खण्ड 40 निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :—

पृष्ठ 17, पंक्ति 29;

"अभिदाता" के पश्चात

"और प्रधान" अन्तःस्थापित किया जाय।

खण्ड, यथासंशोधित रूप में, स्वीकार किया गया।

6 खण्ड 41 खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया।

7 खण्ड 42 निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :—

(एक) पृष्ठ 18, पंक्ति 2,

"चिट करार" से पूर्व

"इस अधिनियम में या" अन्तःस्थापित किया जाय।

(दो) पृष्ठ 18, पंक्ति 4;

"प्राप्त" के स्थान पर

"उपार्जित" प्रतिस्थापित किया जाय।

(तीन) पृष्ठ 18, पंक्ति 9;

"खण्ड" के स्थान पर

"धारा" प्रतिस्थापित किया जाय।

खण्ड, यथासंशोधित रूप में, स्वीकार किया गया।

8 खंड 43 से 53—ये खंड बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

9 खंड 54—निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :—

पृष्ठ 21, पंक्ति 6

"सम्पूर्ण चिट आस्तियां" से पूर्व

"ऐसी चिट से संबंधित" अंतःस्थापित किया जाय।

खंड यथासंशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

10 खंड 55 से 59—ये खंड बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

11 खंड 60—निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :—

पृष्ठ 21, पंक्ति 43—44

"इसको खारिज किये जाने" के स्थान पर "ऐसे आदेश" प्रतिस्थापित किया जाय

खंड, यथासंशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

12 खंड 61 यह खंड इस शर्त पर स्वीकृत हुआ कि इस आशय का उपबंध किया जाये कि प्रधान के लाभ और हानि लेखे तथा तुलनापत्र की आवधिक लेखापरीक्षा की जायेगी

13 खंड 62—65—ये खंड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए।

14 खंड 66—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :—

पृष्ठ 24—25

क्रमशः पंक्ति 39—41 और पंक्ति 1—5 का लोप किया जाये।

खंड यथासंशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

15 खंड 67—73 ये खंड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए।

16 खंड 74—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :—

पृष्ठ 27, पंक्ति 35,

"धारा 31 के अधीन" के स्थान पर

"धारा 20 या धारा 31 के अधीन" प्रतिस्थापित किया जाये।

खंड यथासंशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

17 खंड 75—निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :—

पृष्ठ 28, पंक्ति 13

"ऐसा और" के स्थान पर

"ऐसा और अतिरिक्त" प्रतिस्थापित किया जाये।

खंड, यथा संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

18 खंड 76 खंड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ।

तथापि यह सुझाव दिया गया कि दूसरे और परवर्ती अपराधों के लिए शास्ति की व्यवस्था करने का उपबंध विधेयक में शामिल किया जाये। उक्त उपबंध में केवल कारावास की शास्ति की ही व्यवस्था की जानी चाहिए।

19 खंड 77—89—ये खंड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए।

20 अनुसूची—अनुसूची बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुई।

21 खंड 1—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ : —

पृष्ठ 1, पंक्ति 5

"1980" के स्थान पर

"1981" प्रतिस्थापित किया जाये।

खंड यथा संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

22 अधिनियमन सूत्र—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ —

पृष्ठ 1, पंक्ति 1

"इकतीसवें" के स्थान पर

"बत्तीसवें" प्रतिस्थापित किया जाये ।

अधिनियम सूत्र तथा संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।

23 वृहद् नाम :—वृहद् नाम बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ ।

24 समिति ने विधेयक में स्पष्ट त्रुटियों को संशोधित करने और मौखिक साक्ष्य तथा परिणामस्वरूप के संशोधनों को करने के लिए विधायी सलाहकार को प्राधिकृत किया ।

25 तत्पश्चात् समिति ने यह निर्णय किया कि समिति के समक्ष दिये गये मौखिक साक्ष्य को सभापटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है ।

26 समिति ने अपने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने और उसे स्वीकार करने के लिए अपनी अगली बैठक बुधवार, 18 नवंबर, 1981 को 15·00 बजे करने का भी निर्णय किया ।

27 तत्पश्चात् समिति ने विगत टिप्पणियों के बारे में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों 87 में अंतर्विष्ट उपबंधों की ओर सदस्यों का ध्यान दिलाया ।

28 तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

(पच्चीस)

पच्चीसवीं बैठक

समिति की बैठक समिति कमरा संख्या "डी" संसदीय सौध, न्यी दिल्ली में बुधवार, 18 नवम्बर, 1981 को 14.00 से 15.00

उपस्थित

श्री ईरा अनबरासु--सभापति

सदस्य

2. डा० ए० यू० आजमी
3. श्री मगन भाई बरोट
4. श्री आर० आई० धोरपाडे
5. श्री पी० के० कोडियन
6. श्री नित्यानन्द मिश्र
7. श्री भोला राउत
8. श्री टी० आर० शमन्ना
9. श्री शांताराम पोतदुखे
10. श्री गिरधारी लाल व्यास
11. श्री आर० वेंकटरामन

सचिवालय

श्री राम किशोर--वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० रमैया, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता
2. श्री सी० रमन मेनन--अतिरिक्त विधायी परामर्शदाता
3. श्री डी० नारायण राव--आशुलेखक
4. श्री जी० पी० जैन--अपर प्रारूपकार

वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि

(आर्थिक कार्य विभाग--बैंकिंग प्रभाग)

1. श्री आर० के० कौल--अपर सचिव (बैंकिंग)
2. श्री सी० डब्ल्यू०, मीरचन्दानी--उप सचिव (बैंकिंग)
3. श्री के० एस० जसपाल, मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता
4. श्री बी० एन० चिक्रमणे--उपमुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई

2. आरम्भ में, विधायी परामर्शदाता ने समिति को सूचित किया कि विधेयक के खंड 24 में पहले ही, लाभ और हानि के लेखाओं और प्रधान के तुलनपत्र की, आवधिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था है, अतः जैसी कि समिति ने इच्छा व्यक्त की है, विधेयक के खंड 61 को संशोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(देखिये 6-11-1981 के कार्यवाही सारांश का पैरा 12)

3. तत्पश्चात् समिति ने विधेयक पर विचार किया और उसे अनुबंध-एक में दिखाए गए कुछ और संशोधनों के अध्यधीन यथा संशोधित रूप में स्वीकार किया।

4. समिति ने यह निर्णय भी किया कि प्रारूप प्रतिवेदन में विधेयक के संबंध में स्वीकार किये गए और संशोधनों के परिणामस्वरूप, तदनुसार संशोधन किये जायें।

समिति ने यह निर्णय भी किया कि जिन व्यक्तियों ने साक्ष्य दिया है उनकी संख्या प्रतिवेदन में दी जाये।

5. इस के पश्चात् समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और अनुबंध दो में उल्लिखित कुछक संशोधनों के अध्यधीन उसे स्वीकार किया।

6. सभापति ने घोषणा की कि यदि कोई विमत्य टिप्पण हो तो उन्हें लोक सभा सचिवालय को शनिवार, 21 नवम्बर, 1981 को 13.00 बजे तक अवश्य भेज दिये जायें।

7. समिति ने सभापति और उन की अनुपस्थिति में श्री टी० आर० शमन्ना को 25 नवम्बर, 1981 को लोक सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

8. समिति ने, विचार-विमर्श के दौरान वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) और उप वित्त मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) द्वारा दी गई सहायता के लिए, उनके प्रति आभार व्यक्त किया।

9. समिति ने विधायी परामर्शदाता और वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों द्वारा दिये गये सहयोग और सहायता के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया।

10. समिति ने लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सभी मामलों में समिति को दी गई यथा संभव सहायता और अमूल्य सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया और उन्हें धन्यवाद दिया।

11. सभापति ने उपर्युक्त अधिकारियों को धन्यवाद देने के साथ-साथ समिति के सदस्यों को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने समिति की कार्यवाही अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरण में करने में अपना भरपूर सहयोग दिया।

12. वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) ने सभापति द्वारा व्यक्त विचार का समर्थन करने के साथ-साथ समिति द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा भी की।

13. समिति के सदस्यों ने समिति की कार्यवाही बड़े ही सुयोग्य और निष्पक्ष ढंग से चलाने और विधेयक पर विचार करने के विभिन्न प्रक्रमों में उनका मार्गदर्शन करने के लिए सभापति (श्री ईरा अनवारासु) का धन्यवाद किया और उनके प्रति आभार व्यक्त किया।

14. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

चिट फंड विधेयक, 1980 सम्बंधी प्रवर समिति

चिट फंड विधेयक, 1980 में यथा संशोधित रूप में संशोधन

(देखिए दिनांक 18-11-81 के कार्यवाही सारांश का पैरा 3)

(एक) खंड 13:—विद्यमान खंड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"13(1) कोई प्रधान जो फर्म या अन्य व्यष्टि संगम या कम्पनी या सहकारी संघ से भिन्न हो ऐसी कोई चिट प्रारम्भ नहीं करेगा या उसका संचालन नहीं करेगा जिसकी रकम किसी समय पर पच्चीस हजार रुपयों से अधिक हो जाती है।

(2) जहां प्रधान कोई फर्म या अन्य व्यष्टि–संगम है वहां ऐसी फर्म या अन्य संगम द्वारा संचालित चिटों की कुल चिट रकम किसी भी समय,—

(क) जहां फर्म के भागीदारों की संख्या या संगम गठित करने वाले व्यष्टियों की संख्या चार से कम नहीं है वहां एक लाख रुपये की राशि;

(ख) किसी अन्य दशा में प्रत्येक ऐसे भागीदार या व्यष्टि के सम्बन्ध में पच्चीस हजार के आधार पर संगणित राशि,

(3) जहां प्रधान कोई कम्पनी या सहकारी संघ है, वहां उसके द्वारा संचालित चिटों की कुल चिट रकम किसी समय पर कम्पनी या सहकारी संघ की शुद्ध यथास्थिति आस्तियों के दस गुना से अधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण :—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "शुद्ध स्वामिक निधियां पद से कम्पनी या सहकारी संघ की प्रदत्त पूंजी तथा उसके अन्तिम लेखा परीक्षित तुलनपत्र में उल्लिखित मुक्त आरक्षित निधि की वह कुल रकम अभिप्रेत होगी जो संदयी हानि शेष तथा उपर्यक्त तुलनपत्र में दर्शाये राजस्व व्यय, तथा अमूर्त आस्तियों को यदि कोई हो, घटा कर आए।"

(दो) खंड 22 :—

उपखंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें ।

"(2) यदि किसी इनाम के निकलने के सम्बन्ध में शोध्य इनाम की रकम इनामी अभिदाता के व्यक्तिक्रम के कारण आगामी पावर्ती किस्त की तिथि तक असंदत्त रह जाती है तो प्रधान उस रकम को उस अनुमोदित बक के एक अलग खाते में जो चिट करार में वर्णित है तत्काल जमा कर देगा और ऐसे जमा करने के तथ्य की लिखित सूचना और उसके कारणों को इनामी आर्मदाता और रजिस्ट्रार को देगा । परन्तु जहां कोई इनामी अभिदाता इनाम निकलने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर इनाम की रकम नहीं ले लेता तो प्रधान ऐसी किस्त के लिए एक अन्य इनाम निकाल सकता है ।

(तीन) खंड 77:–

विद्यमान खंड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,

"77. यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध

किया जाता है तो उसे दूसरे और प्रत्येक परवर्ती अपराध के लिए दो वर्ष के कारावास की सजा दी जायेगी और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है।"

(अनुबन्ध—दो)

चिट फंड विधेयक, 1980 संबंधी प्रवर समिति द्वारा स्वीकृत प्रारूप प्रतिवेदन में संशोधित (देखिए कार्यवाही सारांश का पैरा 5)

(एक) पृष्ठ (नौ), पैरा 8, निम्नलिखित नया उपपैरा जोड़ा जाए।

"समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने के लिए कुल 101 साक्षी उपस्थित हुए।"

(दो) पृष्ठ (सत्रह), पंक्ति के 7 के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए।

"समिति का यह विचार है कि कम्पनियों पर लागू होने वाली अधिकतम सीमा सहकारी समितियों पर भी लागू होनी चाहिए।"

(तीन) पृष्ठ 18, पैरा 21 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"21 खंड 15—समिति की राय है कि अभिदाताओं को प्रधान की सहमति के बिना एक तरफा रूप से विशेष संकल्प के द्वारा चिट करार में परिवर्तन करने की अनुमति देना प्रधान के प्रति अनुचित हो सकता है और कुछ सदस्यों के हितों के विरुद्ध इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। समिति का विचार है कि चूंकि प्रधान तथा सभी सदस्य करार के पक्षकार होते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी व्यक्तियों की अनुमति के बिना चिट करार में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए इसलिए इस खंड के स्थान पर एक नया खंड प्रतिस्थापित किया गया है जिसमें यह व्यवस्था है कि प्रधान तथा चिट से संबंधित सभी अभिदाताओं की लिखित सहमति के बिना किसी चिट करार में परिवर्तन या परिवर्द्धन नहीं किया जाएगा अथवा उसे रद्द नहीं किया जाएगा।"

(चार) पृष्ठ (बाईस) पंक्ति 15,

"किस्त" के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए

"किसी अनुमोदित बैंक के एक अलग खाते में"

(पांच) पृष्ठ (छब्बीस) पैरा 39 की पंक्ति 7,

"केवल" के स्थान पर

"और जुर्माना" प्रतिस्थापित किया जाए।